खण्ड-226, अंक-5
मंगलवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1883
(29 अगस्त, 1961 ई0)

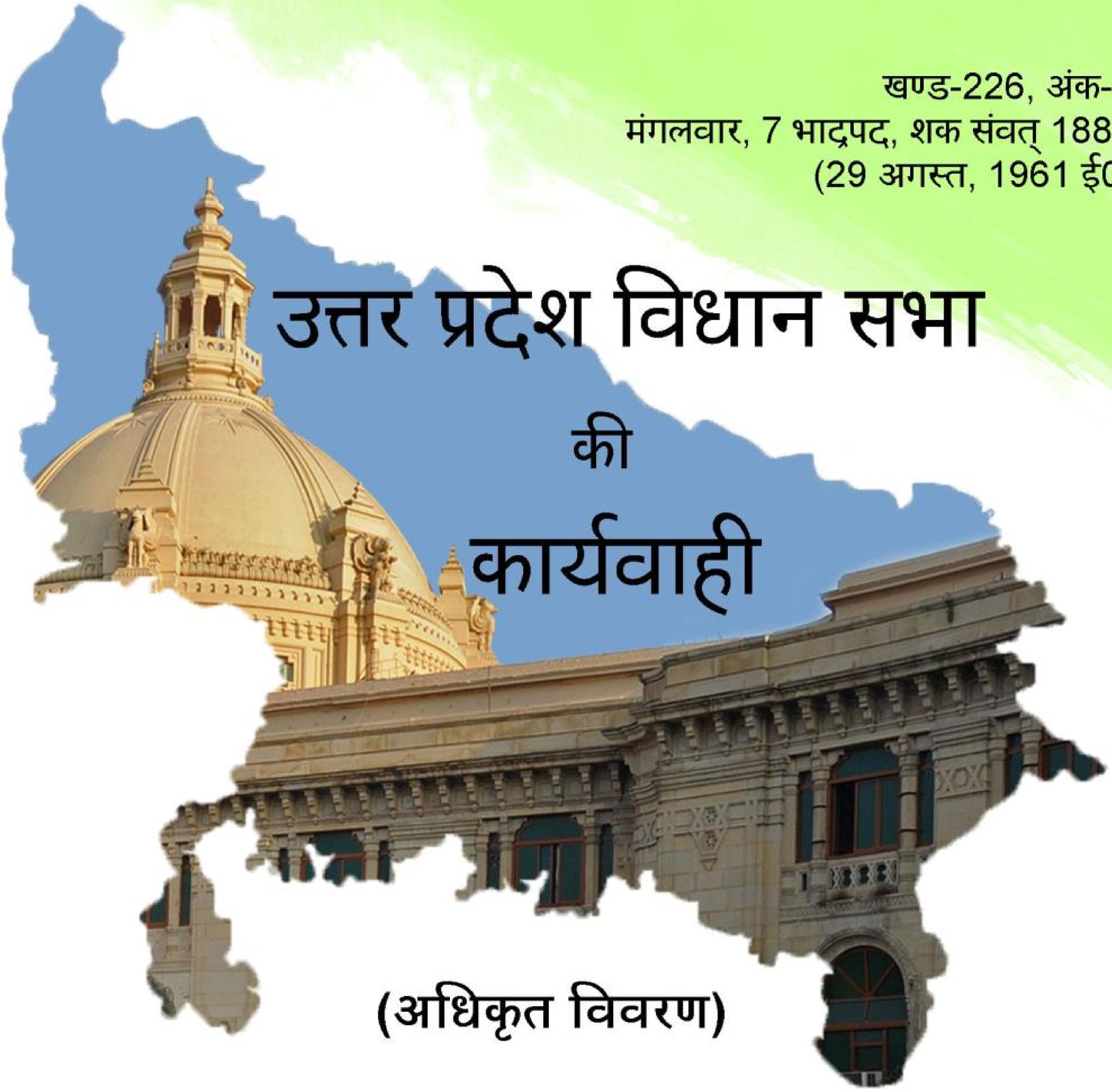

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 226 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य—३३५

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दानियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास गासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रभावतीमिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिश्म्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री

बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधरकुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
शब्बीर हसन, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री

हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—स्वशासन मन्त्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

---

# प्रश्नोत्तर

---

## मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### औरैया नगरपालिका में परनाला फीस की वसूली

**१—श्री भजनलाल (ज़िला इटावा)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औरैया नगरपालिका ज़िला इटावा के अन्तर्गत हाउस टैक्स के अलावा हाउस परनाला का भी टैक्स वसूल किया जाता है ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—जी नहीं। केवल गृह कर लगता है। १–४–६१ से पूर्व यह नगरपालिका ४ रु० प्रति परनाला की दर से नालों की सफाई कराने की फीस लेती थी, परन्तु १–४–६१ से यह फीस बन्द कर दी गई है और अब केवल हाउस टैक्स ही लिया जाता है।

**२—श्री भजनलाल—यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—यह प्रश्न नहीं उठता।

**३—श्री भजनलाल—उपरोक्त नगरपालिका के अन्तर्गत हाउस टैक्स की क्या दरें मुकर्रर की गई हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—नगरपालिका के अन्तर्गत गृह कर गृह एवं भूमि के वार्षिक मूल्य पर ६ प्रतिशत की दर से लिया जाता है।

श्री भजनलाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब १–४–६१ के पूर्व ४ रुपया प्रति नाला टैक्स वसूल किया जाता था तो उस समय हाउस टैक्स भी वसूल किया जाता था ?

स्वशासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी नहीं, उस वक्त हाउस टैक्स नहीं लेते थे।

श्री भजनलाल—क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि आज से दो वर्ष पूर्व इसी हाउस टैक्स और परनाले टैक्स के सम्बन्ध में वहां के सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं ने अनशन किया था जिसके ऊपर वहां के अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिया था कि मैं इसके सम्बन्ध में छानबीन करूंगा और हाउस टैक्स जो लिया जाता है वही लिया जायगा, परनाला टैक्स नहीं लिया जायगा। यदि इसकी जानकारी है तो फिर यह प्रश्न कहां से उठता है कि वहां पर दोनों टैक्स नहीं लिए गए ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस बात की सूचना नहीं है कि कोई इस तरह का अनशन हुआ, लेकिन जो हमारे पास इत्तला है वह यह कि जब यह परनाला टैक्स वहां के बाई-लाज के अनुसार लेते थे तब केवल यही टैक्स लेते थे, और जब परनाला टैक्स बन्द कर दिया गया, तब हाउस टैक्स लिया गया। चेयरमैन साहब की रिपोर्ट है कि पहले वह हाउस टक्स नहीं लेते थे।

श्री भजनलाल---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १-४-६१ से पूर्व जो दोनों टैक्स लिये गये हैं और उसमें परनाला टैक्स जो वसूल किया गया है, उसकी रकम वह जनता को वापस कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो वह मानते ही नहीं कि दोनों टैक्स वसूल किये गये । चेयरमैन का कहना यह नहीं है । इसलिये यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

श्री भजनलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरे इस प्रश्न को सूचना मानकर, और मैं इस टैक्स से सम्बन्धित १-४-६१ के पूर्व के सारे कागजात आपके पास भेज दूंगा, अगर हमारी बात सही हो तो, जो टैक्स गलत तरीके से वसूल किया गया है उस को वह वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अब यह तो कानूनी बात है । देखा जायगा कि कानून के अनुसार क्या हो सकता है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, क्या सरकार अपने उत्तर पर गौर करेगी जिसमें यह लिखा हुआ है कि १-४-६१ से पूर्व नगरपालिका ४ रुपया प्रति परनाला की दर से नालों की सफाई कराने की फीस लेती थी तो यह नाला कर तो फीस है या यह फीस ही नाला कर है ? सरकार कैसे कहती है कि पहले दोनों टैक्स वह नहीं लेती थी ?

श्री अध्यक्ष---फीस जो है वह तो सेवा के एवज में ली जाती है एक स्पेसिफिक सर्विस जो है उसके लिए, और कर जो है वह चाहे सर्विस करे या न करे लिया जायगा ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह नाला सफाई फीस के नाम से जो पैसा लिया जाता था वह उन घरों से भी वसूल किया गया है जहां नाले की सफाई नहीं हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह फीस ही ली जाती थी और फीस इसलिए ली जाती थी कि जिन मेहतरों के जरिये से यह सफाई करायी जाती थी उनको दे दी जाती थी ।

श्री अध्यक्ष---देखिये, स्वायत्त शासन के बारे में ज्यादा अन्दर क्या-क्या होता है ऐडमिनिस्ट्रेशन में, यह डिटेल्स वह नहीं बता सकेंगे ।

श्री राजनारायण---क्या जिन घरों के नाले की सफ़ाई नहीं हुई अगर उन घरों से फीस ली गई तो सरकार उसको वापस कराने की चेष्टा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कानूनी तरीके से यदि ऐसा हो सकता है तो दे दिया जायगा ।

## माताटीला बांध में फाटकों के लगने में विलम्ब

**४---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि माताटीला बांध में फाटकों के न लगने के कारण उसमें पानी का पूरा भराव व उससे पूरी सिंचाई नहीं हो पा रही है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)---जी हां ।

**५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांध के बनने का काम कब खत्म हुआ था और अभी तक फाटकों के न लगने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---जून, १९५८ में फाटक विदेश (यूगोस्लेविया) से बन कर अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी हिन्दुस्तानी फर्म को आर्डर न दे कर यूगोस्लेविया को आर्डर देने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--काफी हिन्दुस्तानी फर्म्स से कन्टेक्ट हुआ था लेकिन टेक्नीकल डिफिकल्टी थी और कोई खास किस्म का स्टील न होने की वजह से यह यूगोस्लेविया की फर्म से ही आखिर में बात हो पाई ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यूगोस्लेविया की फर्म को आर्डर कब दिया गया और वह कितनी लागत के फाटक वहां पर बन रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--यह अग्रीमेन्ट २७ मई, १९६० को हुआ और फाटकों की लागत ४० लाख रुपया होगी ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या सिंचाई मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि इन फाटकों के न लगने की वजह से जो सिंचाई का टारगेट था उसमें कितने फीसदी का नुकसान पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति--फाटक लगने से एक लाख एकड़ में सिंचाई और होगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो उन्होंने यह कहा कि टेक्नीकल डिफिकल्टी थी तो इस सम्बन्ध में फाटक न लगने का कारण यह था कि जो हिन्दुस्तान में फाटक बनने थे उसके हिसाब से डिजाइन किया गया और जब विदेश को फाटक बनने का आर्डर दिया गया तो उन फाटकों को बदला गया जिसमें ४ लाख का सरकार का खर्चा हुआ ?

श्री राममूर्ति--इस समय इस बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन डाइरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज़ ने पहले टेन्डर मांगे थे। जब डिफिकल्टी हुई तो उसके बाद बाहर की फर्म से यह एग्रीमेन्ट हुआ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि यहां के जो फाटक मांगे गये थे उनमें क्या डिफिकल्टी हुई जिससे वे नहीं लगाये गये जब कि यहां के फाटकों के डिज़ाइन के हिसाब से पहले खम्भे बनाये गये थे और फिर विदेश को आर्डर दिया गया तो उसके हिसाब से खम्भों को तोड़ना पड़ा और ४ लाख रुपया उसमें सरकार का खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति--इतनी डिटेल्स मेरे पास उपलब्ध नहीं है। उसके लिये नोटिस दिया जाय तो मैं जवाब दे सकता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि इन फाटकों की उपलब्धि में जो देर हो रही है उसका कारण फारेन एक्सचेन्ज भी है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज़ से कोटेशन्स मांगे गये थे वह स्टोर परचेज़ सेक्शन के द्वारा मांगे गये थे ?

श्री राममूर्ति--डाइरेक्टर आफ काटेज एन्ड इंडस्ट्रीज के जो रुल्स बने हुए हैं उसी के मुताबिक यह सब काम हुआ था ।

**श्री गौरीशंकर राय**---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डाइरेक्टर आफ काटेज एन्ड इंडस्ट्रीज स्टोर परचेंज सेक्शन का जो इन्चार्ज होता है उसका धन्धा खरीदना बेचना होता है। मंत्री जी ने बतलाया कि काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ से मंगाये गये। यह दो बातें हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज स्टोर परचेज सेक्शन की हैसियत से काम करता है तो उस तरीके से काम हुआ था या नहीं ?

**श्री राममूर्ति**---इसकी इत्तला इस वक्त मेरे पास नहीं है। नोटिस दिया जायगा तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या डिफिकल्टीज वहां पर थीं ?

**श्री राममूर्ति**---मैंने अर्ज किया कि वह डिटेल्स मेरे पास इस समय नहीं हैं। यदि आप नोटिस दें तो इस बारे में मैं बतला सकूंगा।

**श्री राजनारायण**---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पहले जो डिजाइन था उसको बदल दिया गया है और अब पहले का डिजाइन नहीं रह गया है ?

**श्री राममूर्ति**---हो सकता है, लेकिन मैं इस बारे में डेफिनिटली नहीं कह सकता।

## असिस्टेंट रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिसर्स के चुनाव में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

**६---**श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि १९ सितम्बर, १९६० को U.P. Public Service Commission द्वारा Assistant Regional Transport Officer के पद के लिये कितने नाम select होकर सरकार के पास आये थे, और Medical Board की परीक्षा के पश्चात् उनमें से कितनों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है और कितने बाकी हैं ?

**परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)**---कमीशन ने ९ नाम भेजे थे इनमें से ४ के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं और ४ के शीघ्र ही होने वाले हैं, १ अभ्यर्थी अभी मेडिकल परीक्षा के लिये हाजिर नहीं हुए।

**श्री रामसूरतप्रसाद**---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ९ नाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सरकार को भेजे गये उनमें कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं और कितने अन्य पिछड़ी जातियों के ?

**श्री मुजफ्फर हसन**---जो नाम मंजूर होकर आये हैं उनमें से दो अनुसूचित जाति के थे।

**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो एक व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ वह स्वयं हाजिर नहीं हुआ या बुलाया नहीं गया ?

**श्री मुजफ्फर हसन**---वह बुलाये गये थे, लेकिन खुद ही हाजिर नहीं हुए।

**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---जिन पांच आदमियों को आर्डर दिया गया है उनमें से अनुसूचित जाति के हैं या नहीं ?

**श्री मुजफ्फर हसन**---उनमें से जो अनुसूचित जाति के थे उनका नाम एप्वाइंटमेन्ट डिपार्टमेन्ट से वापस मांग लिया गया था और हमको यह इत्तला दी गयी थी कि वह पी० सी० एस० में हो गये हैं और उनकी जगह दूसरे साहब आ गये हैं और कुछ जो हाजिर नहीं हुए वह अनुसूचित जाति के हैं।

## रेनी बांध में दरार

**७—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार को पता है कि बिजनौर जिले के रेनी बांध में अभी हाल ही में पांच सौ फीट की दरार पड़ गई है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं व उक्त बांध कब और कितनी लागत से बना था तथा उसमें कब-कब दरारें पड़ीं व उसकी मरम्मत में किस-किस वर्ष में कितना-कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—जी हां, रेनी बांध के ऊपर का डाईवर्जन बंध २९-७-६१ को पानी के अधिक बढ़ जाने के कारण टूट गया। यह बांध दिसम्बर, १९५३ में ९९,४०० रु० की लागत पर बनवाया गया था। इसके टूटने की तिथियां तथा इसकी मरम्मत पर किये जाने वाले व्यय की सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९५ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उक्त बांध की मरम्मत में १९५८-५९ में २,३३००० रुपया लगा, १९५९-६० में ९,०९,९६० रुपया लगा और १९६०-६१ में २,३०,००० रुपया लगा और वह इस वर्ष भी टूट गया तो उसके हर साल टूटने का क्या कारण है और उसे ठीक तौर से न बनवाने या ठीक तौर से मरम्मत न करवाने के लिये दोषी असफरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, १९५३ में यह हेड वर्क्स बनाया गया था तो उस समय दरिया हेड वर्क्स के नीचे बहा करती थी। उसके बाद यह दरिया लूप लेकर दूसरे साइड में निकल गयी और बीच में सिल्ट छोड़ गयी। इसका नतीजा यह हुआ कि हेड वर्क्स का पानी आना बन्द हो गया। दूसरी तरफ लूप लेकर जो दरिया निकल गयी थी उस पर बांध बनाना पड़ा और बीच के तमाम हिस्से की मिट्टी निकालने के बाद हेड वर्क्स में पानी लाने का तरीका बनाया गया। इस वजह से इसमें काफी रुपया खर्च हुआ करता है। चीफ इंजीनियर ने इसको रिसर्च के लिये भेज रखा है ताकि सस्ते में काम बन जाय, लेकिन बजाहिर जब तक राम गंगा बांध का निर्माण पूरा नहीं होता तब तक ग्रेविटी कैनाल बन नहीं पायेगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह खबर सही है कि जो सिंचाई विभाग द्वारा बन्ध इस वक्त बन रहा है उसको जितनी मजबूती के साथ बनना चाहिये यह योजना है कि उतनी मजबूती के साथ न बनाया जाय और अक्सर दरार पड़ जाती है और उसके लिये जितनी चेष्टा करनी चाहिये वह नहीं हो पाती और सरकार ने क्या यह भी फैसला किया है कि बांध बनाये ही न जायं और इन तमाम झंझटों में न पड़ा जाय ?

श्री राममूर्ति—इसके बारे में कोई एक राय नहीं है। इसके बारे में दुनिया के तमाम इंजीनियर भिन्न-भिन्न राय रखते हैं। ऐसे बहुत से इंजीनियर हैं जिनकी राय यह है कि इंबैंकमेन्ट और बांध बनाना नहीं चाहिये और इसके बरखिलाफ बहुत से ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जिनकी राय यह है कि बांध बनने चाहिये और इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ करता है। हमारे यहां जो बांध बनाये जाते हैं उनका इस्पेसिफिकेशन्स जो हमारे इंजीनियर कायम करतेहैं उसके अनुसार ही यह बांध बनाये जाते हैं। अक्सर यह भी होता है कि कहीं कोई चीज टूट भी जाती है, तो उसकी मरम्मत की जाती है। अगर उसको इतना मजबूत बना दिया जाय कि उसमें कभी कोई खराबी ही न हो तो उसमें रुपया भी लाभ के अनुपात में ज्यादा खर्च होगा। हमारे इंजीनियर जिस तरह से ठीक समझते हैं उसको बनाते हैं।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके बनाने में जो एक लाख रुपया खर्च हुआ वह किस कारण से हुआ, क्या डिजाइन में कुछ खराबी थी, या दरिया का बहाव इतना तेज था जिसके कारण वह कट गया ? क्या उसके कारणों को भी जांच कराई गयी ?

**श्री राममूर्ति**—माननीय सदस्य ने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। मैंने अर्ज किया था कि जहां पहले दरिया बहता था उसने वहां एक लूप ले लिया था और वहां पर करेन्ट को रोकने के लिये बांध बनाया गया। चूंकि फ्लड वगैरह आते रहते हैं और उसके आने से जो कच्चा काम होता है वह टूट जाता है।

**श्री अध्यक्ष**—समझ में बात आ नहीं रही है। यह ९९ हजार रुपया जो खर्च हुआ वह किस लिये खर्च हुआ ? क्या यह हैडवर्क्स बनाने पर खर्च हुआ ?

**श्री राममूर्ति**—जी हां, वहां पर हैडवर्क्स बनाया गया, उसमें यह ९९ हजार रुपया खर्च हुआ।

**श्री अध्यक्ष**—ठीक है।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया अपने उत्तर में कि दरार पड़ गयी थी तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि यह दरार नये निर्माण में पड़ी या पुराने हैडवर्क्स में पड़ी ?

**श्री राममूर्ति**—मैंने दरार के बारे में जिक्र नहीं किया। मैंने कहा था कि दरिया पहले जहां बहा करता था उसने लूप ले लिया था और एक दूसरा रास्ता बना लिया था।

**श्री गौरीशंकर राय**—श्रीमन्, ९९ हजार रुपया हैडवर्क्स के ऊपर डाइवर्जन में खर्च हुआ। प्रत्येक डाइवर्जन में जब भी वह होता है दो-तीन लाख रुपया खर्च हो जाता है। तो सरकार इस प्रश्न पर विचार क्यों नहीं करती कि यह जो डाइवर्जन हुआ है वहां पर एक नया हैडवर्क बना दें जो कम खर्चे में हो जाय ?

**श्री राममूर्ति**—ज्यादा अच्छा हो अगर माननीय सदस्य जिनको शंका होवे मेरे यहां आकर नक्शा आदि देख लें उससे उनकी समझ में आ जायेगा, क्योंकि दरिया का कोर्स बदल जाने से स्थिति दूसरी हो गयी है और उसका रास्ता भी दूसरा हो गया है और जो बेड नदी का इलाका है वहां पर अगर नया हैडवर्क बना दें तो वह रुक नहीं पायेगा और उसको बनाना हमारे इन्जीनियर्स मुनासिब नहीं समझते।

**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, जिस बांध का यहां जिक्र हो रहा है इसके बारे में तथा हमारे सूबे में और भी जितने बांध या नहरें बनाई जा रही हैं उन सबके बारे में एक एक्सपर्ट ओपीनियन यह होती जा रही है कि उनकी प्लानिंग बड़ी डिफेक्टिव है और वह पार्ट प्लानिंग होने के कारण है। इसलिये इन बातों को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे यहां सारे सूबे में एक सर्वे कराये और इस पार्ट प्लानिंग की जगह समग्र प्लानिंग करें ?

**श्री राममूर्ति**—मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जितने भी बांध बनते हैं वे सब टूट गये। जो इम्बैंकमेन्ट बनाये जाते हैं वह तो इसलिये बनते हैं ताकि यदि बाढ़ आये तो उस मिट्टी के बांध बनने से पानी के फैलाव को रोका जा सके और खेती अच्छी हो सके। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे यहां बहुत से बांध बांधे गये और उससे काफी फायदा हुआ है। लेकिन जब बाढ़ ज्यादा हो जाती है तो वे टूट भी जाते हैं। इसके मानी यह नहीं कि उससे फायदा नहीं होता और उनका बनाना रोक दिया जाय।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि १९५६ और १९५९ में जो काफी वर्षा के कारण बाढ़ें आयीं जिनके कारण सड़कें टूटी नदियों की धारा बदली, आपने जो बांधा है उसको छोड़कर किस सन् में नदी की धारा बदली है जिससे बांध को नुकसान पहुंचा ?

**श्री राममूर्ति**—यह बता दिया गया है कि नदी की धारा १९५८-५९ में बदल गयी। तभी से यह डाइवर्जेंट बांध बनना शुरू हो गया, वैसे बनाने की जरूरत नहीं होती है।

**श्री गौरीशंकर राय**—पिछले सालों में साढ़े पांच लाख रुपया इस बांध को बनाने में लगा और जब तक नदी अपने पुराने रास्ते पर नहीं चली जायगी तबतक दो-ढाई लाख रुपये के करीब उसमें लगता रहेगा, तो मंत्री जी बतायेंगे कि प्रति वर्ष ढाई लाख जो खर्च होगा वह उस बांध की ईल्ड को देखते हुये इकोनामिक समझा जायगा ?

**श्री राममूर्ति**—इस रामगंगा कैनाल करीब-करीब दो सौ मील मेन कैनाल और ट्रिव्यूटरीज है। चूंकि इतनी बड़ी चीज बन गयी है, अगर इसको अबेन्डन कर दें, पानी देना बन्द कर दें तो जिनको पानी मिलता रहा है उनको तकलीफ हो जाती है। रामगंगा बांध जब बनेगा तब तक १५-१६ लाख रुपया खर्च होगा और बड़ी तकलीफ की बात है कि यह रकम व्यय करनी पड़ रही है। लेकिन चूंकि कमिटमेंट हो गया है, इसलिये मजबूरी है।

## बदायूं नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप

****८—श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ५०, दिनांक ३१ जुलाई, १९६१ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेंगे कि बदायूं नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध क्या-क्या आरोप थे, उनमें से कौन-कौन सही पाये गये व सरकार अब क्या कदम उठाने जा रही है ?

**श्री गनेशीलाल चौधरी**—बदायूं नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप इस प्रकार थे:—

(१) २९ अगस्त, १९६० को हुई बोर्ड की मीटिंग में कुछ सदस्यों द्वारा किये गये note of dissent को proceedings में नहीं दर्ज किया गया।

(२) असिस्टेंट अटेंडेंस आफिसर के पद पर श्री इबनुल हसन को गलत तौर से रखा गया।

(३) नियम के विरुद्ध एक सहायक अध्यापक, श्री गुलाम नबी, को बहाल करके उन्हें ९ माह का वेतन दिया गया।

(४) श्री नसीर उद्दीन को पागल होने के बावजूद भी वेतन दिया गया।

(५) नगरपालिका के सदस्यों को कार्यवाही रजिस्टर नहीं दिखाया जाता है।

(६) शहर में एक गेट बनाने के लिये ६,००० रु० व्यय किये गये जब कि बोर्ड ने उसके लिये केवल २,५०० रु० स्वीकृत किये थे।

(७) बजट की व्यवस्थाओं के विरुद्ध तथा बिना बोर्ड की अनुमति के बहुत व्यय किया जाना।

(८) मोहर्रिर तथा चपरासी के पद पर मनचाहे नये उम्मीदवारों को नियुक्त करना।

(९) अध्यापक के पद पर कुमारी खाल्दा रईस की इल्लीगल नियुक्ति।

(१०) म्युनिसिपल कर्मचारियों के provident fund को उनके एकाउन्ट में न जमा करना।

(११) बोर्ड की आर्थिक स्थिति खराब होते हुये भी अनावश्यक मामलों पर व्यय करना ।

(१२) बोर्ड के एक कर्मचारी ने दो माह की छुट्टी ली और सेटिलमेंट विभाग में नौकरी की । इस प्रकार बोर्ड के धन का दुरुपयोग हो रहा है ।

(१३) सब्जी मंडी के ठेकेदारों से बकाया रुपया वसूलने में लापरवाही व ढिलाई ।

(१४) एक मोहर्रिर द्वारा चौकी से ३२५ रु० गायब करने पर उसके मामले को पुलिस को न देना ।

इन आरोपों का परीक्षण हो रहा है । परीक्षण के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या माननीय स्वायत्त-शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इन आरोपों की जांच की गयी है ? अगर हां, तो किस अधिकारी द्वारा और इनमें से उसने किन-किन को सही पाया है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—जी हां, कुछ की जांच हुई । जिलाधीश ने जांच कराई और उनमें से कुछ आरोप सत्य पाये गये ।

**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**—कौन-कौन से आरोप इन चेयरमैन साहब के विरुद्ध सही पाये गये और इन्हें मुअत्तल किया गया या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष**—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । जब किसी इलेक्टेड आदमी के खिलाफ कोई आरोप हों और कुछ सही पाये गये और कुछ गलत, और उसके एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ और सही या गलत पाये गये, तो इस प्रकार सवाल पूछ कर आप अभी से उसके खिलाफ कुछ बातें फैलाना चाहते हैं, जिससे वह बदनाम तो हो ही जायगा । इसीलिये नियमावली में यह रखा गया है कि लोकल बाडीज के बारे में बहुत डिटेल में आप नहीं पूछ सकते हैं, और जो आदमी यहां मौजूद नहीं है उसके बारे में इस तरह से प्रश्न पूछने की इजाजत मैं नहीं दूंगा । आप सैद्धांतिक रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं । प्रत्येक आरोप के बारे में जब तक सरकार अंतिम फैसला न कर ले तब तक मैं प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा ।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या यह सही है कि बहुत से आरोप सही पाकर सरकार ने करीब-करीब इन्हें सस्पेन्ड करने का भी फैसला कर लिया है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है ।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या बदायूं नगरपालिका को सुपरसीड करने के बारे में वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर्स की कोई दरख्वास्त सरकार के पास आई है ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—नहीं । सुपरसीड करने की कोई दरख्वास्त नहीं आई है ।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—वह अध्यक्ष किस राजनीतिक दल के हैं ?

**श्री चतुर्भुज शर्मा**—नोटिस की आवश्यकता है ।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या मंत्री जी ने अभी कुछ लोगों को बतलाया है कि इनको हम सस्पेंड करने जा रहे हैं ?

**अध्यक्ष**—उन्होंने कह दिया है कि हम कंसीडर कर रहे हैं ।

## लखनऊ पोलीटेक्निक स्कूल का बन्द होना

**९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ-पोलीटेक्निक स्कूल को अनिश्चित काल तक के लिये बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

उद्योग उपमंत्री (श्री मलखानसिंह)—जी हां। आठ अगस्त की रात को नये और पुराने लड़कों के बीच झगड़ा होने के कारण स्कूल के व्यवस्थापकों को स्कूल बन्द करना पड़ा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी को मालूम है कि वहां लड़कों ने इंट्रोडक्शन नाइट मनाई और सेकिंड ईयर के लड़कों ने फस्ट ईयर के लड़कों से कहा कि तुम हमारा पेशाब पियो।

श्री मलखान सिंह—जो कुछ सूचना सरकार को मिली है वह यह है कि लड़कों के बीच में, पुराने और नयों के, मजाक में झगड़ा हो गया। पेशाब की इत्तला नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है कि प्रिंसिपल ने इसलिये स्कूल बन्द कर दिया कि जो पुलिस बुलाई गई थी वह लड़कों की सुरक्षा नहीं कर सकी?

श्री मलखानसिंह—यह स्कूल हिन्दू एजूकेशनल सोसाइटी, लखनऊ के बोर्ड आफ मैनेजमेंट द्वारा चलाया जाता है जिसकी १८ अगस्त की मीटिंग में स्कूल को अनिश्चित काल के लिये बन्द करने का फैसला किया गया था।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस बात को देखते हुये कि ऐसी रस्म हो गई है कि पुराने विद्यार्थी इंट्रोडक्शन नाइट को नये विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, क्या सरकार ने स्कूलों के अधिकारियों का ध्यान इसे बन्द कराने की ओर आकर्षित किया है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—आपके जैसे अध्यापकगण विद्यार्थियों को सुधार सकते हैं। यह आपका मुख्य कर्तव्य है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री के नोटिस में रोमर की वह कटिंग आई है, नेशनल हैराल्ड से, कि जिसमें मेरे और मोतीलाल जी अवस्थी के लगाये आरोप के बारे में, जो अभी दोहराये गये हैं, जिक्र है और यह भी था कि एक विद्यार्थी को इतना मारा गया कि उसके ३२ इनजरी थीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने रोमर की कहानियां नहीं पढ़ी हैं।

श्री गौरीशंकर राय—यह देखते हुये कि लड़कों की पढ़ाई सफर कर रही है सरकार स्कूल जल्द खुलवाने की कोशिश करेगी और ऐसी व्यवस्था करेगी कि अध्यापकगण विद्यार्थियों में डिस्पिलिन सम्भाल सकें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अवश्य, इस ओर उस कमेटी का ध्यान खींचा जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मुख्य मंत्री जी को as a fact मालूम है कि लड़कों ने मिलकर बुरी तरह एक विद्यार्थी को पीटा और उसके ३२ चोटें आई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इस बात की सूचना नहीं है। गृह मंत्री जी के पास होगी।

## लोक कलाकार संघ, अल्मोड़ा को अनुदान न मिलना

**१०—श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ६८ व ६९, दिनांक १ अगस्त, १९६१ के उत्तर के क्रम में गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें ज्ञात है कि इस लोक कलाकार संघ का संबंध एक विशेष राजनैतिक दल के साथ रहा है तथा इसके द्वारा विदेशी राष्ट्रों का व अराष्ट्रीय प्रचार किया गया है ? क्या अब भी प्रादेशिक सरकार का कोई ग्रांट इस संस्था को दिया जाता है अथवा उसके दिये जाने पर विचार हो रहा है ?

गृह उपमंत्री ( श्री नवलकिशोर )—लोक कलाकार संघ के कुछ सदस्य एक राजनैतिक दल विशेष से संबंध अवश्य रखते हैं लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस संघ का संबंध किसी विशेष राजनैतिक दल के साथ रहाहै तथा इसके द्वारा विदेशी राष्ट्रों का व अराष्ट्रीय प्रचार किया गया है । लोक कलाकार संघ को इस समय कोई सहायता नहीं दी जा रही है और न सहायता देने पर विचार हो रहा है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतालावेंगे कि किस दल से इनका सम्बन्ध है और क्या यह सही है कि पहले इन्हें ग्रांट दी जाती थी ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—साम्यवादी दल से, जैसा प्रश्न में भी संकेत है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या पहले इन्हें अनुदान मिलता था और अब रोका क्यों गया है ?

श्री चरणसिंह—सन् १९५९ में और उससे पहले केवल ३०० रुपये शिक्षा विभाग से इन्हें मिले थे। प्लानिंग विभाग से भी स्टेज बनाने आदि के बारे में कुछ रुपया इन्हें दिया गया था। लेकिन १९५९ में यह सहायता बन्द कर दी गई चूंकि वे लोग सही रास्ता दिखाने के बजाय लोगों को गुमराह करते थे।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी 'गुमराह' शब्द की परिभाषा करेंगे कि कैसे गुमराह करते थे ?

श्री चरणसिंह—गलत रास्ते पर ले जाना ।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से गुमराह करते थे ?

श्री चरण सिंह—गुमराह कई प्रकार से होता है, मसलन् पंचवर्षीय योजना की नुक्ताचीनी करना या उसके बारे में गलत बातें बतलाना। लेकिन राष्ट्र-विरोधी प्रचार इनकी तरफ से नहीं था ।

## तारांकित प्रश्न

[स्वशासन मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित २८ अगस्त, १९६१ का तारांकित प्रश्न सं० २७]

## लखनऊ नगरमहापालिका के पेय जल में गन्दे नालों का पानी मिल जाने की शिकायत

*२७—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि जून १९६१ में जब लखनऊ के नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी ने लखनऊ के कतिपय गन्दे नालों की सफाई कराई तो इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि उन नालों की तह से गुजरने वाले जलपेय पाइपों में मोर्चा लग कर छोटे-छोटे सूराख हो गये हैं जिसके फलस्वरूप गन्दा पानी पेय जल में निरन्तर मिलता रहा है ? यदि हां, तो कुछ अनुमान है कि यह प्रक्रिया कब से चलती आ रही है और किसकी गलती से ?

**श्री गनेशीलाल चौधरी**—जिन नालों की सफाई की गई उनकी तह में पेय जल के कोई भी पाइप नहीं थे। केवल सरकटे नाले में, जिसमें कि करीब ६०० फुट नाला पटा हुआ था और जिसमें एक पक्की पुलिया भी शामिल थी, जब नाला खोदा गया तो पुलिया की पक्की छत के ऊपर से गई हुई पेय जल की कुछ पाइप लाइनें, जो मिट्टी के नीचे दब गई थीं, बाहर निकल आईं। इन पाइप लाइनों के कुछ भागों में छेद थे किन्तु चूंकि यह लाइनें नाले के ऊपर की पक्की छत से होकर निकाली गई थीं नीचे के गन्दे पानी से उनका कभी भी लगाव नहीं था। अतः गन्दे पानी का छेदों द्वारा पानी के पाइप लाइन में जाने की सम्भावना नहीं हो सकती, खासतौर से जब पुलिया के दोनों तरफ के नाले के हिस्से पटे हुये थे और पानी का बहाव दोनों तरफ पाइप लाइनों से दूर पहले से ही रुक गया था।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि नाले में जो सड़न पैदा होती है, जो जहरीली गैसें पैदा होती हैं क्या वे वहां तक जा सकती थीं?

**श्री अध्यक्ष**—यह बड़ा टेक्नीकल सवाल है। आप यह सजेशन दे सकते हैं कि वे जांच करा लें और ऐक्शन लें। एक ही सवाल पर बहुत देर तक ठहरना भी ठीक नहीं है।

---

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

*१—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*२—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—[हटा दिया गया।]

*३—५—**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)—[३१ अगस्त, १९६१ के लिये प्रश्न ४—६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६—८—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

[२९ अगस्त, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—३—**श्री झारखंडेराय**—[हटा दिये गये।]

## सिंचाई प्रसार सेवाओं की स्थापना

*४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०—६१ में सिंचाई हेतु प्राप्त जल का अच्छे से अच्छा उपयोग करने की शिक्षा देने के उद्देश्य से सिंचाई प्रसार सेवाओं की स्थापना किये जाने की जो योजना थी क्या उसकी स्थापना दिनांक ३१ जनवरी, १९६१ तक की जा चुकी है? यदि हां, तो शिक्षा देने के लिये कितने शिक्षक किन—किन स्थानों पर नियुक्त हैं और शिक्षा देने की मुख्य—मुख्य बातें क्या हैं?

**श्री नवलकिशोर**—जी हां।

सिंचाई प्रसार सेवा की वित्तीय वर्ष १९६०—६१ में स्थापना की स्वीकृति ३१ मार्च, सन् १९६१ तक के लिये दी जा चुकी है।

इर्रीगेशन वर्क्स सर्किल गोरखपुर और चतुर्थ इर्रीगेशन वर्क्स सर्किल झांसी में जहां विभिन्न सिंचाई योजनाओं से लगभग ५·८४ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध है और पूर्णरूप से किसानों द्वारा उपयोग नहीं हो रहा है, एक एक कृषि अधिकारी २५०—८५०

रुपये के वेतन क्रम में और एक-एक एस० ए० एस० ग्रुप तीन का सुपरवाइजर ७५–१२० रुपये के वेतन क्रम में नियुक्त हुये हैं। सिंचाई की सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल वैज्ञानिक अनुसन्धान द्वारा प्राप्त नई-नई फसलों का प्रदर्शन कर किसानों को लाभ बताना और उनके बोने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करना, यही शिक्षा देने की मुख्य बातें हैं।

**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे मार्च, १९६१ के बाद से यह योजना चालू है, या बन्द कर दी गई?

**श्री नवलकिशोर**—जैसी चल रही थी वैसी अब भी चल रही है।

**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—इस योजना के सम्बन्ध में क्या एस्टीमेट्स कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है?

**श्री नवलकिशोर**—जी हां, एस्टीमेट्स कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि योजना की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जो जल उपलब्ध है उसको किसान इस्तेमाल नहीं करते?

**श्री नवलकिशोर**—जो सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सही इस्तेमाल नहीं करते।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सेवा के कार्यों को देखते हुये एस्टीमेट्स कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि उसकी आवश्यकता नहीं है?

**श्री नवलकिशोर**—यह बात सही है।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किसान लोग इसका सही उपयोग इसलिये नहीं करते हैं कि सिंचाई के रेट्स अभी ज्यादा हैं?

**श्री चरणसिंह**—नहीं, यह वजह नहीं है।

*५–६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*७–९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

## सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन के पदों पर नियुक्तियां

*१०—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में ट्रेसर व असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन पदोन्नत हो कर जो ड्राफ्ट्समैन बनाये जाते थे उनको अब इस प्रकार पदोन्नति न देने के कौन-कौन से कारण हैं?

**श्री राममूर्ति**—विगत वर्षों में क्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैन की कमी के कारण सिंचाई विभाग में असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन व ट्रेसर्स की नियुक्तियां ड्राफ्टसमैन के पदों पर की गई थीं। अब पर्याप्त संख्या में क्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैन उपलब्ध होने के कारण इस प्रकार की नियुक्तियां समाप्त कर दी गई हैं।

## सुयालबाड़ी पेय जल योजना

*११—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सुयालबाड़ी, पट्टी तल्ली कुटौली, जिला नैनीताल, में क्या कोई सिंचाई की गूल बनाई जा रही है? अगर हां, तो उससे कितनी भूमि सींची जायगी व उस पर क्या लागत होगी?

**श्री राममूर्ति**—जी नहीं।

**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम सुयालबाड़ी में सिंचाई गूल बन गई है जिसमें आधी गूल श्रमदान द्वारा बनाई गई है और आधी गूल के लिये सरकार सहायता देगी और उसके लिये १,८०० रुपये का चेक ग्राम सभा के सभापति को ३१ मार्च, १९६१ को दिया जा चुका है?

**श्री राममूर्ति**—कोई आबपाशी गूल तो नहीं बनाई गई है बल्कि इतना है कि सरकार पेय जल योजना का इन्तजाम कर रही है और उसके लिये पाइप लाइन इत्यादि डालने का इन्तजाम किया जा रहा है।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि वहां पर जमीन है या नहीं, लेकिन इस पर पहले तो सरकार राजी नहीं हो रही थी, आखिर में किसी तरह राजी हुई तो सभापति से एक इकरारनामा लिखा लिया कि ४ एकड़ जमीन बना देंगे तब रुपया दिया जाय, लेकिन अभी वह शर्त पूरी नहीं हुई और १,८०० रुपया पहले ही दे दिया गया?

**श्री राममूर्ति**—अध्यक्ष महोदय, जिस बात को माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसके सम्बन्ध में हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। अभी वहां कोई आबपाशी का काम नहीं किया जा रहा है, केवल पेय जल योजना के लिये इन्तजाम किया जा रहा है।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह पेय जल योजना कहां से आ रही है, कहां पानी जायगा, कितने लोगों को फायदा होगा और कितना खर्च उस पर किया जायगा?

**श्री राममूर्ति**—सुयालबाड़ी पेय जल योजना इसका नाम है, इसके हेड पर २,१०० गैलन पानी है और अल्मोड़ा से १० मील की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है।

## हड़सीला तथा गैरखेत ग्रामों को सरयू नदी के कटाव से बचाने की योजना

*१२—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हड़सीला गैरखेत गोलना, चेटाबगड़, असों, तल्ला दानपुर तथा परमटी आदि मल्ला दानपुर, जिला अल्मोड़ा को सरयू नदी के कटाव से बचाने की कोई योजनायें बनाई गई थीं, वे कब तक कार्यान्वित की जायंगी?

**श्री राममूर्ति**—हड़सीला तथा गैरखेत ग्राम को सरयू नदी के कटाव से बचाने के लिये जो योजनायें बनाई गई हैं उनको राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने अपनी ८ अगस्त, १९६१ की बैठक में स्वीकृत कर लिया है। तृतीय पंच वर्षीय योजना में इन कार्यों के लिये कोई प्राविधान नहीं है, अतः आवश्यक धन उपलब्ध होने पर इनको कार्यान्वित किया जायगा। इसके लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता।

असों गांव की रक्षा के लिये अभी योजना बनाई जा रही है और राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्वीकृति के बाद जब आवश्यक धन उपलब्ध होगा तो इसे कार्यान्वित किया जायगा।

शेष ग्रामों को बचाने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इन गांवों से मिला हुआ ही लोहार खेत है जहां ५७–५८ और ५९ में सरयू नदी के कटाव तथा पहाड़ों के गिरने से ४५ आदमी मरे तथा ५०० जानवरों की जानें गईं?

**श्री राममूर्ति**—मेरे पास इसका कोई आंकड़ा इस वक्त नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ८ अगस्त को बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने इन गांवों के लिये जो धन स्वीकृत किया है वह धन कब तक उपलब्ध हो जायगा और कब तक इस पर कार्य शुरू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---यह तो बतलाना मुश्किल है कि कब तक काम शुरू हो जायगा लेकिन जब धन उपलब्ध हो जायगा तो पहले ही यह जवाब दिया जा चुका है कि काम शुरू हो जायगा हड़सीला के लिये ४६,८६५ रुपया और गैरखेत के लिये १५,२५० रुपया स्वीकृत हुआ है। असों तथा उतरोरा की रक्षा के लिये ५५,००० रुपये की योजनायें विचाराधीन हैं।

*१३---श्री मदन पांडेय---[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

## बस्ती जिले में सिंचाई विभाग के सहायक इंजीनियर की मुअत्तली

*१४---श्री मदन पांडेय---क्या यह सत्य है कि गत मई के अन्तिम सप्ताह में जब सिंचाई मन्त्री, श्री राममूर्ति पूर्वी जिलों के दौरे पर गये थे तब उन्होंने कुछ अनियमितताओं के पाने पर इन्जीनियरों को मुअत्तल किया था? क्या ऐसे मुअत्तल लोगों में बस्ती जिले में नियुक्त इन्जीनियर व सहायक इन्जीनियर भी थे ?

श्री राममूर्ति---जी हां।

केवल एक सहायक इन्जीनियर थे।

*१५---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया मुअत्तल किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध जो आरोप हैं उन्हें सदन के सम्मुख रखेगी?

श्री राममूर्ति---अभी जांच हो रही है।

अतः आरोपों को सदन के सम्मुख रखना उचित नहीं होगा।

श्री मदन पांडेय---क्या इन आरोपों में कोई भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप भी थे ?

श्री राममूर्ति---जो आरोप लगाकर सरकार के सामने आये हैं वे अभी मेरे सामने नहीं आये हैं, अभी उन पर विचार हो रहा है, अभी उनकी जांच नहीं हो पाई है। मैं बस्ती गया था तो भ्रष्टाचार की बात नहीं थी बल्कि जो गूल वहां उनकी देखरेख में बनी थी वह ठीक नहीं बनाई गई थी। यह इन्जीनियर और ओवरसियर का काम है कि वह देखें कि जो भी गूल या नालियां बनें वह ठीक बनें, उनका बहाव और ढाल आदि ठीक हो। यह सब देखने में वह कासिर रहे और उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। इसी कारण से उनको सस्पेंड किया गया था।

श्री मदन पांडेय---क्या यह असिस्टेंट इन्जीनियर साहब जो मुअत्तल किये गये थे वह अभी तक मुअत्तल हैं और अब वह कहां पर रह रहे हैं?

श्री राममूर्ति---अभी तो वह मुअत्तल हैं और उनके कागजात सरकार की छानबीन और जांच में हैं और अभी अन्तिम फैसला नहीं हुआ है। दूसरे कायदा यह है कि मुअत्तली के दौरान में उनको स्टेशन पर ही रहना चाहिये जब तक कि वह दूसरी जगह रहने की इजाजत न ले लें, मैं नहीं कह सकता कि वह इस वक्त कहां पर हैं?

श्री गौरीशंकर राय---उन्होंने कहा कि गूल खराब बनी थीं तो उनमें क्या खराबी थी? वह नीचे से ऊपर की तरफ ढाल में थीं या उनमें कम सीमेंट लगाया गया था?

श्री राममूर्ति---गूल में खराबी यह थी कि जिस तरफ ढाल होना चाहिये था वह नहीं था और पानी ठीक नहीं चलता था।

**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—मंत्री जी ने कहा कि किन कारणों से इंजीनियर मुअत्तल किये गये हैं उनको सदन की मेज पर रखना उचित नहीं है....

**श्री अध्यक्ष**—वह तो जांच के लिये उन्होंने कहा।

**श्री मदन पांडेय**—यह जांच किस अधिकारी द्वारा हो रही है और वह अभी किस स्टेज पर है?

**श्री राममूर्ति**—जांच सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर गोरखपुर, ने की और उन्होंने उसके कागजात भेज दिये थे और चीफ इन्जीनियर के दफ्तर से वह कागजात अभी हाल में यहां आये हैं। इसलिये सरकार की छानबीन और जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस इन्जीनियर के विरुद्ध शिकायत मंत्री जी के पास किस माध्यम से पहुंची और मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं?

**श्री अध्यक्ष**—इसक बारे में तो वह बता चुके हैं।

*१६-१८—**आचार्य दीपंकर**—[८ सितम्बर, १९६१ के लिये प्रश्न २४-२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

## धर्मपुर बिशुनपुर के किसानों की फसल कट जाने की शिकायत

*२०—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धर्मपुर बिशुनपुर, थाना मधुवन, जिला आजमगढ़ के किसानों ने ६ सितम्बर, १९६० को जिलाधीश आजमगढ़ के पास थाने के कुछ सिपाहियों द्वारा फसल कटवाने की लिखित शिकायत भेजी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

**श्री चरणसिंह**—जी नहीं, ऐसा कोई शिकायती-पत्र जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२१—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या शिकायत करने वालों से बयान भी लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

**श्री चरणसिंह**—प्रश्न नहीं उठता।

*२२-२३—**श्री भजनलाल** [५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२४—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५-२६—**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

## कृषि विभाग में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के अधिकारी

*२७—**श्री भजनलाल**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग में कितने गजटेड अधिकारी कार्य कर रहे हैं? उनमें कितने हरिजन और कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं?

श्री नवलकिशोर—कृषि विभाग में कुल २८० गजटेड अधिकारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से १ अधिकारी हरिजन है तथा १ पिछड़े वर्ग का है।

श्री भजनलाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कृषि विभाग में २८० गजटेड अफसर जो कार्य कर रहे हैं उस में एक हरिजन और एक पिछड़े वर्ग का ही क्यों है ? उनकी संख्या अधिक क्यों नहीं है ?

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, कृषि विभाग के जो अधिकांश पद हैं वे टेक्निकल हैं और उन विषयों में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोग अभी कम शिक्षित हैं। इसी कारण से उन की संख्या कम है।

श्री भजनलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रार्थना-पत्र आने पर भी वह इन्टरव्यू में नहीं लिये जाते हैं और इसी कारण से वह इन पदों पर सेवा करने नहीं पहुंच पाते हैं ?

श्री नवलकिशोर—जो भी प्रार्थना-पत्र आते हैं उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्क्रूटिनी होती है, वह जिन को योग्य समझते हैं उनको अवश्य बुलाया जाता है।

श्री मदन पांडेय—कृषि विभाग में २८० में से केवल एक ही हरिजन और एक ही पिछड़े वर्ग के गजटेड अधिकारी हैं, तो क्या इस कम संख्या को देख कर सरकार की ओर से उसको बढ़ाने का कोई विशेष प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री नवलकिशोर—सरकार की तरफ से इस बात का प्रबंध किया जा रहा है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित जो कृषि महाविद्यालय तथा अन्य विद्यालय हैं उनके छात्रावासों में प्रत्येक ६ रिक्त स्थानों में से एक स्थान पर हरिजन अभ्यर्थी अवश्य रखा जाय। इस तरह के आदेश दिये गये हैं। इससे उनकी संख्या वहां अधिक हो जायगी और अधिक संख्या में जब पढ़कर आयेंगे तो उन्हें अधिक चान्स मिलेगा।

श्री राजनारायण—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गजटेड अधिकारी रखे गये हैं उनके लिये कितने हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों ने आवेदन-पत्र दिये थे ?

श्री चरणसिंह—२८० जो गजटेड अधिकारी हैं यह तो कोई २५–३० वर्ष से बराबर जो नियुक्तियां होती रही हैं तब से हैं। तो २५–३० वर्ष में किस-किस ने एप्लीकेशन दी थीं, यह बताना तो असम्भव है।

श्री राजनारायण—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट सन् १९५५ में आई, उसके बाद से कितने गजटेड आफिसर मुकर्रर हुये ?

श्री चरणसिंह—कुल २ हैं इस वक्त। अब उनमें से कौन सन् ५५ के पहले के हैं और कौन से बाद के, इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि सन् ५५ के बाद से कुल कितने मुकर्रर हुये, हरिजन और गैर-हरिजन सब मिलाकर ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

*२८–२९—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०–३२—कुंवर श्रीपालसिंह—[हटा दिये गये।]

*३३-३४—श्री रामस्वरूप वर्मा—[५ सितम्बर, १९६१ क लिये स्थगित किये गये ।]

*३५—श्री रामस्वरूप वर्मा—[हटा दिया गया ।]

*३६—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७-३८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

## भटहर ग्राम में सोशलिस्टों की सभा भंग करने तथा सोभारी हरिजन का घर लूटने की जांच

*३९—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री को जुलाई, १९६१ के प्रथम पक्ष में देवरिया के एक विधायक द्वारा ऐसी सूचना मिली है कि दिनांक ४ जुलाई, १९६१ को भटहर ग्राम, थाना खुखुन्दो, जिला देवरिया में आयोजित सोशलिस्ट पार्टी की सभा एक गुन्डे के गिरोह द्वारा भंग कर दी गई तथा सभा कराने वाले सोभारी हरिजन का घर लूट लिया गया ? यदि हां, तो मंत्री जी ने उस पर कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—जी हां । प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक १७ जुलाई, १९६१ को प्राप्त हुआ था ,जिसमें उक्त घटना का उल्लेख है । इससे संबंधित शिकायत के विषय में स्थानीय पुलिस द्वारा जांच कराई जा रही है ।

*४०—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

## देवरिया जिले में विभिन्न अपराध संबंधी घटनायें

*४१—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में १ जनवरी, १९६१ से १ जुलाई, १९६१ तक—(अ) कितने कत्ल हुये और कहां-कहां ? (ब) कितनी डकैतियां पड़ीं ? (स) कितनी चोरियां हुईं, और (द) कितने बलवे हुये ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९६ पर)

*४२—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

## नहर मांट ब्रांच पर सुनपेरा व मुहम्मदपुर के बीच पुल चौड़ा करने की प्रार्थना

*४३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि नहर मांट ब्रांच पर, कोठी बीजरपुर व चचूरा के बीच ग्राम सुनपेरा व मोहम्मदपुर केहरी के बीच पुल को चौड़ा किये जाने के आदेश सरकार द्वारा भेजे गये थे ? यदि हां, तो पुल अब तक किन कारणों से चौड़ा नहीं किया जा सका ?

श्री राममूर्ति—सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है । प्रश्नकर्ता का ही एक प्रस्ताव पुल को चौड़ा करने का था, जो विचाराधीन है ।

*४४—श्री रामचन्द्र विकल—[हटा दिया गया ।]

*४५—श्री रामचन्द्र विकल—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६—श्री त्रिलोकीसिंह—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४७-४८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

## डैम्स का सर्वेक्षण

*४९—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में कितने डैम्स का सर्वे हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग द्वारा ९ डैम्स का सर्वे हो रहा है ।

*५०—श्री प्रतापसिंह [५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

## अश्लील विज्ञापनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सुझाव

*५१—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि अथवा मुख्य बातें मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें अश्लील विज्ञापनों के विरुद्ध कदम उठाने के लिये भारत सरकार से राज्य सरकार को कहा गया है ?

श्री नवलकिशोर—भारत सरकार ने राज्य सरकार के पास अश्लील विज्ञापनों के विरुद्ध कदम उठाने के लिये कोई भी आदेश नहीं भेजे हैं ।

## नरहा तथा सदरपुर से सिंचाई की गलत इन्दराज की शिकायत

*५२—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत ग्राम नरहा तथा सदरपुर के ग्रामवासियों के हस्ताक्षर से दिसम्बर, १९६० तथा जनवरी, १९६१ में प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियंता, लोअर गंग कैनाल डिवीजन, मैनपुरी को मिले हैं जिनमें शिकायत की गई है कि उनके खेतों की आबपाशी गलत भरी गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—जी हां । इस सम्बन्ध में जांच की गई जिससे ज्ञात हुआ कि तीन खेतों को छोड़कर सभी खेतों की सींच ठीक लिखी गई है । तीन खेतों की सींच गलती से इन्दराज कर लेने के कारण सम्बन्धित पतरौल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पतरौल स्थानीय पार्टीबन्दी में पड़ा हुआ है और जो गलत सींच लिखी वह एक पार्टी के कहने से दूसरी पार्टी के खिलाफ लिख दी ?

श्री राममूर्ति—इसकी तो कोई इत्तला नहीं है कि वह पार्टीबन्दी में था । अगर था, तो उसके लिये सजा हो जायगी क्योंकि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया जा रहा है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या मंत्री जी इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में इस बात पर विचार करेंगे कि वहां से उसे हटा दिया जाय ताकि वह लोगों को कोई और ज्यादा नुकसान न पहुंचा सकें ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य का इसरार है तो हटा दिया जायगा ।

*५३-५४—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

## बाराबंकी जिले में थानेवार कत्ल

*५६—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में १ जनवरी, १९६१ से ४ अगस्त, १९६१ तक थानेवार कुल कितने, किन ग्रामों में किन-किन व्यक्तियों का कत्ल हुआ और उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९७–४९८ पर)

*५७—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५८–५९—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी) तथा श्री प्रतापसिंह—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

## एटा जिले के दो बीज गोदामों में गबन

*६०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित), श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा), श्री रघुवीरसिंह तथा श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले से सन् १९६० तथा ६१ में अब तक सरकार के पास कितनी ऐसी शिकायतें आई हैं कि जिले के बीज गोदामों में गबन हुआ है ?

श्री नवलकिशोर—सन् १९६० में एटा जिले के कृषि बीज गोदामों में गबन की कोई भी शिकायत नहीं पाई गई । सन् १९६१ में अब तक केवल २ बीज गोदामों में गबन की शिकायत प्राप्त हुई है ।

*६१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित), श्री गंगाप्रसाद वर्मा, श्री रघुवीर सिंह तथा श्री भूपकिशोर—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गबन कितने रुपये का हुआ और उसके लिये कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी था ?

श्री नवलकिशोर—उक्त मामलों में कुल १४,९१४ रु० ४३ नये पैसे का गबन हुआ । किन व्यक्तियों पर इसका उत्तरदायित्व है, इसकी जांच हो रही है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन स्टोरों पर गबन हुआ है ?

श्री नवलकिशोर—एक तो एटा बीज भण्डार के सुपरवाइजर ने किया है और दूसरा नाथपुरा बीज भंडार के सुपरवाइजर ने ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—मंत्री जी बतायेंगे कि एटा बीज भण्डार का सुपरवाइजर सस्पेंडेड है या अपने पद पर मौजूद है ?

श्री नवलकिशोर—एटा बीज भंडार का सुपरवाइजर सस्पेंड हो चुका है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एटा बीज भंडार पर जो गबन हुआ है वह सुपरवाइजर कुछ दिन पहले गबन करके फरार है और अभी तक नहीं मिल रहा है ?

श्री नवलकिशोर—यह बात सही है कि श्री जाफरी फरार हैं ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि इस गबन की जांच कौन अधिकारी कर रहा है और जांच होने में देर क्यों है ?

**श्री नवलकिशोर**---जहां तक एटा बीज भण्डार का संबंध है उसके सुपरवाइजर के खिलाफ दफा ४०९ आई० पी० सी० में मुकदमा दायर हो चुका है। चूंकि वह आदमी गैरहाजिर है लिहाजा उसके खिलाफ दफा ८७ और ८८ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की भी कार्यवाही की जायगी।

**श्री रघुवीरसिंह**---मंत्री जी को ज्ञात है कि इस इनक्वायरी में पार्टीबन्दी निभाई गई है ?

**श्री अध्यक्ष**---पार्टीबन्दी से क्या मतलब है इसको स्पष्ट कीजिये।

**श्री रघुवीरसिंह**---इनक्वायरी जो हुई वह निष्पक्ष नहीं हुई।

**श्री अध्यक्ष**---जिसके ऊपर आपका आक्षेप है ? अगर सरकार पर है तो मैं इजाजत नहीं देता क्योंकि पार्टीबन्दी का सरकार से क्या संबंध है।

**श्री रघुवीरसिंह**---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस इनक्वायरी में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हाथ डाला था इसलिये जांच निष्पक्ष नहीं हुई ?

**श्री चरणसिंह**---जहां तक हमारा इल्म है किसी पार्टी ने हाथ नहीं डाला, न किसी कांग्रेसी ने और न किसी गैर-कांग्रेसी ने। कम से कम सरकार के पास कोई सिफारिश किसी अधिकारी के लिये नहीं आयी है। अगर जिला स्तर पर कोई बात हो तो हमें माननीय सदस्य बतायें, उसकी जांच करा लेंगे।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---मंत्री जी बतायेंगे १४,९१४ रु० का जो गबन पकड़ा गया, किस अधिकारी ने पकड़ा है और किस जगह पर पकड़ा, अलग-अलग बतायें ?

**श्री चरणसिंह**---किस अधिकारी ने पकड़ा इसके लिये सूचना चाहिये।

**श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)---क्या यह सही है कि गबन करने वाला व्यक्ति वहीं बैठा है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है ?

**श्री चरणसिंह**---दो जगह पर, दो सुपरवाइजर्स ने, दो मुख्तलिफ बीज भण्डारों पर, । एक तो एब्सकांडेड है और दूसरे का ट्रांसफर हो गया है।

**श्री गंगाप्रसाद वर्मा**---मंत्री जी बतायेंगे कि २५-५-१९६१ को मैंने इसकी सूचना दी। पहले गबन को दबाया गया लेकिन जब मैंने यहां सवाल किया तब इसकी जांच हुई ?

**श्री चरणसिंह**---अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से गबन दबाने का कोई सवाल उठता नहीं है।

## प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---श्रीमन्, प्रश्नों के बारे में मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि कल सदन की बैठक और है और इस अधिवेशन में मैंने १८ जुलाई को अपने बहुत से प्रश्न भेजे थे। एक महीने बाद मुझ को उत्तर मिला कि कहीं अस्पष्ट है, कोई अनियमित है, इस प्रकार का लिख कर मुझे आ गया। नतीजा यह हुआ कि जवाब देने में कुछ टाइम लग गया और सारा अधिवेशन निकल गया और मेरा एक भी सवाल नहीं आ पाया। मैंने एक शिकायत दी है.....

**श्री अध्यक्ष**---यहां पर तो मैं जवाब दे नहीं सकूंगा।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर सिंचाई मंत्री उपस्थित हैं, पुलिस मंत्री उपस्थित हैं और उनके नाम के सभी प्रश्न मंगल के लिये स्थगित हो रहे हैं और मंगल को सदन बैठेगा नहीं, तो यह तो टालने की नीति है।

**श्री अध्यक्ष**—अब उसके लिये तो नियम बने हुये हैं। अगर उनको सूचना नहीं मिली तो एक दफा वह स्थगित कराने के लिये प्रार्थना कर लेते हैं और उसके बाद हर १५ रोज के बाद मैं उनको भेज दिया करता हूं। जो रूल है उसकी पाबन्दी तो करनी ही है।

## सदन में गोष्ठी करने पर आपत्ति

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—एक निवेदन यह करना है कि बहुत देर से देखते देखते जब मैं ऊब गया और धीरज का भी धीरज जब भागने लगा तब आपकी सेवा में मुझे आना पड़ा। माननीय भूतपूर्व मंत्री, श्री अली जहीर साहब और वर्तमान मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री और माननीय नेकराम शर्मा, ये अपनी एक गोष्ठी लगाये बैठे हैं और आपकी तरफ किसी की बांह है, किसी की पीठ है और सदन के दूसरे लोगों को इस में बहुत ही बाधा उत्पन्न होती है। करीब आध घंटे के ऊपर से मैं देख रहा हूं मगर एक सदन कई विभिन्न गोष्ठियों में नहीं बैठ सकता है।

**श्री अध्यक्ष**—माननीय वन मंत्री आपकी आवाज सुनते ही वापस आ गये।

## उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१

**श्री अध्यक्ष**—अब सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश कुछ सूचनायें देंगे।

**सचिव, विधान सभा**—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचना देता हूं कि सन् १९६१ ई० का उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, जो विधान सभा द्वारा ९ अगस्त, १९६१ को पारित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के २४ अगस्त, १९६१ को प्राप्त हो गया है।

## उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१

**सचिव, विधान सभा**—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचित करता हूं कि सन् १९६१ ई० का उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, जो विधान सभा द्वारा २ अगस्त, १९६१ को पारित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के २४ अगस्त, १९६१ को प्राप्त हो गया है।

## उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१

**सचिव, विधान सभा**—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचित करता हूं कि सन् १९६१ ई० का उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, जो विधान सभा द्वारा १० अगस्त, १९६१ को पारित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के २४ अगस्त, १९६१ को प्राप्त हो गया है।

## नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष**—अब मैंने कोई काम रोको प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन नियम ५२ के अनुसार यद्यपि एक ही प्रश्न उपस्थित करने की अनुमति मैं दे सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि जब कल सदन उठ रहा है, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न सामने मौजूद हैं और कुछ को मैंने कह दिया था कि वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में

[श्री अध्यक्ष]

उपस्थित करें तो मैं मुख्य मंत्री जी से जरूर यह सदन की इच्छा को बता देना चाहता हूं कि सदन यह चाहता है कि मंत्रिमंडल जितने प्रश्नों की इनमें से जानकारी हासिल कर सके, उतने की सूचना सदन को अधिक से अधिक जरूर दें। यह जरूरी नहीं है कि वह पूरी सूचना न दे सकें तो उसको मुल्तवी कर दें, बल्कि जितनी सूचना आज इन विषयों के बारे में उनको हो सके वह सदन को दे दें तो कुछ न कुछ प्रकाश पड़ जायगा, क्योंकि ध्यान आकृष्ट करने वाले जितने प्रश्न होते हैं उनमें ध्यान आकृष्ट करने का इरादा होता है, जिसमें कार्यवाही फिर मंत्री को करनी पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे मुकम्मल पूरक प्रश्नों के उत्तर के लिये तैयार होकर मंत्री जी को आना पड़ेगा बल्कि वह सूचना सदन को दे दें तो थोड़े बहुत प्रश्न सदस्यगण पूछ लेंगे। इसलिये मैं चार प्रश्न लेता हूं। एक तो श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी का है---अर्जुन बांध के टूट जाने से वहां भय उत्पन्न हो जाने से गांव वालों को बड़ा खतरा पैदा हो गया है और बहुत से लोग गांव को छोड़ कर चले गये हैं, यह उन का कथन है। इस संबंध में ध्यान आकृष्ट करने के बारे में जो प्रश्न है संबंधित मंत्री जी के पास सूचना के लिये भेज दिया गया है।

दूसरा श्री कल्याणचन्द मोहिले जी का है। इस संबंध में मेरे पास भी सीधा तार आया था। झूंसी में ५० के गरीब लाइसेंस्ड गुमटियों को पी० डब्लू० डी० ने बरसात के मौसम में उखाड़ दिया, जिससे बहुत से लोग बेघरबार के हो गये। इस तरह की सूचना मेरे पास आई थी और श्री कल्याणचन्द मोहिले, जो वहां के स्थानीय सदस्य हैं, वह भी कहते हैं कि ऐसी चीज हुई है। इस विषय में भी ध्यान आकृष्ट करने का सवाल है।

एक श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने दिया है कि ६ अप्रैल, १९६१ को माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री अंजनीवीर प्रसाद, डी० आई० जी० के मेडिकल कालेज में मरने के फलस्वरूप जो आश्वासन उनकी मृत्यु के कारणों की जांच करने का सदन में दिया था उसे पूरा नहीं किया, क्योंकि ४ जुलाई, १९६१ को जब श्री प्रसाद की धर्मपत्नी ने माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा तो ७ जुलाई, १९६१ को माननीय मुख्य मंत्री का उत्तर मिला कि वे इस मामले को विश्वविद्यालय की जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें।

उनका कहना यह है कि श्रीमती प्रसाद उपकुलपति महोदय के पास गईं तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई कमेटी नहीं है जिसके सामने तुम यह बयान वगैरह दो। इस संबंध में आप कल उत्तर दे दीजिये। इसकी जानकारी इस बेसिस पर हासिल करें कि कई कागजात माननीय सदस्य ने दिये हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री अपने कमरे में भी माननीय सदस्यों को सूचना दें तो कोई हर्ज नहीं होगा।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक निवेदन कर दूं कि हमारे पास इस संबंध में पर्याप्त सामग्री है। हमने मंत्री जी को पत्र लिखा था, उन्होंने कहा था कि मैं इसकी अवश्य जांच कराऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसी कोई जांच कमेटी है . . .

**श्री अध्यक्ष**---इस बात पर तो वे कल वक्तव्य देंगे।

**श्री राजनारायण**---श्रीमन्, मैं अपने को हाजिर करने के लिये तैयार हूं, जब उनको फुरसत हो और अगर वह सामग्री हम से लेना चाहें तो ले लें अगर इस पर भी वह हमें न बुलायें तो हम क्या करेंगे?

**श्री अध्यक्ष**---अच्छा, अब श्री भजनलाल जी का एक प्रस्ताव है जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्राम जूरन का पुरवा, थाना दिवियापुर, जिला इटावा के अन्तर्गत जमीन के संबंध में दो दलों में स्थानीय पुलिस की साजिश से संघर्ष हो गया, जिसके फलस्वरूप दोनों तरफ के व्यक्ति घायल हुये। उनका कहना यह है कि पुलिस की ज्यादती एक दल के लोगों के साथ हुई है

और औरतों की भी बेइज्जती हुई है । इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रश्न है । कल इस संबंध में जितनी जानकारी हासिल कर सकें उसकी सूचना देंगे ।

अब दो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हैं । इनको रामस्वरूप जी वर्मा तथा राजनारायण ने दिये थे । मैंने उनको संबंधित मंत्री जी के पास भेज दिया है, शायद वे उनके विचारार्थ हैं । इस संबंध में वह इनको अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की हैसियत से स्वीकार कर लें तो उचित होगा । अगर वह उस हैसियत से स्वीकार नहीं कर सकें तो नयम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य दे दें तो कोई एतराज की बात नहीं होगी ।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, क्या वह भी नियम ५२ के अन्तर्गत ले लिया जायगा ?

**श्री अध्यक्ष**—अगर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की हैसियत से वे स्वीकार नहीं किये गये ।

**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मेरे द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था मकान खुदवाने के संबंध में, जिसके लिये मंत्री जी ने कहा था कि बाद को जवाब देंगे । उसके बारे में भी अगर आप आज्ञा दे देंगे, तो बड़ी कृपा होगी ।

**गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)**—माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने यह बात पूछी थी कि दूसरे दिन कितना पुलिस फोर्स गया था । उस दिन मैंने कहा था कि इसको हम मालूम कर लेंगे। उसको हमने लिख दिया है और मैं उसको और मालूम कर लूंगा ।

**श्री अध्यक्ष**—कल आप उसकी सूचना दे दें ।

**श्री नवलकिशोर**—आने पर दे दूंगा ।

**श्री अध्यक्ष**—सूचना आने में कौन-सी दिक्कत होगी ? लखनऊ की बात है । बाहर की बात नहीं है ।

लखीमपुर जिले में थाना नीमगांव के थानेदार तथा पुलिस कप्तान द्वारा श्री बंशीधर शुक्ल को कत्ल कराने की आशंका के संबंध में माननीय सदस्य ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । मैंने उस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी थी, किन्तु यह कहा था कि गृह मंत्री इस विषय की शीघ्र जांच करके सदन में एक वक्तव्य दें ।

मैं समझता हूं कि चूंकि हम लोग उठ रहे हैं और कोई माननीय सदस्य समझता है कि उस की जान का खतरा है, और माननीय गृह मंत्री ने उसकी कुछ जांच की हो, तो उसके संबंध में आज वक्तव्य देना चाहें तो दे दें या कल दे दें ।

**गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, मुझे बयान देने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं कल बयान दे दूंगा । जब माननीय मित्र ने यह सवाल यहां उठाया था, इत्तिफाक से मैं उस समय सदन में नहीं था । मैंने अखबार में पढ़ा । यह सवाल उठाने से पहले भी गवर्नमेंट के पास आपकी शिकायत के ऊपर तहकीकात हो कर पूरी रिपोर्ट आ गयी थी । सदन में यह सवाल उठने पर फिर मैंने रिपोर्ट मंगायी । जो रिपोर्ट मेरे पास आयी है वह बहुत तफसील के साथ है । लेकिन वह ऐसी है जिसको कम से कम मैं हाउस में सुनाने से गुरेज करना चाहता हूं । अगर माननीय मित्र जोर देते हैं या आपका हुक्म हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य के लिये बड़ी डैमेजिंग रिपोर्ट होगी ।

**श्री अध्यक्ष**—अगर ऐसी चीज है तो संबंधित माननीय सदस्य गृह मंत्री जी के पास जा कर देख लें । अगर वह यह समझते हैं कि सदन के सामने वह पढ़ी जानी चाहिये तो पढ़ी जाय और नहीं तो गृह मंत्री जी उनको बता दें कि उनकी हिफाजत के लिये यह कार्यवाही हो रही है और चूंकि वह ऐसी रिपोर्ट है कि सामने नहीं आनी चाहिये तो उनको वहां खत्म कर देना चाहिये । उसको सदन में उपस्थित करने पर जोर न दें, प्रेस न करें । अगर प्रेस करते हैं तो माननीय गृह मंत्री के लिये कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा ।

**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मामले में गृह मंत्री जी के कथन का संबंध है, ऐसी डैमेजिंग रिपोर्ट बड़ी आसानी से आ सकती है। मैं यह जरूर चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से मामले की जानकारी करें। रिपोर्ट दें या न दें, लेकिन जानकारी तो कर लें। इतना मैं जानता हूं कि दफा ८२ का मामला और सारे मामले प्लान किये जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**—माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं। मैं प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**—एक बात और है। स्वायत्त शासन मंत्री से मैंने कहा था कि लखीमपुर जिले का ही एक प्रश्न था। वहां पर जो मकान गिराये गये, उनमें पक्के मकान गिराये गये या नहीं, यह प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने कहा कि उनको सूचना नहीं है। चूंकि माननीय सदस्य का आक्षेप था कि पक्के मकान भी गिराये गये और मंत्री जी ने शायद कहा था छप्पर वगैरह खाली हटा दिये गये। तो उसके लिये मंत्री जी को कल के लिये तैयार होकर सूचना स्पष्ट देना चाहिये।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—सीतापुर के बारे में डाक्टर अवधेश द्वारा दिये गये दफा ५२ के सवाल के संबंध में आपने कुछ नहीं कहा।

**श्री अध्यक्ष**—वह तो कल के लिये वैसे ही है।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—मैंने भी एक दिया था, ननकू पासी एक था उसके संबंध में। उसको आपने दफा ५२ में एलाऊ किया था और १६ सितम्बर, १९६० को उस पर वक्तव्य हुआ था। उसमें मंत्री जी ने कहा था कि पुलिस आफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मंत्री जी के आश्वासन पर मैं चुप हो गया था लेकिन अब सवाल के जवाब में कहा जा रहा है . . . .

**श्री अध्यक्ष**—लेकिन उसके बाद आपने कोई प्रश्न नहीं उठाया।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—परसों दिया था। वह तो फेमस कांड हो गया है। सारे देहरादून में आतंक का वातावरण है।

**गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)**—जी हां, वह साल भर पुरानी घटना है। उसके सिलसिले में सारी सामग्री मौजूद है। आपकी इजाजत हो तो कल बता दूं।

**श्री अध्यक्ष**—कल ही दे दीजियेगा।

**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—मैंने, श्रीमन्, जो 'ग्राम्या' के बारे में दिया था और अब मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करके भी पूछा है। उसकी सूचना विभागीय तौर पर लखनऊ से ही मिल सकती है। मंत्री जी मंगा कर दे देंगे, तो कृपा होगी।

**श्री अध्यक्ष**—अगर आपका अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है तो मैं उसको कल रख दूंगा।

## गाजीपुर, वाराणसी तथा मथुरा में हुई नाव दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

**श्री अध्यक्ष**—अब गाजीपुर शहर, वाराणसी तथा मथुरा में हुई नाव दुर्घटनाओं के संबंध में सर्वश्री पब्बरराम, रघुवीरराम, झारखंडेराय, गोविन्दसिंह बिष्ट तथा नारायण दत्त तिवारी द्वारा, दिनांक २१ अगस्त, १९६१ की नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री वक्तव्य देंगे।

**शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)**—(१) गाजीपुर में हुई नाव दुर्घटना:—

"१४ अगस्त, १९६१ को नवपुरा घाट पर अफीम के कारखाने के निकट एक देशी नाव, जो नवपुरा घाट से गाजीपुर की ओर जा रही थी और जिस पर लगभग ६०,७० व्यक्ति सवार थे नदी में डूब गई। १६ जीवित व्यक्ति एवं ४ लाशों को निकाला जा सका। उप-जिलाधीश द्वारा पड़ताल की जा रही है। नाव अन्तरिम जिला परिषद् की फेरी की बतायी जाती है। दुर्घटना से सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई संबंध नहीं है।

(२) वाराणसी में हुई नाव दुर्घटना—

ऐसी किसी दुर्घटना के घटित होने की सूचना सरकार को नहीं है।

(३) मथुरा में हुई नाव दुर्घटना:—

सरकार को प्राप्त सूचनानुसार १७ अगस्त, १९६१ को दिन में लगभग १२ बजे मथुरा से गोकुल की ओर जाती हुई एक व्यक्तिगत नाव, जिस पर ४८ व्यक्ति सवार थे जिसमें एक पंडा और एक मल्लाह भी थे, नये बन रहे पुल के एक खम्भे से नदी के तेज बहाव के कारण टकरा कर डूब गई। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये। इसके अतिरिक्त २ अन्य मल्लाहों ने भी जो विपरीत दिशा से जा रहे थे, लोगों को बचाने में काफी सहायता की। ३४ व्यक्ति बचा लिये गये जिनकी चिकित्सा व भोजन आदि की व्यवस्था की गयी। उनमें से २ व्यक्तियों की दशा, जो अभी चिकित्सालय में हैं, सुधार की ओर अग्रसर हो रही है। शेष मृत व्यक्तियों की लाशों की तलाश जारी है। नगरपालिका के अध्यक्ष को व्यक्तिगत नावों पर नियंत्रण करने के लिये उपनियम बनाने के हेतु आदेश दे दिये गये हैं। दुर्घटना से सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई संबंध नहीं है।

**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—माननीय मंत्री जी ने बताया कि गाजीपुर में जो नाव डूबी वह अन्तरिम जिला परिषद् की फेरी की थी जिस पर कि दुर्घटना हुई थी। तो क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का ही इन्तजाम तीनों घाटों, जिनमें से एक घाट सार्वजनिक निर्माण विभाग का है और दो अन्तरिम जिला परिषद् के हैं, पर है? इन तीनों का प्रबन्ध करीब-करीब एक ही एजेंसी के द्वारा जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का ठेकेदार होता है, हुआ करता है। उसी के पास इनका इन्तजाम भी रहता है और वह पैसा अन्तरिम जिला परिषद् को मिलता है। तो क्या यह सही है कि तीनों का कामन इंतजाम है और सिर्फ पैसा उन दो घाटों का अन्तरिम जिला परिषद् को मिलता है?

**श्री रामस्वरूप यादव**—श्रीमन्, इस वक्त की मेरी सूचना तो यही है कि नाव अन्तरिम जिला परिषद् की फेरी की बतायी जाती है, जांच हो रही है। उसकी रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आ सकी है। इसलिये यह बात पूरी तरह से कहना कि उन तीनों का प्रबंध कोई एक ही करता है, सम्भव नहीं है।

**श्री पब्बरराम** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार का ध्यान १४ अगस्त को टाउन हाल की शोक-सभा में नागरिकों के सर्वसम्मत प्रस्ताव की ओर गया है जिसमें उन्होंने नाव दुर्घटना की न्यायिक जांच, शहर के तीनों घाटों का प्रबंध, सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने तथा मृतक परिवारों को मुआविजा देने की मांग की थी? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

**श्री रामस्वरूप यादव**—श्रीमन्, सम्भव है अखबारों में मैंने भी पढ़ा होगा, लेकिन इस समय तो स्मरण नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक फेरीज का सम्बन्ध है अभी कोई ऐसा विचार नहीं है कि अन्तरिम जिला परिषद् से सब फेरीज सार्वजनिक निर्माण विभाग ले ले।

श्री रघुवीरराम—(जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दाराघाट के सामने जो स्टीमर चलता है उस पर अधिक किराया होने के कारण यात्री अधिक संख्या में नावों से आ रहे थे और यह नाव दुर्घटना होने पर ६० या ७० व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, स्टीमर का किराया ज्यादा था इससे दुर्घटना से तो कोई सम्बन्ध है नहीं, नाव में लोग सवार थे. . . .

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब है कि ज्यादा लोग थे. . . .

श्री रामस्वरूप यादव—इसके बारे में रिपोर्ट नहीं है। अभी जांच हो रही है कि कितनी कैपेसिटी थी, कितने लोगों को ले जाने की इजाजत थी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—इस नाव दुर्घटना की भीषणता को देखते हुये क्या सरकार इस बात पर और जल्दी निर्णय लेगी अथवा उस चीज को स्वीकार करेगी कि गाजीपुर में जो पक्का पुल बनाने की बातचीत चल रही है, या स्वीकार है, उसे स्वीकार कर लिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस समय तो मेरे पास वह थर्ड फाइव ईयर प्लान के आंकड़े नहीं हैं लिहाजा इसके लिये तो सूचना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग से नावें उलट रही हैं, आइन्दा ऐसी दुर्घटनायें बचाने के लिये कोई ऐसा प्रबंध करने पर विचार करेंगे, विशेष रूप से गाजीपुर या फैजाबाद जैसी जगहों पर, जहां सरकार रुपया भी वसूल कर रही है कि ज्यादा लोग नावों में न बैठाये जायं, और उन पर पाबन्दी रहे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, नियम और उपनियम बने हुये हैं और कोशिश हमेशा यही की जाती है कि उनका उल्लंघन न हो।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार को इसकी सूचना है कि गाजीपुर में जो ज्यादा सवारी होने के कारण नाव डूबी थी उस प्रकार से ज्यादा सवारियां बैठाने की कोशिश अब भी जारी है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में और कोई खतरा न हो उसके लिये कोई एहतियाती कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस विषय में तो आदेश भेजे जा सकते हैं कि इस ओर ध्यान रखना चाहिये कि कैपेसिटी से ज्यादा सवारी न बैठायें।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, गंगा नदी में जहां पर फेरी ट्रैफिक अधिक है जैसे बलिया जिले में उजियार घाट, उस का इंतजाम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और सरकार उसकी आमदनी अन्तरिम जिला परिषद् को दे दिया करती है, जिसका प्रबंध सार्वजनिक निर्माण विभाग पीपे का पुल बनाकर करता है तो क्या सरकार गाजीपुर में भी उसी प्रकार का अधिक ट्रैफिक और बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन का संगम देखते हुए ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि गाजीपुर शहर के सामने टैम्पोरेरी पीपे के पुल की व्यवस्था हो सके और उसका पैसा अन्तरिम जिला परिषद् को सरकार दे दे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जहां तक पीपे के पुल का प्रश्न है उसके बनाने में बहुत खर्चा होता है। यदि अन्तरिम जिला परिषद् तैयार हो और अपना धन सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दे, तो इस पर विचार किया जा सकता है। पहले अन्तरिम जिला परिषद् को इस तरह का प्रस्ताव भेजना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार, इस बात को मानते हुये कि जान माल की हिफाजत करना सरकार का कर्त्तव्य है, बतलायेगी कि क्या कारण है कि इस दुर्घटना में ७० आदमियों की मृत्यु हो गई और इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि उन्होंने क्षमता के बाहर सवारियों को बैठाया था या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह १४ अगस्त की घटना है। एस० डी० एम० जांच कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई है। मैं नहीं कह सकता कि अभी जांच पूरी हुई है या नहीं।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—सरकार को मालूम है कि नियमों का पालन नहीं होता है और अक्सर दुर्घटना हो जाती है। तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी जिससे प्रत्येक नाव में कितने आदमी बैठें, वह कितने नीचे जाय, यह सब लिखित हो, और इसकी जांच की जा सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—नार्दर्न इंडिया फेरीज़ ऐक्ट में नियम बने हुये हैं। हर नाव के बारे में यह निर्धारित होता है कि वह इतनी सवारी ले जा सकता है। उल्लंघन का दूसरा प्रश्न है जो आमतौर पर हुआ करता होगा, उसको रोकने के लिये जिला परिषद् के अफसरों को जाना चाहिये। वे घाट इतनी दूर होते हैं कि चेकिंग के लिये हर जगह पहुंचना उनके लिये सम्भव नहीं हो सकता है।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—क्या सरकार को मालूम है कि मल्लाहों के रोकने के बावजूद भी गाजीपुर की दुर्घटना में बहुत से मुसाफिर जबरदस्ती नाव पर बैठे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस दुर्घटना के बारे में अभी मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट नहीं आई है। यह देखा गया है कि जबरदस्ती भी लोग नाव में बैठते हैं। मैंने स्वयं ऋषिकेश में देखा है कि गीता भवन वाले रोकते हैं लेकिन फिर भी लोग बैठने की कोशिश करते हैं।

श्री रघुवीरराम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ठेकेदारों की ढंग से व्यवस्था न होने के कारण यह दुर्घटना हो रही है ? क्या उनको यह सूचना है कि स्टीमर में तीन-तीन नाव जोड़कर यात्रियों को उतारा जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अव्यवस्था का तो पता नहीं है, लेकिन दुर्घटनाएं जरूर हो रही हैं। यह सम्भव हो सकता है कि ज्यादा आदमी बैठने की वजह से या नाव में छेद होने की वजह से दुर्घटना होती हों, यह रिपोर्ट आने पर बतलाया जा सकता है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नाव दुर्घटना में डूबी है उसमें जो यात्री थे, वह मथुरा जिले के रहने वाले थे या अन्य जिले के रहने वाले थे और उनके ग्राम, नाम क्या थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह मालूम नहीं है कि वे लोग कहां के रहने वाले थे। हो सकता है मल्लाह मथुरा जिले के रहने वाले हों।

श्री गौरीशंकर राय—क्या गाजीपुर के घाट का ठेकेदार, जिसके सम्बन्ध में प्रत्येक मंत्री जानता है, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य है, बलिया से लेकर बांदा तक के घाट लेता है और सैकड़ों बार घाट के नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद भी ठेका उनको ही दिया जाता है और ३६ हजार रुपया घाटों के सम्बन्ध में उनको माफी मिली है?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मुझे तो जानकारी नहीं है कि वह सूबा कांग्रेस कमेटी का सदस्य है, लेकिन नियम के अनुसार ठेका सब से अधिक बोली वाले को मिलता है और उसको ही देना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को देखते हुये कि इन दुर्घटनाओं में बहुत अधिक आदमियों की जानें जा रही हैं, बड़े-बड़े घाटों पर पुलिस की तैनाती करेंगे जबकि बरसात में इन घाटों पर अधिक आना-जाना हो ?

श्री रामस्वरूप यादव—हर जगह आर्थिक संकट का प्रश्न आयेगा। हर जगह पुलिस का इस तरह से भेजना सम्भव नहीं है। यह बात जरूर है कि यह कोशिश की जा सकती है कि नाव ठीक हो और नियम के अनुसार जितने आदमियों के बैठने की इजाजत हो उतने ही बैठें। इस बात के आदेश भेजे जा सकते हैं कि नियम का पालन होना चाहिये।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन घाटों के ठेकेदार श्री गोरखप्रसाद हैं और उनको २५,००० रुपये की छूट दी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात को जानती है कि यात्री मल्लाहों के मना करने पर भी नावों में बैठ जाया करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन घाटों पर पुलिस अथवा किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था लागू करने की कृपा करेगी कि जिससे क्षमता से अधिक यात्री किसी नाव पर न बैठ सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने उत्तर दे दिया कि यह संभव नहीं है। इस प्रदेश में बहुत-सी नदियां हैं और बहुत से घाट हैं। यह संभव नहीं है कि हर घाट पर चौकीदार बैठाया जाय। हां, यह संभव हो सकता है कि आदेश दे दिये जायं और उनकी चेकिंग होती रहे।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुये कि गाजीपुर में उस क्षेत्र में दो-एक दुर्घटनायें पहले भी हो चुकी हैं और इसी को देखते हुये वहां की जनता ने और सभी दलों ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, इस बात की मांग की थी कि वहां एक पुल का निर्माण किया जाय, तो क्या प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से वहां पुल बनाने के लिये प्राथमिकता दिलाने की कोशिश करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। लेकिन पुल बनाने में यह भी ध्यान रखा जाता है कि वहां से कितने लोग पार उतरते हैं। इसके लिये भी मुझे नोटिस चाहिये कि पुल के लिये कोई बातचीत चल रही है या नहीं।

श्री पब्बरराम—मंत्री जी को यह ज्ञात होगा कि गाजीपुर शहर में तीन घाट चलते हैं जिनमें दो अंतरिम जिला परिषद् के हैं और एक पी०डब्लू०डी० के नियंत्रण में है। पी०डब्लू० डी० वाले घाट पर २५ नये पैसे किराया लगता है और अंतरिम जिला परिषद् वाले घाटों पर ५ नये पैसे लगता है। तो इस नाव दुर्घटना का प्रमुख कारण यह है कि लोग २५ नये पैसे न देकर ५ नये पैसे में ही पार जाना चाहते हैं और मल्लाहों को इस बात का लालच रहता है कि वे अधिक से अधिक पैसा शेयर में पा सकें इसलिये वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो इस बात को देखते हुए क्या सरकार इन तीनों घाटों को पी० डब्लू० डी० के नियंत्रण में देने की बात पर विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—हर घाट को पी०डब्लू०डी० में लेने से खर्च बहुत होता है और इस विषय में अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मथुरा में नाव चलाने वाले मल्लाह थे या नौसिखिया नाव चलाने वाले थे ? क्या इसकी जांच हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नाव तो एक व्यक्तिगत सज्जन की थी और मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वे मल्लाह थे। उस जिले के पुराने नाव चलाने वाले ही मल्लाह कहलाते हैं। वे कहीं बाहर से नहीं आते।

**श्री गौरीशंकर राय**—मैं स्वयं गाजीपुर कुछ दिन पहले गया था। मुझे मालूम है और सरकार को भी शायद मालूम होगा कि पी०डब्लू० डी० का जो घाट है वहां गर्मियों के दिनों में नदी बहुत कम चौड़ी रह जाती है और उस समय भी ठेकेदार नियमों के खिलाफ स्टीमर चलाता है, ताकि उसे ज्यादा पैसा मिले और उससे ज्यादा पैसा मिलता भी है। इसलिये तमाम लोग अन्तरिम जिला परिषद् के घाट पर चले जाते हैं। उन घाटों पर भी उसी ठेकेदार का ठेका है। इसलिये उसे घाटे का कोई सवाल नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जो उनके पी०डब्लू०डी० के घाट हैं वहां पर अन्तरिम जिला परिषद् के बनाये हुये नियमों को भंग न किया जाय और वे नियमित रूप से चलें ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—यह ठीक है कि पी० डब्लू० डी० के घाट नियमित रूप से चलने चाहिये। अब अगर वे अनियमित रूप से चल रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि नाव पर कैपेसिटी लिखी रहती है। तो क्या वे यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो नाव गाजीपुर में डूबी है उसकी कैपेसिटी क्या थी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—जांच हो रही है, उसके बारे में अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि उसकी कैपेसिटी क्या थी।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो फेरी वाले हैं यह वहां से कांग्रेसी टिकट पर लोक सभा के लिये उम्मीदवार हैं ?

**श्री अध्यक्ष**—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

## कानपुर के लारी पार्क में राष्ट्रीय झंडा फाड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

**श्री अध्यक्ष**—अब आइटम नं० ७ जो है, कानपुर के लारी पार्क में राष्ट्रीय झंडा फाड़ने के सम्बन्ध में, श्री गोविंदसिंह विष्ट द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत, दिनांक २१ अगस्त, १९६१ को दी गयी सूचना पर माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

**गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)**—अध्यक्ष महोदय, श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने नियम ५२ के अन्तर्गत पाकिस्तान के समर्थक जासूसों का सर्वत्र प्रदेश में फैलने तथा उनके कथित कार्यों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अपने नोटिस में ४ घटनाओं का जिक्र किया है। उस सम्बन्ध में यह कहना आवश्यक है कि इन घटनाओं में से ३ घटनाओं के बारे में सदन के सम्मुख आवश्यक सूचना रखी जा चुकी है फिर भी यह उचित होगा कि उन तथ्यों को सूक्ष्म रूप से दोहरा दिया जाय।

पिछले ४–५ महीनों में राज्य के कुछ स्थानों पर काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ (explosive material) आदि पकड़ा गया था। २४–२–६१ को सीतापुर में हाजी अल्ताफ हुसेन नामक व्यक्ति के पास से १२ पेटियां पकड़ी गयी जिनमें २० मन ३० सेर पुटैशियम क्लोरेट था। हाजी अल्ताफ हुसेन इन पेटियों की डिलीवरी मेहरोत्रा ट्रांसपोर्ट कम्पनी, सीतापुर से लेकर माल को ठेले पर ले जा रहे थे। इन्हीं हाजी अल्ताफ हुसेन के कब्जे से ९ मार्च, १९६१ को १३ पेटियां और बरामद हुईं जिनमें २७ मन १० सेर पुटैशियम क्लोरेट था। इन दोनों मामलों की जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द की गई। जांच से पता लगा है कि यह पेटियां बम्बई की एक फर्म से मंगाई गई थीं और माल "बेरीटा" पाउडर के नाम से भेजा गया था। सी०आई०डी० की जांच करीब-करीब पूरी हो चुकी है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही केस का चालान हो जायगा।

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने इस बारे में कई बार यहां सदन में आपका ध्यान आकर्षित किया है कि यहां पर मंत्री लोग और मुख्य मंत्री भी अपनी फाइलों आदि को देखा करते हैं और जो विषय यहां सदन में चला करता है उसकी ओर उनका ध्यान नहीं रहता। सदन की कार्यवाही की तरफ वे ध्यान नहीं देते, और अपना दूसरा कार्य करते रहते हैं जबकि हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम २८६ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सदन में अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिये। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं.....

**श्री अध्यक्ष**---वह नियम क्या है उसे भी तो आप पढ़ दें।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---नियम यह है २८६ (१)---"ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो।" इसके अन्दर यह भी आ जाता है कि सरकारी फाइलें भी न देख सकेगा। क्योंकि एक समय पर मस्तिष्क में दो काम नहीं हो सकते। या तो नोटिंग का काम हो सकेगा, या जो कार्यवाही हो रही है उसका अनुमोदन होगा। यह प्रथा बहुत रोज से जारी है। विशेष तौर से जब मुख्य मंत्री ऐसा करते हैं तो अन्य मंत्री भी वैसा ही करेंगे। मैंने देखा कि पहले एक गड्डा समाप्त हो गया, अब दूसरा आ गया तो मुझे बरदाश्त के बाहर हो गया।

**न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)**---मैं तो सैलाब के मुताल्लिक पढ़ रहा हूं। अभी मुझे जवाब देना है। मुख्य मंत्री को कई सवालों का जवाब देना पड़ता है, लिहाजा बहुत सी फाइलें पढ़नी पड़ती हैं।

**श्री अध्यक्ष**---सदन में जो कार्य होने वाला है उसके सम्बन्ध में कोई बात हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे.....

**मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**---आपने आज कई चीजें बतला दीं, इसलिये मुझे कल ३-४ प्रश्नों का उत्तर देना है। मैंने अपने उप-मंत्री को भेजा था कि जाकर कागजात निकलवायें। कुछ उन्होंने निकलवाये, तो उन्हें पढ़ रहा था, क्योंकि कल ही जवाब देना है।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---यानी ये तत्कालीन विषय से संबंधित नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष**---सवाल यह है कि जब थोड़ी-सी ढील हम उनसे चाहते हैं कि ४-४ सवाल और ५-५ सवाल का जवाब दें, तो थोड़ी-सी ढील आपको भी देनी चाहिये।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---लेकिन यह क्रम रोज रहेगा तो यह संसद की प्रथा का पालन नहीं होगा।

**श्री अध्यक्ष**---रोज नहीं चलेगा। अब गृह मंत्री वक्तव्य जारी रखें।

**श्री नवलकिशोर**---दिल्ली में जिला बुलन्दशहर के रहने वाले एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद, उससे सूचना पाने पर वहां की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस की सहायता से जिला बुलन्दशहर, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। २७ अप्रैल, १९६१ को सहारनपुर में बलराज राय, मनोहर लाल के कब्जे से ७,००० पौण्ड एक्सप्लोजिव बरामद हुए जिसमें ३,५५६ पौंड "थ्री डाउन क्रैकर्स," २४६ चैम्पियन क्रैकर्स, १,२०० पुटपुटिया और कुछ पोटैशियम क्लोरेट और फास्फोरस था, तथा अन्य आतिशबाजी का सामान शामिल था और जो इस फर्म के लाइसेंस में नियत की हुई मात्रा से अधिक था। इसी फर्म के गोदाम से ८ मई को ४ बक्से और ९ बोरों में एक्सप्लोजिव आदि पकड़ा गया। इन की जांच के बाद ४ व्यक्तियों के विरुद्ध सेक्शन १९, आर्म्स ऐक्ट, सेक्शन ६ एक्सप्लोजिव्स ऐक्ट और सेक्शन ६

प्वाइजनस सब्सटैंसेज ऐक्ट के अन्तर्गत चार्जशीट २१-६-६१ को भेज दिया गया है। इन व्यक्तियों के नाम मनोहरलाल, बलराज राय, दुर्गादेवी और बिहारी लाल हैं। इसके अतिरिक्त नजीबाबाद, जिला बिजनौर और गंगोह, जिला सहारनपुर में भी थोड़ी मात्रा में पटाखे और पोटैशियम क्लोरेट बरामद हुआ। हापुड़, जिला मेरठ में तलाशी पर कुछ बरामदगी नहीं हुई। इन सब मामलों की पुलिस जांच कर रही है और अब तक की जांच से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है, जिससे यह कहा जा सके कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य या इसमें किसी विदेशी सरकार का हाथ है। यह एक्सप्लोजिव आदि आतिशबाजी के लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन या ऐसी आतिशबाजी बनाने के हैं जिसमें पोटैशियम क्लोरेट इस्तेमाल किया गया।

दूसरी घटना जिसका उल्लेख नियम ५२ के नोटिस में किया गया है वह २९ मार्च, १९६१ को काउन्सिल हाउस के ऊपर से राष्ट्रीय झंडे को फाड़ने की है। इस सम्बन्ध में उसी दिन मुख्य मंत्री सदन के सम्मुख एक वक्तव्य दे चुके हैं। इस राष्ट्रीय झंडे को जिस व्यक्ति ने फाड़ा वह सचिवालय में मोहम्मद शफी नामक चपरासी है जो इस घटना के पूर्व भी व्यवहार सामान्य (नार्मली बिहेब्ड) नहीं था। फरवरी के महीने में ही डाक्टरी जांच को लिखा गया था। झंडे को फाड़ने के बाद यह चपरासी नीचे आया और विधान सभा के नोटिस आफिस के सामने स्थित वृत्ताकार (कारिडर) में काम करने वाले एक कर्मचारी को उसने दांत से काटा। जब इस व्यक्ति को पकड़ना चाहा तो विधान परिषद् के एक सदस्य के बीच में पड़ने पर मौका पाकर मुहम्मद शफी विधान सभा से निकल भागा। पुलिस को खबर की गयी। मुहम्मद शफी को पुलिस ने हिंसात्मक (वायलेंट) पाने पर गिरफ्तार किया और ल्यूनेसी ऐक्ट के अधीन डाक्टरी जांच के लिये जेल भेजा। इसको दिमागी तौर पर डिरेंज्ड पाया गया, जिस पर उसको मेंटल हास्पिटल, आगरा में रखा गया। वहां से कुछ दिनों बाद डिस्चार्ज हुआ। अब उसको फर्दर मेडिकल आब्जर्वेशन के लिये भेजा जा रहा है, ताकि निश्चय किया जा सके कि यह नौकरी के लायक है या नहीं। तीसरी बात जिसका जिक्र नोटिस में है वह खाकसारों के बारे में है। इस सम्बन्ध में हाल ही में ८ अगस्त, १९६१ को मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया था। यह सम्भव है कि कानपुर के खाकसारों का उत्तर प्रदेश में खाकसार आन्दोलन को पुनः चालू करने में हाथ रहा हो, परन्तु इस बात का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला कि वह विदेशी सरकार की ओर से जासूसी काम करते हैं; यह भी सही नहीं है कि हाल ही में दिल्ली में हुये मुसलिम सम्मेलन में कानपुर के खाकसारों की गिनती सब से अधिक थी। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि मुसलिम सम्मेलन के साथ खाकसारों की कोई विशेष सहानुभूति थी।

कानपुर में, पिछले १५ अगस्त, १९६१ को राष्ट्रीय झंडे के सम्बन्ध में जो घटना हुई थी वह इस प्रकार है—तारीक पुत्र बाबा खिजर मुहम्मद व अन्य चार, पांच व्यक्तियों ने मुहल्ला पटकापुर में लगे हुये राष्ट्रीय झंडे को हटाया। यह झंडा स्वतन्त्रता दिवस के समारोह के सम्बन्ध में लगाया गया था। तारीक के पिता ने इस झंडे को स्थानीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को लौटा दिया। यह झंडा फाड़ा नहीं गया था, हालांकि उस पर दो जगह पर कटने के निशान हैं। इस सम्बन्ध में धारा ३७९, १२४, ए० भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत एक केस रजिस्टर किया गया है और पुलिस द्वारा उसकी जांच हो रही है। तारीक का कुछ दिन पता न लगने पर दफा ८७-८८ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और २३-८-६१ को तारीक अदालत में अपने को समर्पण कर चुके हैं। इस आरोप का कोई प्रमाण नहीं है कि तारीक को पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले लोगों ने बचाने की चेष्टा की या इन कथित सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के पास कोई गैरकानूनी वस्तुयें हैं।

सरकार इस सम्बन्ध में विशेष सचेत है और आवश्यकतानुसार जहां भी हो सिक्योरिटी मेजर्स लिये जाते हैं। सदस्य महोदय ने जितनी घटनाओं का उल्लेख किया है उनमें से किसी भी घटना का सम्बन्ध पाकिस्तानी एजेंटों से नहीं है। ऐसे आरोपों से अकारण सनसनी पैदा होती है। मैं आशा करता हूं और सदस्यगण मुझसे सहमत होंगे कि इस प्रकार की बातें फैलाना जनहित में ठीक नहीं है।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने बम्बई की जिस फर्म का नाम बताया है उस फर्म का ताल्लुक पाकिस्तान और अमेरिका से भी है ?

**गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)**---अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने बम्बई का जिक्र किया है इसलिये मैं समझता हूं कि उसका मतलब सीतापुर वाले केस से है। उस के बारे में यह बताया गया कि जो सामान सीतापुर की फर्म ने मंगाया था वह बम्बई की एक फर्म से आया था, लेकिन उस बम्बई की फर्म की कोई ब्रांच अमेरिका और पाकिस्तान में भी है, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि दारुल-उल-उलूम में अभी हाल ही में इन्हीं दो तीन दिनों के भीतर पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा गया है ?

**श्री चरणसिंह**---अध्यक्ष महोदय, इसका इल्म मुझे नहीं है। सहारनपुर में जो तलाशी ली गई थी उसमें तो हिन्दू लोग पकड़े गये थे। इसलिए दारुल-उल-उलूम में जो पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा गया है उसका सम्बन्ध सहारनपुर वाली तलाशी से नहीं हो सकता।

**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---अभी जो और जगह विस्फोटक पदार्थ पकड़े गये, वह किसी एक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पकड़े गये, तो क्या उससे पुलिस को यह भी पता लगा कि इसके पीछे कोई राजनैतिक उद्देश्य या किसी विदेशी शक्ति का हाथ उसके पीछे मालूम पड़ा ? यदि विदेशी शक्ति का हाथ अथवा राजनैतिक उद्देश्य नहीं था तो क्या उनका कोई सामाजिक उद्देश्य था जैसे चोरी, डकैती वगैरह जिसके लिये कई स्थानों पर सामान पकड़ा गया ?

**श्री चरणसिंह**---जी नहीं कोई संगठित मूव इसके पीछे नहीं था। ये सब अलाहिदा-अलाहिदा थे और उसके पीछे आर्थिक लाभ था।

**श्री मदन पांडेय**---अभी माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट संकेत किया था कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के फलस्वरूप यह जानकारी हुई और जिसकी बिना पर तलाशियां ली गई। तो क्या माननीय मन्त्री जी उसके बयान की मुख्य-मुख्य बातें बतायेंगे।

**श्री चरणसिंह**---बयान तो उसका बहुत लम्बा है, लेकिन उससे एक बात का तो पता चल ही जाता है कि उसके पीछे कोई कान्सपिरेसी, फारेन पावर या कोई सबवरसिव ऐक्ट के लिये एक्सप्लोसिव्ज इकट्ठे किये गये थे, ऐसी बात नहीं है।

**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि वनीला पाउडर के नाम से ये एक्सप्लोसिव्ज जिस फर्म ने बम्बे से भेजे थे, उसका नाम क्या है ?

**श्री चरणसिंह**---उस फर्म का नाम है जमाल हुसैन अली हुसैन कामर्शियल चेम्बर, बम्बई।

**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---क्या गृह मन्त्री जी को मालूम है कि हमारे प्रदेश में एक पाकिस्तानी एजेंट को फोबिया नाम का मर्ज हो जाता है जिसकी वजह से इस मर्ज के मरीज यहां पाकिस्तानी एजेंट के रूप में रहते हैं और जिनकी शल्यवादी प्रवृति से देश और प्रदेश का अहित हो रहा है ?

**श्री अध्यक्ष**---यह तो आम सवाल है।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर के जिस शख्स ने झंडा फाड़ा उसका पिता क्या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हैं ? यदि हां, तो किस पार्टी से उसका सम्बन्ध है ?

**श्री अध्यक्ष**—यह तो उसमें लिखा हुआ है ।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—मैं कहता हूं कि वह कांग्रेसी है, मेरा यह एलिगेशन गलत है या सही है ?

**श्री अध्यक्ष**—उन्होंने स्वीकार किया कि उसका तो लड़कों से सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उसको फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। जो आपने कहा उससे उन्होंने कोई इन्कार नहीं किया।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि कानपुर में जो बारावफात का जुलूस निकला उसको खाकसार लीड कर रहे थे ?

**श्री चरणसिंह**—बारावफात के जुलूस में या उसके किसी फंक्शन के सिलसिले में खाकसारों का कोई विशेष हाथ था, इसकी कोई सूचना मुझे आज नहीं है।

**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या माननीय मन्त्री जी का ध्यान आज से कुछ रोज पहले अखबारों में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है, जिसमें निकला था कि बोहरे जाति के लोग हैं जिन की ये दूकानें हैं तथा इनकी दूकानें पाकिस्तान में भी हैं ?

**श्री चरणसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कोई समाचार नहीं पढ़ा। माननीय मित्र ने मेरा ध्यान उस ओर दिलाया है तो मैं उसको अवश्य पढ़ लूंगा और आवश्यकता हुई तो मजीद तहकीकात करा लूंगा। लेकिन आपकी इजाजत से मैं इतना बतला दूं कि कुछ दिन पहले कुंवर श्रीपाल सिंह ने एक सवाल किया था कि वह कौन-सी बम्बई की फर्म है जिससे हाजी अल्ताफ हुसैन, सीतापुर निवासी ने यह सामान मंगवाया था। जब उन्हें इसका नाम बतलाया गया तो उससे उन्होंने एक नतीजा निकाला। आपकी इजाजत से मैं उनको बतला दूं कि सन ५९ में दीपक ट्रेडिंग कम्पनी ने उसी फर्म से सामान मंगाया था जिससे सीतापुर निवासी, हाजी अल्ताफ हुसैन, ने मंगाया जोकि एक मुस्लिम फर्म है।

**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो राष्ट्रीय झंडे की बेइज्जती की बात कही गई, वह झंडा किस जगह पर लगाया गया था और किस कारण से उसको नीचे उतार कर फाड़ दिया गया ?

**श्री चरणसिंह**—लारी पार्क, मुहल्ला पटकापुर में।

**श्री अध्यक्ष**—वे पूछते हैं कि क्यों फाड़ा गया ?

**श्री चरणसिंह**—यह तो फाड़ने वाला ही बतला सकता है ।

**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि झंडा किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाया गया था या किसी प्राइवेट स्थान पर, या किसी के मकान पर लगाया गया था या किसी बाग में लगाया गया था ?

**श्री चरण सिंह**—मैं तो बतला चुका हूं कि लारी पार्क में लगा हुआ था, जो एक सार्वजनिक स्थान है ।

**श्री मदन पांडेय**—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि यह झंडा दो लड़कों के आपसी झगड़े के फलस्वरूप उतारा गया और बाद में उसके पिता ने उसको वापस कर दिया ?

**श्री चरणसिंह**—यह दो लड़के झगड़ रहे थे और इसलिये झंडा उतारा गया, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बात नहीं है। झंडा तो उतारा गया और उसने उसको अपने घर पर रखा। वह समझता था कि यह जुर्म है और यह समझ कर ही वह गायब हो गया था और तलाशी ली गई तो उसने कई दिन बाद अपने को सरेंडर किया।

**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध में विस्फोटक पदार्थों की खबर जनसंघ को कैसे मिली और वह कैसे इन चीजों की जानकारी रखता है?

**श्री अध्यक्ष**—वह कोई किसी के पेट में थोड़े ही बैठे हैं।

**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस ने यह झंडा उतारा वह कौन साहब थे, उनका नाम क्या था और क्या वह दिल्ली के मुसलिम कनवेंशन में भी गये थे?

**श्री अध्यक्ष**—आखिर के ही भाग का जवाब दें, नाम तो बताया जा चुका है।

**श्री चरणसिंह**—दिल्ली जाने की तो इत्तिला नहीं है, लेकिन उनका नाम मय वल्दियत के पहले बताया जा चुका है।

**श्री गौरीशंकर राय**—यहां सेक्रेटेरिएट में जिसने झंडा फाड़ा था वह पागल था और उसे आगरा भेजा गया था, फिर यही कहा जा रहा है कि यह ठीक है या नहीं, तो जिस पागलपन में लोग बार-बार मुखतलिफ बात कर के झंडे का अपमान करते हैं ऐसे लोगों को भी आगरा या बरेली भेजने की व्यवस्था वह करेंगे?

**श्री अध्यक्ष**—मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या मन्त्री जी ऐसे ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले रहे हैं जिससे हर साल १५ अगस्त को हमारे राष्ट्रीय झंडे का जो अपमान होता है और वह भी सार्वजनिक स्थानों पर विधान सभा जैसे स्थानों पर हो रहा है और उसे ऐसे लोग जो इस सदन के सदस्य हैं वह बचा रहे हैं कि जिस झंडे के लिये हमने प्राणों तक की बाजी लगाई थी उसकी बेइज्जती न हो?

**श्री चरणसिंह**—अव्वल तो सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि राष्ट्रीय झंडे का अपमान बड़े पैमाने पर हो रहा है या किसी छोटे पैमाने पर भी हो रहा है। किसी चपरासी ने कहा गया कि अपमान किया था, लेकिन मैं बता दूं कि वह वाकया २९ मार्च का है और २१ फरवरी को ही जिस विभाग का वह चपरासी था उसके सम्बन्धित आफिसर ने सिविल सर्जन को लिख दिया था कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, आप मुआयना करके रिपोर्ट दें और उसके लिये ९ मार्च को उन्होंने फिर रिमाइन्ड किया था। उसके बाद २९ मार्च को यह घटना हुई। तो यह तो निश्चय ही था कि उसका दिमाग साउन्ड नहीं था। इस तरह के २-१ ईवेन्ट्स से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि कोई बड़े पैमाने पर या किसी छोटे पैमाने पर ही राष्ट्रीय झंडे का अपमान हो रहा है, ऐसा कहना गलत है, जहां तक कार्यवाही की बात है नेशनल झंडे का अपमान जुर्म है और ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—जब दिल्ली में बुलन्दशहर के आदमी पकड़े गये तो उस सम्बन्ध में दिल्ली से केन्द्र की सी० आई० डी० के आदमी एस० डी० ओ० के पास आये, तो वहां के एस० डी० एम० ने उन लोगों को अपने यहां बैठाये रखा और अपने चपरासी को खुरजा भेज कर उन आदमियों को भगा दिया। क्या यह सत्य है?

**श्री अध्यक्ष**—मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---राष्ट्रीय झंडे के विशेष महत्त्व को ध्यान में रखते हुये क्या मन्त्री महोदय कोई ऐसे नियम बनायेंगे या बनाने की राय देंगे कि गैर-जिम्मेदार लोग आम चौराहों पर और सार्वजनिक सड़कों पर राष्ट्रीय झंडे को बिना वजह न लगाया करें?

श्री चरणसिंह---जी नहीं गवर्नमेंट कोई ऐसा विचार नहीं रखती। १५ अगस्त, और २६ जनवरी ऐसे शुभ दिवस हैं कि हर आदमी को हर जगह उस झंडे को लगाने का अधिकार है और होना चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिसने राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है या उसे उतारा है, वह किस पार्टी का आदमी था?

श्री अध्यक्ष---कानपुर में जो किया है उसके बारे में पूछ रहे हैं?

श्री टीकाराम पुजारी---जी हां।

श्री चरणसिंह---जिसने अपमान किया वह तो मालूम होता है कि किसी पार्टी का नहीं है और उस पार्टी का कहा जा सकता है जिस पार्टी के सारे मुजरिम होते हैं।

## १९५७-५८ के अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के अतिरिक्त व्यय की मांगों पर मतदान होगा। इसमें यही रिवाज रहा है कि अनुदानों को एक-एक करके उपस्थित कर दिया जाय। आम बहस इसमें नहीं होती। मैं समझता हूं कि लोग चाहते हैं कि आज भी बाढ़ पर कुछ थोड़ी बहुत बहस हो जाय। तो समय....

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---डेढ़ बजे तक इसके ऊपर आम विवाद करा देने के बाद....

श्री अध्यक्ष---आम बहस तो इसमें होती ही नहीं है....

श्री मदन पांडेय---आधे घंटे में दो-तीन लोग बोल लेंगे...

श्री अध्यक्ष---आज शायद आम बहस की मुझे इजाजत देनी पड़े, क्योंकि १ बजे से २ बजे तक वोटिंग हो नहीं सकता, यह दिक्कत आ गई है।

एक तरकीब अच्छी है सेक्रेटरी ने अभी मुझे बताई, एक-एक ग्रांट पेश हो जाय और उसके ऊपर बहस हो जाय, वोट न लिया जाय। सब ग्रांटों को मूव कर दिया जाय और आखिर में २ बजे वोट हो जायं....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---सारी ग्रान्ट्स उपस्थित कर दी जायं। हम लोग इकट्ठा कह लेंगे।

श्री अध्यक्ष---यह ज्यादा अच्छा है।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)---मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३७,६८,८६४ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री राममूर्ति---मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०---सिंचाई स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत ४,६१,०८२ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---इस पर बोलने वाले अन्त में बोलेंगे या प्रत्येक पर बोलने को मौका है ?

**श्री अध्यक्ष**---एक साथ बोलेंगे। प्रस्ताव हो जायेंगे फिर बोलना शुरू करेंगे तो सबके ऊपर बोल सकते हैं।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---१०-१० मिनट का समय रखा जाय, श्रीमन् ।

**श्री अध्यक्ष**---ठीक है, १०-१० मिनट, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ७ मिनट ही रहें।

**न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)**---श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५---न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ८४,०४७ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

**विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)**---श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९---परिवहन विभाग के अन्तर्गत १,३७,८५२ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

**शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)**---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत ५६,७६,१३६ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

**श्री रामस्वरूप यादव**---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता है कि अनुदान संख्या ३३---सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १,५६,९४४ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा**---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६-प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्चे के अन्तर्गत ५३,८३५ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

**खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)**---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२---असाधारण व्यय के अन्तर्गत ९१,७५७ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

**श्री राममूर्ति**---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४---राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन के अन्तर्गत ६४,४३,४०५ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

**श्री अध्यक्ष**---(माननीय पद्माकरलाल से) आप सभी अनुदानों पर बोल सकते हैं और दस मिनट का समय होगा आपके लिये।

**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इन अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का, जो वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के सम्बन्ध में रखी गई हैं, विरोध करता हूं। इन मांगों को आज सदन में प्रस्तुत करके सरकार ने अपने चार साल पहले के किये हुये जुर्म को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की है। जनतन्त्र के सर्व-मान्य सिद्धान्तों और मर्यादाओं में मूल सिद्धान्त यह भी है कि इस सदन ने जो रकम एक विभाग को एक साल के बजट में स्वीकार की थी उससे एक पैसा भी ज्यादा खर्च करने का हक सरकार को नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कोई सरकार, जो अपने को प्रजातांत्रिक सरकार कहने का दावा रखती है, उसके द्वारा इस प्रकार सदन की मन्जूरी के विपरीत अनियमित रूप से और गैर कानूनी खर्चा करना कभी भी क्षम्य नहीं है और ऐसी सरकार अपने को प्रजातांत्रिक नहीं कह सकती है। इन तरीकों से प्रजातन्त्र का दिन दहाड़े गला घोटा जा सकता है।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी नारायण बंसल पीठासीन हुये।)

मैं अपने समर्थन में पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस को कोट करता हूं, उसके पृष्ठ ६६० में दिया हुआ है—

"An "excess vote" is the result of a department spending more money than has been voted for its service. This is a financial sin, and the department in question, having had to answer for its conduct to the Treasury and appeared before the Public Accounts Committee has then to get absolution from the Committee of Supply."

इसका अर्थ यह है कि जितनी धनराशि की स्वीकृति पार्लियामेंट ने दी थी उससे अधिक का खर्चा करके उस संबन्धित विभाग ने बहुत बड़ा जुर्म किया था जो अक्षम्य है। हम देखते हैं कि आज से चार साल पहले सन् १९५७–५८ का बजट पास हुआ था। जो मेमोरेन्डम हमारे सामने इन मांगों को प्रस्तुत करते हुये पेश किया गया है उसमें यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद २०५(१) के अन्तर्गत विधान सभा के समक्ष कुल जो १,६८,७३,९५७ रुपये की अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं और जिनका विवरण अनुसूची में दिया गया है। इनके लिये यह कहा गया है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह सिफारिश की है कि इन खर्चों को विधान सभा में प्रस्तुत करके इनको वैधानिक रूप दिला दिया जाय। मैंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की उस रिपोर्ट को देखा है। उसने इस बात की सिफारिश अवश्य की है कि ये खर्चे नाजायज हो चुके हैं और सम्बन्धित विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपनी अधिकार सीमा के परे जाकर यह खर्चा किया गया है, जिसका हवाला आडिट रिपोर्ट और आडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी है, उनको रेगुलराइज कर लिया जाय।

आपकी आज्ञा से, मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज की सरकार को इस बात का कानूनी हक नहीं है कि चार साल पहले जो नाजायज खर्चे अधिकार सीमा के बाहर जाकर किये गये हैं उनको आज विधान सभा में इस तरह की मांग पेश करके जायज करार दिलाये। मैं पुनः मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की शरण लेना चाहता हूं और उसके पृष्ठ ६९६ की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं। उसमें लिखा है—

"The title of this class of estimate attests the nature of the grants ; and to place on record a permanent disapproval of these departmental excesses, the Commons resolved, 30 March, 1849, that"when a certain amount of expenditure for a particular service has been determined upon by Parliament, it is the bounden duty of the department which has that service under its charge and control, to take care that the expenditure does not exceed the amount placed at its disposal for that purpose."

इसका तात्पर्य है कि बृटिश हाउस आफ कामन्स ने एक प्रस्ताव द्वारा ऐसे हर विभागीय खर्चे को अनियमित बताया और इस तरह की चेतावनी विभागीय अधिकारियों को दी कि काफी सतर्कता इस सिलसिले में बरती जानी चाहिये कि खर्चा स्वीकृत धनराशि से आगे न बढ़े। इसके अतिरिक्त पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की सिफारिश कब हो, किस समय हो, कितने दिन के अन्दर वह हो जानी चाहिये और यह नाजायज खर्चा कितने दिनों के अन्दर रेगुलराइज कर देना चाहिये वह भी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में अंकित है। सन १९५७–५८ का खर्चा अगर आने वाले वर्ष में, यानी १९५८–५९ के मार्च के अन्त तक पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी अगर अपनी सिफारिश दे दे तो सदन के अन्दर प्रस्तुत करके उसे रेगुलराइज कराया जा

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

सकता है। इस सम्बन्ध में उस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन १९ मार्च, १९६० को दिया है। अगर यह प्रतिवेदन मार्च, १९५९ में आ गया होता, तो मैं यह कह सकता था या यह सदन मंजूर कर सकता था कि जो जनतांत्रिक मर्यादायें और सिद्धान्त हैं उनके अन्तर्गत यह कार्य है। धनराशि कोई छोटी नहीं है। एक करोड़ ६८ लाख ७३ हजार ९५७ रु० अधिक खर्च कर दिये गये हैं। २, ४, १० रुपये होते तो कोई बात नहीं थी। यह भी देखने की बात है कि ये रुपये किस मद में खर्च किये गये हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट की ग्रांट नम्बर २९ को सदन के सामने रखता हूं। इसमें लिखा है कि ३५० गाड़ियों के बाडीज़ बनाने के लिये सामान खरीदा गया था, लेकिन केवल ३०१ गाड़ियों की बाडीज़ ही बन सकीं। यह, श्रीमन्, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट का दिवालियापन है कि बजट में उसने अन्दाज़ लगाया और सदन से स्वीकृत प्रदान की गई कि इतने रुपये में ३५० बाडीज़ बनेंगी, लेकिन केवल ३०१ ही बन सकीं। इसको आगे रोक देना चाहिये था। मान्यवर, आपको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष जुलाई-अगस्त तथा फरवरी-मार्च में दो बार सप्लीमेंटरी बजट आता है और उसमें ऐसे खर्चों का प्राविधान होता है जो अधिक खर्च हो जाय जिसकी पहले से उम्मीद न हो। श्रीमन्, इन खर्चों की मदों की व्यवस्था सप्लीमेंटरी बजट में न कर के सरकार ने अपना दिवालियापन दिखाया है।

मान्यवर, इसी प्रकार ग्रांट नम्बर ३६ को देख लिया जाय। इसमें लिखा है कि—

"Territorial and Political Pensions and Privy Purses to Indian Rulers—

The excess was due to the fact that a large number of pensions and lump sum grants than was anticipated were sanctioned during the last quarter of the financial year 1957-58. The expenditure, moreover, is of a fluctuating and unforeseen nature."

मान्यवर, यह व्यक्तिगत तजुर्बा है कि जब फायनेंशियल ईयर में ३-४ महीने बाकी रह जाते हैं और अगर हम किसी राजनीतिक पीड़ित की पेंशन के लिये मंत्री जी के पास जाते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि इस साल का हमारा बजट समाप्त हो गया है। इसलिये अगले साल अमुक व्यक्ति को पेंशन देने के संबंध में विचार करेंगे। इसमें तो हमारा बजट समाप्त हो गया है, लेकिन यहां पर इंडियन रूलर्स की प्रिवी पर्स देने के लिये जब ३-४ महीने रह जाते हैं तब अधिकार सीमा से बाहर जा कर ऐसे काम करते हैं और हमसे कहा जाता है कि इस १९५७–५८ की रकम पर जो अधिक खर्च कर दी गई है सदन अपनी मुहर लगा दे। ऐसे ग़लत काम पर सदन अपनी मुहर क्यों लगा दे?

इसके बाद, श्रीमन्, ग्रांट नम्बर ४२ को देख लीजिये। इसमें असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा आर्डीनरी चार्जेज़) का सवाल है। वह इस प्रकार है कि—

"Extraordinary charges—The excess was partly due to inadequate provision and partly on account of non-inclusion due to oversight of provision for certain additional staff."

क्या सरकार ने कभी इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि यह ओवरसाइट किस की है? कौन ऐसे गैर-जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वजह से सरकार को ऐसी परिस्थिति में पड़ना पड़ा है और कौन ऐसे लोग हैं जो अपने महकमे में बैठकर अधिकार सीमा से बाहर जाकर ऐसे गलत काम करते हैं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो एक्सेस ग्रांट सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं मैं उनका विरोध करता हूं। यह अतिरिक्त अनुदान फिर से प्रस्तुत हो गये हैं। आज से पहले के सेशन में हम लोगों ने बड़ी भारी रकम पास की थी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन इसी अनुपात से अगर हम पास करते जायं और सरकार की मांग बढ़ती जाय तो १२ महीनों में इस नाम पर कि ऐसे खर्चे का अन्दाजा नहीं था या खर्च कर चुके थे १२ करोड़ रुपये मांगे जायंगे। यह कोई नई बात नहीं है। इसमें घुमा-फिरा कर पैसा मांगा जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर सदन यह पैसा क्यों दे ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—यह १९६०–६१ का नहीं है। यह आप का खयाल गलत है।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—कम से कम इसमें कुछ नयी मदें हैं। यह एक्सेस ग्रांट है। मैं आप के जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हम खर्च करने के लिये क्यों गये। जब सरकार यह मान चुकी है कि हमारा उद्देश्य समाजवादी सिद्धांत की स्थापना करना है तो आखिर जो यह खर्चा हुआ उससे जनता को लाभ हुआ या नहीं। इसका एक ही उत्तर मिलेगा कि जो पैसा इस सरकार के जरिये खर्चा हुआ उसका दुरुपयोग हुआ। जिस धारा का जिक्र किया गया उसका मंशा यह नहीं है कि सरकार जो कुछ भी ग़लत काम करे, भारतीय संविधान की धारा के मुताबिक सदन से पास करवा ले।

एक तो सरकार जो खर्चा करती है, उसका कोई सही प्लान नहीं है। अभी क्वैश्चन आवर में एक बांध के सिलसिले में कहा गया कि एक लाख रुपये में वह बना और पांच लाख रुपया उसकी मरम्मत में खर्चा हुआ। इससे बढ़ कर अयोग्यता इस सरकार की हो नहीं सकती। यह निश्चित है कि यह सरकार इतनी अयोग्य सिद्ध हो चुकी है कि इस सदन को एक पैसा भी स्वीकार नहीं करना चाहिये जिसको वह खर्च करे। न यह सरकार ग़रीबों को राहत दे सकी और न बेकारों की बेकारी दूर कर सकी। एक कर्मचारी जो ऊंचा वेतन लेता है, ५५ वर्ष के बाद आधी तनख्वाह पेंशन के रूप में पाता है। पोलिटिकल सफरर जिसने देश के लिये अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उसके लिए सरकार २० रुपये से ७५ रुपये तक पेंशन निर्धारित करती है। ७५ रुपये मासिक तो उसको दिये जाते हैं जो हाइली क्वालिफाइड हो और ऊंचे दरजे का जेल यात्री हो। अधिकतर लोगों को २०–२५–३० रुपये पेंशन मिलती है। वह पोलिटिकल सफरर जो देश के नाम पर जेल में सड़ता रहा, देश के लिए उसने कुर्बानी की, उनके लिए कोई ठिकाना नहीं है। बार-बार सिफारिशें की जाती हैं, लेकिन जांच करने के बाद उसकी तनख्वाह चूल्हे भाड़ में पड़ जाती है। सरकार को चाहिए कि वह कोई ऐसी नीति निर्धारित करे कि इस प्रदेश में जीवन निर्वाह के लिए, चाहे पोलिटिक्ल पेंशन हो या राज-कर्मचारी पेंशन हो, आखिर किसी आधार पर उसको देखे। यह सरकार इस मुल्क को बेच डालेगी। यह देश धीरे-धीरे गरीबी के गर्त में गिरता जा रहा है जिससे पार पाना कठिन है।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द ने एक पुस्तिका निकाली थी, जिसमें बताया था कि पिछले दस वर्षों में इस प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया है। यह सरकार स्वयं अपने आप कबूल कर चुकी है कि हमने उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए कुछ नहीं किया। वह पुस्तक मेरे पास इस समय नहीं है। न पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, न विकास के कार्यों से कोई विशेष लाभ हुआ है। जो प्लानिंग कमीशन का फैसला था उससे आगे न बढ़ कर पीछे चले गये हैं। इसी कारण से क्या हम सरकार को खर्च करने के लिये दें ? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस उत्तर प्रदेश के किसान का क्या कसूर है ? सरकार इसको भूमि पर अधिकार नहीं देना चाहती जब कि लगान अधिक लेती है। यह सरकार उसकी गाढ़ी कमाई को टैक्स के नाम पर वसूल करती है और उसको मनमाने तौर पर खर्च करती है। उस किसान का क्या कुसूर है ?

कई बार सदन में भी प्रश्न उठाया गया कि आप इस देश में जब समाजवाद की स्थापना स्वीकार कर चुके हैं तो सीरदारी और भूमिधरी आदि की श्रेणियों को तोड़ कर एक श्रेणी बनाइये और उन सब का एक लगान कर दीजिये, लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक इस देश का किसान इस सरकार को इस पद से ही न हटा देगा। जब हट जायगा तब यह प्रश्न ही कहां उठेगा कि सरकार करे या न करे, लेकिन सरकार को हटाना आवश्यक है।

[श्री व्रज नारायण तिवारी]

इस सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूं कि वह पोलिटिकल पेंशन किस आधार पर दे रही है ? इस मुल्क का अर्थशास्त्र देखिये। यह देश गरीब है और जो कोई भी इस देश की सेवा करते हैं, चाहे वह चपरासी हों या गवर्नर हों, उनको क्या पारितोषिक उसकी सेवा के लिये मिलना चाहिये यह अवश्य उसी हिसाब से होगा। जितनी ऊंची-ऊंची तनख्वाहें आज दी जा रही हैं उसके लिये हमसे एकसेस ग्रांट मांगा जा रहा है। मुकदमेंबाजी में जो गलतियां होती हैं और सरकार के विरुद्ध जिन मुकदमों में फैसला होता है उस को जो व्यय देना पड़ता है वह प्रदेश को देना पड़ता है। इन सब बातों से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। इसलिये मैं इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सरकार को खर्च करने के लिये एक पैसा और एक धेला भी नहीं देना चाहिये, क्योंकि यह मनमाना खर्च करती है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का विरोध करता हूं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रथा चली आती है कि जब कोई अनुदान किसी विषय का होता है उसको खर्च करने के बाद लोक लेखा समिति में, जो इस आदरणीय सदन द्वारा बनाई गई है, उसके सामने अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है। जहां एकाउन्टेंट जनरल साहब अपना सारा हिसाब पेश करते हैं और जिनमें जितना इस आदरणीय सदन ने स्वीकार किया था उससे अधिक व्यय किया गया है उसको रेगुलराइज करने के लिये वह यहां आते हैं। उसी को एक्सेस ग्रांट की संज्ञा दी जाती है, लेकिन इसमें एक सैद्धांतिक सवाल यह है कि इसमें एक मदप्रभृत यानी चार्ज्ड है उसको भी रखा गया है। इसके पीछे एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। मतदेय तो हम यहां एक्सेस ग्रांट में ला सकते हैं, लेकिन जो चार्ज्ड एमाउन्ट है उसके लिये कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। मेरे खयाल से आदरणीय महालेखापाल और कम्पट्रोलर जनरल के बीच में यह बात है और पता नहीं उसमें क्या हुआ है। अगर माननीय मंत्री जी को मालूम हो तो उससे अवगत कराने की कृपा करें कि जो चार्ज्ड एमाउंट है वह कैसे ऐक्सेस ग्रांट में आ गया।

प्रभृत मद जिसके लिये मैं कहता हूं वह १९५७–५८ का है और आडिट रिपोर्ट १९५८–५९ की है। इसमें पेंशन ऐंड एलाउन्सेज फार पोलिटिकल कंसीडरेशंस (Pensions and Allowances for political considerations) में साढ़े ६ लाख की ओरिजिनल ग्रांट थी उसमें कमी पड़ी और फिर पौने तीन लाख उसमें दे दिया गया और ४१ हजार ४ सौ रुपया रिएप्रोप्रियेट करने के बाद ८० हजार ८ सौ ९१ रुपये फिर देना पड़ा जिसके लिये सरकार यहां पर आयी है ? यह क्या बात है ? १९५७–५८ की यह बात है। एलेक्शन के तुरन्त बाद यह क्यों हुआ है। उधर के बैठने वाले सरकारी सदस्य हैं विशेषकर जो मंत्रिगण हैं वह अपने क्षेत्र में प्रामिज कर के आते हैं और मतदाताओं को तुष्ट करने के लिये promises किये जाते हैं। उसको करने के बाद इसको यहां इस तरह से पेश किया जाता है। इस फैग एन्ड पर पोलिटिकल पेन्शन्स क्या कारण है ? कारण यह है कि मतदान में मतदाताओं के मत को खरीदा गया था और ऐसे व्यक्तियों को उसके बाद पोलिटिकल पेंशनें दी गयी थीं। उसी वर्ष में, लीजिये पेंशनें दी गयीं। किनको, जो कभी एक बार भी जेल गये नहीं, नाम मैं गिना सकता हूं। कभी कृष्ण भवन के जिन्होंने दर्शन नहीं किये, उन लोगों को ६०–६० और ७५–७५ रुपये पेंशनें दी गयीं और उसी वर्ष में अधिक रुपये बटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से वोट इकट्ठे किये थे। दूसरा कोई कारण इसका नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे भी उदाहरण हैं, श्रीमन्, जिस बुढ़िया का अकेला लड़का तथा सारा नरसिंह गोरों की गोली से स्वतंत्रता संग्राम में मारा गया था, मगर उसकी मां, भूखो मर गई। हमने उसके लिए लिखा-पढ़ी भी की, लेकिन पोलिटिकल पेंशन उस बुढ़िया को नहीं मिली और वह ऐसे ही मर गई। उसकी बहन आज पागल सी हो कर दर- दर भीख मांगती है। ऐसे और भी कई उदाहरण हमारे पास मौजूद ह, लेकिन यहां पर तो सरकार यह समझती है कि एक्सचेकर तो हमारे हाथ में है

हम जैसे चाहें उसको बांटें। विरोधी दल या अन्य जनता का कोई उस पर कंट्रोल का अधिकार नहीं, बल्कि टैक्स को अदा करने का उनका अधिकार है।

दूसरी तरफ इसी आडिट रिपोर्ट में एक दूसरी चीज़ और आती है, चूंकि समय कम है, दस मिनट में....

**श्री अधिष्ठाता**—७ मिनट हैं १० मिनट नहीं।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—लीडर्स को तो दस मिनट हैं शायद, कल कुछ ऐसा तय हुआ था।

**श्री अधिष्ठाता**—जी नहीं, सबके लिये ७ मिनट हैं।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—बहुत अच्छा। तो उसमें कुछ टग्स खरीदने की बात का भी जिक्र है कि कुछ टग्स खरीदे गए। उनको खरीदने के पूर्व उनकी कोई ज़रूरत है या नहीं इसका पता नहीं लगाया गया। पहली फाइल में जो हुक्म हुआ, श्रीमन्, वह आज्ञा यह है कि खरीद लिये जायं और खरीद किससे लिये जायं? सीधे माननीय हाकिम मुहम्मद इब्राहीम ने हुक्म दे दिया कि इन्हें खरीद लो मेसर्स क्रूसो इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता से। यानी ऐसा भी कहीं देखा नहीं होगा कि न कुछ बात न चीत न कहीं से कोई डिमांड न इर्रीगेशन से, न पी० डब्ल्यू० डी० से न और कहीं से, सीधे खरीदने का हुक्म बिस्मिल्ला से शुरू होता है कि २० टग्स २४–२४ हजार के शायद थे, खरीद लो फिर उसमें लिखा गया कि अब फाइल फाइनेंस डिपार्टमेन्ट को भेजी जाय। उसमें नियम यह भी था कि स्टोर परचेज़ डिपार्टमेन्ट के मातहत ही खरीदारी हो सकती है। तो उसमें लिखा गया कि फाइनेंस डिपार्टमेन्ट से अनुमति लेने के बाद इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट को भी दिखा दिया जाय। तो अब चूंकि हम माननीय मंत्री जी हुक्म कर चुके थे तो फाइनेंस डिपार्टमेन्ट क्या करता, उसने भी लाचारी दर्जे अपनी अनुमति दे दी और जब अनुमति दे दी तो इंडस्ट्रीज़ को फाइल नहीं दिखायी गयी। स्वामीनाथन उद्योग के तत्कालीन सेक्रेटरी थे। उन्होंने इसका बहुत विरोध किया लेकिन टग्स ले लिए गए कलकत्ते से और अब उनकी रिपोर्ट आती है कि केवल उसमें से दो वर्किंग आर्डर में थे। २२ निकम्मे थे। उनमें से २० ले लिए गए जिनका किसी का उपयोग नहीं हो सका। खर्चा उनके ऊपर इतना था कि एक मील के लिए ढाई गैलन पेट्रोल उन पर खर्च होता था। तो वह किसी काम में नहीं आये। केवल समुद्र के काम के वह थे नदी में वह काम नहीं आ सकते थे। तो हमारे ऊपर तो रात दिन माननीय मंत्री जी यह आरोप लगाने से परहेज नहीं करते कि जनसंघ एक साम्प्रदायिक दल है और इसको हम कुचल देंगे लेकिन साम्प्रदायिक कौन है? हमारे सामने यह सारी बातें आयीं। हमने यह प्रश्न किया था कि यह कौन थे, कहां के थे, किस फर्म से खरीदा था तो कंट्रेक्टर का नाम सेक्रेटरी ने बताया था मेसर्स क्रूसो इजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता....

**श्री अधिष्ठाता**—माननीय सदस्य क्या पब्लिक एकांउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं?

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—उसकी रिपोर्ट तो हम पढ़ सकते हैं, वह सदन में पेश हो चुकी है।

**श्री अधिष्ठाता**—लेकिन इस वक्त तो अतिरिक्त मांगों पर बहस है।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—उसी साल का यह भी है। तो he was a muslim gentleman उत्तर सचिव ने कमेटी में दिया और उन्होंने यह भी तस्लीम किया था कि he may be in Pakistan now यानी पाकिस्तान के निर्माताओं में एक इस्फहानी साहब थे, तो इस्फहानी का एक नौकर हाफ़िज़ जी का दोस्त था। वह जा रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तानी अपने दोस्त को जाने का खर्चा देने के लिए हाफ़िज़ जी ने नियमों के विपरीत यह रुपया इसके पल्ले सड़े माल के बहाने बांध दिया।

**श्री अधिष्ठाता**---माननीय सदस्य परसनल रिमार्क्स न करें।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---इसमें परसनल काम किया गया है।

**श्री अधिष्ठाता**---हाफिज जी इस सदन के मेम्बर नहीं हैं।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---जी, लेकिन जो यह काम करते हैं उनकी कलई खुल रही है। तो वह टग्स ले लिए गए, किसी काम में नहीं आये। ४८० हजार रुपया मुफ्त उनको दान कर दिया गया और वह पाकिस्तान चले गए। तो इस तरह पाकिस्तान को पनपाने वालों यह सरकार और हमसे कहे....

**श्री अधिष्ठाता**---आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अतिरिक्त मांगों के सम्बन्ध में जो इस वक्त मांगें पेश की गई हैं, उन मांगों का विरोध करते हुये, मैं कुछ खास बातों की तरफ माननीय न्याय मन्त्री का ध्यान, जो इस समय पूरे मंत्रिमंडल को रिप्रिजेन्ट कर रहे हैं, आकर्षित करना चाहता हूं। इन मांगों में अनुदान संख्या ९, अनुदान संख्या ३१, अनुदान संख्या ३५ और इसी प्रकार के दूसरे अनुदान हैं जिनका सम्बन्ध पी० डब्लू० डी० और सिंचाई विभाग से है और जिनके सम्बन्ध में एक अच्छी रकम हमसे मांगी जा रही है। १९५७-५८ में सिंचाई विभाग और पी० डब्लू० डी० के लिये जितना पैसा स्वीकार किया गया था उससे ज्यादा खर्चा किया गया है वही मांगा गया है। इसका कारण यह बताया गया है कि निर्माण कार्यों के रखरखाव पर और कुछ बांध बांधने तथा नहरों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से यह खर्चा बढ़ गया है। उस खर्चे को पूरा करने के लिये यह अतिरिक्त मांगें रखी गई हैं। इस सम्बन्ध में इन मांगों का विरोध करते हुये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि क्षतिग्रस्त होने के कारण बांध और नहरों के लिये जो खर्चा बढ़ा तथा जिसके लिये यह मांग आज पेश की गई है यह महज १९५७-५८ की बात नहीं है। उसके पहले भी इस तरह की क्षति होती रही है। १९५७-५८ का जो वर्ष बीता है इस वर्ष के पहले भी हमारे यहां नहर और पी० डब्लू० डी० के कार्यों में क्षति हुई है जिनका लेखा जोखा यद्यपि इसमें नहीं है फिर भी लेना हमारे लिए आवश्यक हो गया है। पी० डब्लू० डी० और सिंचाई विभाग के जो निर्माण कार्य हुये हैं उन सब के ऊपर नये सिरे से विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। आज प्रदेश की प्लानिंग का सब से बड़ा दोष यही प्रतीत होता है कि पार्ट प्लानिंग हो रही है। हम और मंत्री जी जिस वक्त योजना की बात सोचने लगते हैं तो हमको गोरखपुर या बहराइच ही दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस वक्त यह सरकार सोचती है तो उस समय अगर उसको बहराइच या मन्त्रियों के जिले ही दिखाई देते हैं और सारी स्टेट का जो नक्शा है वह नक्शा उसकी आंखों से तिरोहित हो जाता है। तब इस राज्य की जनता की रक्षा कैसे हो सकती है? जितनी भी हमारी प्लानिंग है उन सब में यही दोष है। एक बांध यदि बहराइच या गोरखपुर में बनाया जाता है तो उसमें यही देखा जाता है कि हमारे खेत नदी के पानी से बच जायं चाहे दूसरों को कितना ही नुक्सान हो जाय। इसके कारण बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। इस वक्त हमारे सामने जो बाढ़ों की रिपोर्ट आ रही है, जो बांध टूटने की खबरें आ रही हैं, जो नहर टूटने की खबरें आ रही हैं उसका सौ प्रतिशत कारण यही है। ५४ जिलों में से ४८ जिले इसी कारण से आज पीड़ित हैं। मिसाल के लिए मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इस प्रकार के उदाहरण की ओर दिलाना चाहता हूं। गोरखपुर की उत्तरी सीमा पर बड़ी गंडक नदी है जिसमें आमतौर पर जब गर्मी और जाड़े के दिन होते हैं तो करीब ५ से ९ लाख क्युसेक्स पानी डिस्चार्ज होता है लेकिन जिस वक्त बरसात होती है तो १५ लाख से २० लाख क्युसेक्स तक पानी पास होता है। मेरा अनुमान है कि जब उस नदी में हाई फ्लेड होता है तो उसमें २५ से ३० लाख क्युसेक्स पानी पास होता है। इसी नदी से सन् १९५४ में एक नारायणी नहर निकाली गई है। केवल एक आदमी को खुश करने के लिये वह नहर निकाली गई है। वह नहर गलत प्लानिंग

के साथ बनाई गई है। बड़ी गण्डक जैसी भयंकर नदी के पेटे में नहर के हैड को घुसाने की इजजात दे दी गई है। करीब ६ फर्लांग तक वह हैड उस नदी के पेटे में घुसा हुआ है जिसको मन्त्री जी सम्भवतः खुद जानते हैं। उस नदी का साधारण पेटा २॥ मील का होता है लेकिन जब बरसात होती है तो ३ मील इधर और ३ मील उधर बढ़कर उसका पेटा ८॥ मील का हो जाता है। पूर्व की तरफ चम्पारण नहर के कारण दूसरा रास्ता नहीं है। पच्छिम साइड में बढ़ने का कारण यह हुआ है कि नैपाल राज्य में इस नदी का जो ८ मील का निर्बाध रास्ता है वह रास्ता नारायणी नहर के हेड के कारण अवरुद्ध हो जाता है। इसी कारण नदी का पानी पश्चिम के इलाके में भर जाता है। नदी की ओरिजिनल धारा से ३ मील पच्छिम की तरफ पानी बढ़ने से उस धारा ने परसोनी गांव को काट दिया है और काट कर बहा दिया है। मैंने सिंचाई मंत्री को वह स्थिति पहले ही बताई थी लेकिन आज इस समय सिंचाई मन्त्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं। उन्होंने जवाब दिया कि नारायणी नदी का या बड़ी गंडक का रास्ता बदलने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी जो बाढ़ आयी हुई है जिसमें सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक केवल गोरखपुर में ५ लाख आदमी तबाह हैं और करीब आधा जिला जहां पानी में डूब गया है। उस नदी के रास्ता बदलने की एक भूमिका है। उस सम्बन्ध में अभी मैंने माननीय मंत्री जी को चन्द शब्द लिख कर भेजे हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि किसी भी अनुदान पर रुपया मांगने के पहले हमें यह विश्वास दिलावें कि गलत प्लानिंग कर के हमें डुबाया न जायगा। इसी प्रकार गलत प्लानिंग के अनुसार जो निर्माण किये गये हैं उनको अब भी सुधारें। जो रुपया बरबाद हो गया है वह हो जाने दें, लेकिन आइंदा तो जान बचे। इसलिये इन मांगों को स्वीकार कराने के पहले आप अपनी सफाई पेश कीजिये और विश्वास दिलाइये कि निर्माण-कार्यों में जो गलतियां हैं उनको आप दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त मेरी मांग है कि नैपाल बन्द नहर के हेड पथरहवा घाट से त्रिवेणी घाट तक बनाया जाय। यह पूर्व के आठ जिलों गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ आदि की रक्षा करेगा। इस आश्वासन के बाद ही हम एक्सेस ग्रांट को मंजूर करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि वे इन बातों को सिंचाई मंत्री तक पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि वे यहां मौजूद नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, तीन तीन आदमी एक ही पार्टी के बोले हैं और समय एक ही घंटा है। दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिये।

**श्री अधिष्ठाता**—ठीक है, मैं देखूंगा।

**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो मांगें सदन में प्रस्तुत हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य जैसा कह रहे थे कि पिछले दस सालों में कोई कार्य नहीं हुआ है, मैं समझता हूं सही नहीं है। आप गांवों में जाकर देखें तो पता चलेगा कि काफी काम हुआ है। इस प्रदेश की जो समस्यायें हैं उनको हल करने के लिये जो धन उपलब्ध है उसको लेकर पंचवर्षीय योजना के अनुसार कार्य किया गया है। इस प्रकार सारी समस्यायें धीरे-धीरे हल करने की बात है, लेकिन काम करने के साथ-साथ समय आगे बढ़ता जाता है और नयी-नयी बातें सामने आती जाती हैं। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि काफी काम हुआ है। यूं तो विरोध करने के लिये हमेशा कहा जा सकता है कि कोई काम नहीं हुआ है और हमेशा ही काम कम दिखायी पड़ेगा। अगर सारा काम पूरा हो जाय, सारी समस्यायें हल हो जायं तो मैं समझता हूं कि किसी की जरूरत ही न रहे। आवश्यकता इस बात की है कि जो काम हों उनमें आपकी भी मदद मिले।

इस के बाद मैं सरकार का ध्यान कानपुर की स्थिति के संबंध में दिलाना चाहता हूं। पिछले साल जो कानपुर में बाढ़ आयी थी उसमें कानपुर तहसील का वह हिस्सा जो बिठूर से कानपुर के बीच में पड़ता है उसके बीस-पच्चीस गांव बाढ़ के प्रभाव में आ गये थे। उनमें

[श्री मुरलीधर कुरील]

सिंहपुर, बैकुंठपुर, गिल्ली पुरवा, ईश्वरीगंज, पपरिया, बल्लापुरवा आदि हैं। इधर चार पांच साल से जो बाढ़ आती है उससे वे बराबर पीड़ित रहते हैं और एक प्रकार से यह क्षेत्र परमानेंट बाढ़ का क्षेत्र बनता जा रहा है।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, बाढ़ का विषय तो आने वाला है, यह तो अतिरिक्त अनुदान है। माननीय सदस्य को इसी पर बोलना चाहिये।

**श्री अधिष्ठाता**—आप माननीय सदस्य को बोलने दें।

**श्री मुरलीधर कुरील**—चूंकि यह मांगों के संबंध में, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। वह क्षेत्र बराबर बाढ़ से प्रभावित होता रहा है और वह बाढ़ का एरिया हो गया है। जब वहां मैं देखने गया तो वहां देखा कि दो गांव शिवचरन पुरवा व डल्लापुरवा तो बिलकुल उसमें बह गये हैं और वहां एक भी मकान शेष नहीं बचा है। अगर उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो शहर का भी काफी हिस्सा ईश्वरीगंज, पपरिया आदि कट जायगा। इसके लिये मेरा एक सुझाव यह भी है कि कानपुर नवाबगंज से लेकर बिठूर तक गंगा के किनारे-किनारे एक रोड बना दी जाय। अगर यह रोड बना दी जाती है तो यह बांध का काम भी करेगी। इसके लिये प्लान डेवलपमेंट बोर्ड भी बना रहा है, किन्तु जब तक वह उसको बनायेगा तब तक काफी नुकसान हो जायेगा। वास्तव में इस तरह का कार्य यदि वहां की स्थानीय सस्थायें या जनता करना भी चाहे तो वह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सरकार स्वयं उसमें मदद न करे। उसी के साथ-साथ कुछ हिस्सा बिल्हौर के पास का ऐसा है, लखनऊ, हरदोई सड़क का जो कानपुर जिले में बिल्हौर ककवन होते हुये सिकन्दरा को जाता है। इसमें नानामऊ से बिल्हौर तक छोड़ दिया गया है, जहां की मरम्मत आदि नहीं होती है। अगर नानामऊ से बिल्हौर तक की सड़क प्रांविशियल सड़क के साथ जोड़ दिया जाय और उसकी मरम्मत भी होती रहे, जहां पुलियों के बनने की जरूरत है वहां पुलियां भी बन जायं, तो उससे बाढ़ का असर कम हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं जो मांगें प्रस्तुत हैं, उनका समर्थन करता हूं।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने जो अतिरिक्त अनुदान १ करोड़ ६८ लाख की प्रस्तुत हैं उसके बारे में मैं दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इस समय जो विनियोग लेखे हमारे सामने प्रस्तुत हैं उसमें बताई गयीं बहुत सी अनियमितताओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें बताया गया है कि करीब २ करोड़ ५३ हजार की ऐसी अनियमिततायें हुई हैं जिसके कारण सरकार जो बड़ी हानि उठानी पड़ी है। यह कई विभागों से संबंधित हैं, लेकिन विशेषतौर से अनुदान ३३ का जो आइटम है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें लिखा है कि यह व्याधिक्य इस कारण हुआ कि ८ मास वास्तविक आंकड़ों और चार मास के संभावित आंकड़ों के आधार पर अधिष्ठान अनुदान सबंधी व्यय का जो पूर्वानुमान विभाग के सवितरण अधिकारियों द्वारा प्रसूचित किया गया था वह गलत सिद्ध हुआ। यानी कि सरकार की ओर से जो व्यय का अनुमान लगाया गया था वह गलत था। तखमीनों के बारे में इस लेखानुदान में, श्रीमन् कुछ उल्लेख किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि कई करोड़ के ऐसे तखमीने थे जो गलत निकले और उनके संबंध में अनुदान बाद को रखे गये। यह भी इसमें बताया गया है कि उन तखमीनों के स्वीकार होने से पूर्व ही कई निर्माण के कार्य शुरू कर दिये गये। इसमें उन सब का व्योरा दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि चूंकि तखमीनों के स्वीकार होने के पूर्व और बिना किसी इस्टीमेट के दिये हुये कार्य को शुरू कर दिया गया, इस कारण इतना फर्क पड़ा। उसी के फलस्वरूप आज इतना रुपया मांगा जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सबंध में मैं एक बात विशेष तौर से कहना चाहता हूं और उन आपत्तियों के बारे में कहूंगा कि जिनका कि आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया। इन्हीं तखमीनों के बारे में कहना चाहता हूं कि यहां पर तखमीनों का विशेष अभाव रहा है और उसमें तखमीनों से अधिक व्यय हुआ है जिसका कि व्योरेवार उल्लेख इसमें है, उनका उल्लेख करते हुये बताया है कि सिंचाई विभाग में २८ करोड़ रुपये का, विद्युत में १६ करोड़ रुपये का, सार्वजनिक निर्माण विभाग में ८ करोड़ रुपये का, जिसके आडिटों का निराकरण आजतक नहीं हो पाया है। इस मनमाने ढंग से कार्य करने का परिणाम यह होता है कि हमारे सामने अनुदानों के रूप में ४–४ बार स्वीकृति के लिये सरकार को आना पड़ता है। यह जो नलकूपों के विद्युतकरण करने के संबंध में व्यय हुआ उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि अभी कई प्रश्नों के उत्तर में बताया गया कि ४०० नल-कूप ऐसे हैं जिनमें आधे से ज्यादा चालू नहीं हैं जैसा कि शाहजहांपुर के संबंध में बताया गया। इन नल-कूपों में विद्युतकरण न करने या चालू न कर सकने की अवस्था में कितना ह्रास हो रहा है, इसकी ओर कई बार ध्यान आकर्षित कराया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो व्यय होते हैं, मैंने बताया कि उनमें एस्टीमेशन की गलती तो सरकार की मानी हुई गलती है, जिसको कई दफा कहा भी गया है और एस्टीमेट्स कमेटी की तरफ से भी सरकार के पास प्रतिवेदन भेजा गया कि कार्य शुरू करने के पहले एस्टीमेट्स मंजूर हो जाने चाहिये, लेकिन एस्टीमेट्स पीछे से भेजे जाते हैं और कार्य पहले शुरू कर दिये जाते हैं।

हमारे सामने विनियोग लेखे हर विभाग की तरफ से आये हैं, उनमें से कुछ की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नियोजन विभाग के बारे में अपूर्व रूप से उल्लेख है कि सरकारी जीपों का इस्तेमाल ५ मील के अन्दर न होना चाहिये, लेकिन अब भी बी० डी०ओ० उनका इस्तेमाल करते हैं और अपनी लांग-बुक में उसकी एंट्री नहीं करते हैं जिससे पकड़ में न आवें कि उन्होंने किस प्रकार से जीपों को निजी उपयोग में लिया है। इसके साथ-साथ सिंचाई विभाग में बताया गया कि एक जगह उद्घाटन के लिये १ हजार रुपया मंजर हुआ था लेकिन १५ हजार खर्च हो गया। जलपान में ५,००० फरनीचर किराये में १,७७८, रोशनी में, १,४९१ और परिवहन में भी खर्च हुआ। इन अनियमितताओं की तरफ लेखा परीक्षक ने ध्यान आकर्षित किया है, उनके आब्जेक्शंस का निराकरण न होने पर फिर ध्यान आकर्षित किया आज भी हमारे सामने कई करोड़ रुपये की ऐसी आपत्तियां हैं जिनका निराकरण नहीं हुआ है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि आज सरकार की तरफ से जो मनमानी कार्यवाही इस तरह से होती है जैसे अतिरिक्त अनुदानों और पूरक अनुदानों को प्रस्तुत करना, उनमें न केवल आपत्ति ही रहती है, बल्कि विनियोग लेखे की जो प्रमाणित चीजें हैं, उनकी ओर भी सरकार का ध्यान नहीं जाता। तो हम कहां जायं? किस से कहें? इसलिये इन अनुदानों को स्वीकृति नहीं होने देना चाहिये।

**श्री अधिष्ठाता**—आपका समय समाप्त हो गया।]

**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—मान्यवर, आज जो अनुदान बजट पेश हुआ है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। आपके द्वारा मैं मंत्री जी का ध्यान तहसील डुमरियागंज की तरफ दिलाना चाहती हूं। मान्यवर, वहां पर सड़क जो जिले से जाती है वह पूरी नहीं हुई और उस पर गवर्नमेंट की जो बसें चलती हैं उनके कारण आये दिन बसें खराब हुआ करती हैं उसके लिये सरकार इंक्वायरी करे कि उसका क्या कारण है और कितना धन उसमें व्यय होता है जबकि बजट मंजूर हो चुका, लेकिन वह सड़क बनकर मुकम्मिल नहीं हुई। मैं वहां गयी हुई थी तो वहां के कर्मचारियों ने यह बताया कि यहां के जो इंजीनियर हैं वह किसी को ठेके पर दे देते हैं और ठेकेदार जहां सड़क बनी हुई है उसी को मरम्मत करता रहता है, लेकिन बजट की सड़क पर हाथ नहीं लगाता है। हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर वहां गये थे। उनकी रिपोर्ट से सरकार को मालूम हो जायगा कि कितना मैं सही कह रही हूं। मैंने कई बार अनुरोध किया कि वह सड़क पूरी होनी चाहिये, लेकिन आज तक नहीं हुई।

[श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी]

श्रीमन्, उत्तर के एरिया में आये दिन लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। वहां जो एक अस्पताल है वह नहीं के बराबर है, क्योंकि उसमें सिवाय पानी के कोई दवाई नहीं मिलती है। हमारे यहां जनाना अस्पताल मंजूर हुआ। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी माननीय रामनारायण पांडेय जी वहां गये थे। उनके सामने भी यह बात आई कि जब तक उसके लिये मकान नहीं मिलता है तब तक एक दूसरी इमारत जो कि खाली है, इस काम के लिये इस्तेमाल कर ली जाय। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे यहां इस कदर बाढ़ आई हुई है कि उसके कारण लोग अपने भूखे नंगे बच्चों का पालन भी नहीं कर सकते हैं। मुझे जो बाढ़ एरिया की रिपोर्ट मिली उसमें तहसील डुमरियागंज का भाग नहीं दिया गया था। उस क्षेत्र को बिलकुल अनाथालय समझा जाता है। ५ साल के बाद हमारे डिप्टी मिनिस्टर पहली बार वहां गये। वहां बाढ़ आये दिन आती है। पुल के लिये हमारे पास लिखित आया कि वह पीपे से बनेगा। हमने सवाल किया तो जवाब मिला कि टेंडर मांगे जा रहे हैं, लेकिन पीपे के पुल के बजाय वह काठ की नाव बन गई। जैसे रामचन्द्र जी के चरण लांघने से शिला अहिल्या नारी हुई, उसी तरह से यहां के आर्डर पहुंचने से वह पीपे का पुल नाव का पुल बन गया। मैं ५ वर्ष से कहती-कहती थक गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। कम से कम मंत्री जी अब उस गरीब जनता की तरफ निगाह डालें और उनके भविष्य को बढ़ाने के लिये प्रयत्न करें।

अपोजिट पार्टी की ओर से कहा जाता है कि सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। यह बातें मेरी समझ में नहीं आईं। जैसे किसी के दो आंखें हों और उसे कह दिया जाय कि वह अंधा है, वैसे ही उनकी बात है। केवल जनता को खुश करने के लिये वह सदन में ऐसी आलोचना कर सकते हैं। बाहर चल कर कन्धे से कंधा मिला कर हमारे साथ सहयोग देने से ही योजनायें सफल हो सकती हैं। सदन में आलोचना करने से काम चलने वाला नहीं है।

इतना कह कर मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान उस क्षेत्र की ओर ले जाना चाहती हूं।

**वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)**—श्रीमन्, बजट में जितना धन उपलब्ध होता है उससे अधिक खर्च नहीं करना चाहिये, यह ठीक है। मुझे इस बात का खेद है कि ऐसा हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठ भूमि में देखना चाहिये कि आया आवश्यक था या नहीं। आज विकास कार्यों के लिये बहुत सी चीजें बाहर से आती हैं और उनके दामों में काफी उतार चढ़ाव हो जाया करता है। मैं स्वीकार करने में संकोच नहीं करता कि किसी योजना को बनाते समय हमें सभी चीजों के बारे में सोचना चाहिये। यह भी संभव है कि योजना का पूरा नक्शा हम उस समय नहीं दे सके, लेकिन एक योजना प्रारम्भ करने के बाद यह आवश्यक होता है कि उसे पूरा भी करें। जैसा मैंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि यह हमारी गलती समझिये, योजना बनाने वालों की गलती समझिये या और कारणों से जिन का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ऐसी अवस्थायें आ सकती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हों, जिनसे थोड़ा अधिक व्यय हो सकता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह बड़ा भारी जुर्म है। जुर्म की तो परिभाषा में यह समझता हूं कि जो कानून के विरुद्ध हो, लेकिन यह एक्सैस ग्रांट की व्यवस्था तो संविधान के अनुकूल है। विधान बनाने वालों ने महसूस किया था कि ऐसे अवसर आ सकते हैं, जबकि बजट से अधिक खर्च हो जाय। इसलिये विधान में एक आर्टीकिल रखा गया कि ऐसे खर्च को लेजिस्लेचर से पास करा लिया जाय। उसी के अन्तर्गत यह डिमांड प्रस्तुत की गई है। यों तो देखने में १ करोड़ ६८ लाख कोई अधिक व्यय नहीं हुआ है, फिर भी इसमें से १ करोड़ ७ लाख तो बजट में उपलब्ध रहा, लेकिन बजट के बनाव के कारण यह जरूरी हुआ कि उनका भी इसमें समावेश कर लिया जाय और वह भी भवन के सामने रखी जाय। वास्तव में

अगर देखा जाय तो खर्चा उससे कहीं कम है। १ करोड़ ६८ लाख में से अगर १ करोड़ ७ लाख निकाल दिया जाय तो जो थोड़ा धन बचता है वही अधिक खर्च हुआ है और वह आपके सामने रखा जाता है।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

देर से रखा गया, इसका भी एक कारण है। यह बहुत पहले ही सन् ६० में तैयार हो गया था और भवन के सामने प्रस्तुत भी किया गया था, लेकिन १९६०–६१ में उसे भवन के सामने रखकर इस पर स्वीकृति इसलिये प्राप्त नहीं हो सकी कि वहां प्रोग्राम इतना था कि इसे कहीं स्थान प्राप्त नहीं हो सका। इसलिये इसके प्रस्तुत करने में देर हुई। मैं समझता हूं कि भवन इसे स्वीकार करेगा।

## १९५७–५८ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान—

## अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ३७,६८,८६४ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या १०—सिंचाई स्थापना पर व्यय

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—सिंचाई स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत ४,६१,०८२ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ८४,०४७ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या २९—परिवहन विभाग

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—परिवहन विभाग के अन्तर्गत १,३७,८५२ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ३१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत ५६,७६,१३६ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १,५६,९४४ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ३६—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्चे के अन्तर्गत ५३,८३५ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ४२—असाधारण व्यय

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—असाधारण व्यय के अन्तर्गत ९१,७५७ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ४४—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन के अन्तर्गत ६४,४३,४०५ रुपये की अतिरिक्त मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१

**वित्त मंत्री (हरगोविन्दसिंह)**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री हरगोविन्द सिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ क्षण के पश्चात्)

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७- ५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन, आपकी आज्ञा से मैं दो शब्द इस विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि एक्सेस ग्रांट के लिये कोई प्रथा नहीं होनी चाहिये। कोई रकम, अगर जरूरत पड़ती है और वह जरूरत ऐसी हो जिसके बिना किसी भी हालत में काम न चलने लायक हो, तो वह खर्च कर लेना स्वाभाविक है, उसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी तक कोई वर्ष ऐसा नहीं आया है जिसमें एक या एक से अधिक भी ऐसी ग्रांट लेकर सरकार इस सदन के सामने न आयी हो। उसमें मदें देखने से ऐसा मालूम होता है कि ऐसी मदें भी हैं जिनके लिये सप्लीमेंटरी ग्रांट दी जा चुकी है या सप्लीमेंटरी ग्रांट दी जा सकती थी। इससे प्लानिंग की बड़ी कमी मालूम होती है। वह रकम भी एक दो लाख की होती तो कोई बात न थी लेकिन, श्रीमन, आप देखें कि एक एक आइटम में ५०, ६० और ७० लाख तक रुपये की मांग की गई है। ६४ लाख रुपये की तो एक ही रकम है। ऐसी रकमें भी हैं जिनसे मालूम होता है कि निश्चित तौर पर यह प्लानिंग की कमी है। कोई ऐसा आइटम नहीं है, कोई रकम ऐसी नहीं है जिसकी रूपरेखा पहले से गवर्नमेंट के सामने न हो।

अब इसमें एक आइटम पेंशनों के सम्बन्ध में है, जिसके लिये ५३ हजार या इस तरह की कोई रकम मांगी गई है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इसकी पूरी तफसील में नहीं गया कि पुराने शासकों की पेंशन बढ़ाने में वह रकम खर्च की गई या स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों को पेंशन देने में खर्च की गई, इसको तो माननीय वित्त मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे, इस सिलसिले में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस समय सरकार को चलाने वाले जो लोग कहे जा सकते हैं, मुख्य मन्त्री को छोड़ कर, वकिया तमाम सभी लोग इस ओर दिखाई देते हैं। राजनीतिक पेंशनों के सिलसिले में एक बात गौर करने के लिये मैं सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजनीतिक पेंशनों के सिलसिले में लोगों में एक बड़ी गलतफहमी हो गई है और लोगों को शिकायत भी है। मैं खुद इस बात का गवाह हूं और अपने को गवाही में पेश करना चाहता हूं कि ऐसे लोग आज तक राजनीतिक पेंशन नहीं पा सके, जिनको मैं समझता हूं कि अवश्य मिलना चाहिये। उनकी आर्थिक और शारीरिक स्थिति की यह डिमांड है कि उन लोगों को कुछ न कुछ मदद दी जानी चाहिये लेकिन उनको मदद नहीं मिली है।

इस सिलसिले में एक बार सरकार का यह फैसला हुआ कि जिन लोगों ने केवल एक मर्तबा जेलखाना काटा है उनको हम कुछ नहीं देंगे। जो लोग एक से अधिक मर्तबा जेल गये हैं उनको ५० रुपये देंगे या २५ रुपये या १५ रुपये, जो कुछ देते हैं उससे अधिक कुछ नहीं देंगे, क्योंकि बजट में पैसा नहीं है। मैंने सुना है कि इस तरह की दो श्रेणी सरकार ने बना रखी है। सरकार इकोनामी के दृष्टिकोण से उनको अधिक पैसा नहीं देना चाहती है। अब श्रीमन, इस पर जरा विचार करें कि उन लोगों को राजनीतिक पेंशन देना चाहिये जो कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक रहे और जिनके हाथ पैर या शरीर ठीक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वह एक ही बार जेल गया है मगर उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपनी रोजी चला सके, तो उसके मामले पर सरकार को विचार करना चाहिये और उसको भी कुछ न कुछ देना चाहिये। मैं नहीं जानता कि सन् ५७–५८ में जो यह ५३ हजार की रकम ज्यादा खर्च की गई वह क्या ऐसे लोगों के लिये ही खर्च की गई या नहीं। अगर वह सरकारी बजट के बाद में ऐसे लोगों के लिये ही बढ़ाई गई है तो मैं अवश्य ही सरकार का इस के लिये समर्थन करूंगा और अगर कोई माननीय सदस्य इसकी शिकायत करते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि नहीं, वह हमें देना चाहिये। इतना जरूर मैं कहूंगा कि इस विषय में सरकार को जरा बहुत सफाई के साथ कार्य करना चाहिये। ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा नहीं है, थोड़े ही लोग ऐसे हैं जो हकदार हैं और उनको कुछ मिलना चाहिये लेकिन माननीय वित्त मन्त्री जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

उनके लिये न सप्लीमेंटरी में ही गुंजाइश नहीं की और अब की बार सबका आग्रह हो तो शायद एक्सेस ग्रान्ट करने की जरूरत समझें। यह बहुत व्यापक चीज नहीं है लेकिन इस तरह की चीजों के लिये एक्सेस ग्रान्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। मेरे कानों में ऐसी बात पड़ी और कुछ मामलों को लेकर वहां जाने पर यह बात मालूम हुई, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो पेंशनें अभी तक हकदार लोगों को नहीं मिली हैं, उनको इन्साफ के लिये सरकार को जरूर देना चाहिये। माननीय वित्त मन्त्री जी सुन लें, ऐसे लोग भी हैं कि जिन को शंका होती है कि सरकार स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों को २ पैसा देना चाहती है, तो ऐसा लगता है कि वह जब तक कांग्रेस के झंडा-बरदार नहीं बनेंगे उनको नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि यह बात नहीं है लेकिन जिनको नहीं मिलती, उनके लिये कोई न्यायसंगत उत्तर हमारे पास नहीं है। इसलिये उदारतापूर्वक छानबीन होनी चाहिये, जांच करना चाहिये और जिनकी शारीरिक और आर्थिक स्थिति ऐसी है और चाहे वह एक ही बार क्यों न जेल गये हों, उनको कुछ न कुछ सहायता मिलना चाहिये। इसके अलावा जो मैंने पहले कहा एक्सेस ग्रान्ट्स ले आने की प्रथा न होनी चाहिये और बहुत ही रेयर केसेज में यह चीज आनी चाहिये। आशा है कि आगे सरकार इसका ध्यान रखेगी।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन, माननीय गेंदासिंह ने जो यह कहा कि एक्सेस ग्रांट की कोई प्रथा नहीं बनाना चाहिये, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। मैंने प्रारम्भ में कहा, उस समय शायद वह उपस्थित नहीं थे कि कभी-कभी ऐसे अनफोरसीन सरकमस्टान्सेज आ जाते हैं जिनका पहले से ज्ञान नहीं हो पाता है, उदाहरणार्थ मैंने बताया था कि अक्सर बाहर से बहुत सी चीजें मंगानी पड़ती हैं, उनके दामों में एक्सचेंज की रेश्यों के हेरफेर के कारण उतार चढ़ाव हो जाता है कि पहले से नहीं समझा जा सकता कि उन चीजों के कितने दाम देने पड़ेंगे। इन कारणों से या ऐसे ही दूसरे कारणों से ऐसा हो जाता है। देखने में तो रकम इतनी बड़ी है—१ करोड़ ६८ लाख लेकिन वास्तव में एक्सेस ग्रांट केवल ६१ लाख रुपये की है और बाकी रकम तो बजट के हेरफेर की वजह से दिखाई देती है चूंकि एक हेड से रकमों को दूसरे हेड में लाया गया है, उनके लिये भी जरूरी समझा गया कि उसकी स्वीकृति सदन से ली जाय।

जहां तक पोलिटिकल पेंशन का सम्बन्ध है, माननीय गेंदासिंह ने जो कहा मैं उनके एक-एक अक्षर से सहमत हूं, लेकिन यह जरूर है कि कोई सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती कि जितने आदमी जेल गये हैं उन सबको ही पेंशन दी जाय। इसका अभिप्राय भी कभी ऐसा नहीं था। वह तो केवल यह था कि जो लोग किसी तरह से स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपाहिज हो गये हैं या उनकी आर्थिक दशा इतनी खराब हो गई है, उनको यह पोलिटिकल पेंशन मिलनी चाहिये। मैं उन कारणों और अवस्थाओं में नहीं जाना चाहता जिनके कारण यह एक्सेस ग्रान्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करनी पड़ी लेकिन मैं यह विश्वास माननीय गेंदासिंह जी को दिलाना चाहता हूं और इस पर मन्त्रि-मण्डल विचार कर भी रहा है और इसकी एक कमेटी भी बना दी गई है कि वह फिर से इसको देखे। इस बात का विश्वास मैं जरूर दिलाना चाहता हूं और बार-बार दिलाना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम में जो भी लोग रहे हैं चाहे वह इस वक्त किसी भी दल में क्यों न हों, अगर वह बातें उनमें होंगी जिनके कारण यह निर्णय होगा कि पेंशन दी जाय, तो उसमें वह अवश्य रखे जायेंगे। यह मैं मानता हूं, इसमें बहुत सत्यता है कि बहुत से लोग ऐसे छूट गये हैं जिनको वास्तव में पेंशन मिलनी चाहिये और बहुत से ऐसे लोग पा गये हैं जिनके सम्बन्ध में शायद जांच-पड़ताल के बाद यह सम्भव है कि इस नतीजे पर पहुंचा जाय कि उनको नहीं मिलनी चाहिये। तो इसी छानबीन के लिये एक कमेटी मन्त्रि-मण्डल स्तर पर बनाई गई है, जो देखेगी और इस बात का प्रयत्न करेगी कि अधिक से अधिक उन साथियों की मदद की जा सके, जो सचमुच उसके हकदार हैं और वास्तव में जिनको मिलनी चाहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—पेंशन देने में विलम्ब क्या है, मैं जरा पूछना चाहता हूं। कौन सी....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठिये। यह दूसरे मन्त्री जी का विषय है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड २, ३ तथा अनुसूची

२—उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियां जिनका कुल योग १,६८,७३,९५७ रुपया (एक करोड़ अड़सठ लाख तिहत्तर हजार नौ सौ सत्तावन रुपया) होता है ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त उस वर्ष के लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दी तथा काम में लाई जा सकती है

उत्तर प्रदेश की १९५७–५८ की संचित निधि में से १,६८,७३,९५७ रुपये का दिया जाना।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का अधिकार दिया जाता है उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

### अनुसूची

| १ | २ | ३ | | |
|---|---|---|---|---|
| अनुदान संख्या | सेवायें और प्रयोजन | निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक | | |
| | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | संचित निधि पर भारित | राज्य की योग |
| | | रु० | रु० | रु० |
| ५ | वन .. .. | .. | ३५ | ३५ |
| ९ | राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य .. | ३७,६८,८६४ | .. | ३७,६८,८६४ |
| १० | सिंचाई स्थापना पर व्यय .. | ४,६१,०८२ | .. | ४,६१,०८२ |
| १५ | न्याय प्रशासन .. .. | ८४,०४७ | .. | ८४,०४७ |
| २९ | परिवहन विभाग .. | १,३७,८५२ | .. | १,३७,८५२ |
| ३१ | सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं .. | ५६,७६,१३६ | .. | ५६,७६,१३६ |
| ३३ | सार्वजनिक निर्माण कार्य-स्थापना पर व्यय .. .. | १,५६,९४४ | .. | १,५६,९४४ |
| ३६ | प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्चे | ५३,८३५ | .. | ५३,८३५ |
| ४२ | असाधारण व्यय .. | ९१,७५७ | .. | ९१,७५७ |
| ४४ | राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन .. | ६४,४३,४०५ | .. | ६४,४३,४०५ |
| | योग .. | १,६८,७३,९२२ | ३५ | १,६८,७३,९५७ |

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड २, ३ तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १

**उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१**

३१ मार्च, १९५८ के समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

### विधेयक

यह इष्टकर है कि ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था की जाय,

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतन्त्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री हरगोविन्दसिंह**--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद (क्रमागत) †

***श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ के विषय में बोलने का जो आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत ही अभारी हूं।

अभी हाल ही में हमारे जिले में बहुत भंयकर बाढ़ आई है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़पीड़ित लोगों को देखने के लिये गया था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इतनी बड़ी तकलीफ, इससे पहले बाढ़ से, उन लोगों को नहीं हुई थी। अबकी मर्तबा जबकि फसल एकाध हफ्ते में किसानों को प्राप्त होने वाली थी तब इस भयंकर बाढ़ ने उन लोगों की फसलों को चौपट कर दिया। फसल चौपट हो जाने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। बहुत से गांवों में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है।

---

†२४ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही से।

बहुत-सी जगहों पर बाढ़ आ जाने की वजह से लोग पेड़ों पर बैठे थे। सरकारी कर्मचारी ने नाव से उन लोगों को निकालने और खाने-पीने की व्यवस्था की। नाव का भी इंतजाम करीब-करीब इस साल अच्छा है। लेकिन नावों की बहुत जरूरत है। बहुत से गांव ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग हैं और लोगों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बगैर नाव के नहीं पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में सरकार को नाव तैयार करनी चाहिये। हर गांव सभा को जो नाव लेना चाहें, सरकार की तरफ से देनी चाहिये, और जिन गांव समाजों की स्थिति ठीक नहीं है उनको मुफ्त नाव देनी चाहिये। जिन गांवों के बीच में आने-जाने के रास्ते नहीं हैं वहां रास्ते बनाने चाहिये।

अभी जब मैं बाढ़ देखने के लिये गया था तो मैंने देखा कि बहुत से घर गिर गये हैं और लोग दूसरों के घरों में रह रहे हैं। जो आदमी गरीब हैं, अपना मकान खुद नहीं बना सकते, उनके लिये सरकार को लकड़ी, खर वगैरह का मुफ्त इन्तजाम करना चाहिये। स्कूल के लड़कों की अगस्त से लेकर मार्च तक की फीस माफ करनी चाहिये। जहां चर्खे से सूत तैयार होता है फी गुंडी दो आना सहायता दी जानी चाहिये और बाढ़ क्षेत्र में टेस्ट वर्क खोले जाने चाहिये।

पशुओं के टीके लगने चाहिये, जिससे वे बीमारी से बच सकें। आदमियों के भी हैजे के टीके लगने चाहिये। घोघी, बूढ़ी राप्ती, राप्ती और कुंडा नदियों की जो भंयकर बाढ़ हर साल आती है जिससे किसान हर साल तबाह होते हैं, उससे बचने के लिये बाढ़ की योजना कई साल से चल रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राप्ती नदी के दायें और बायें किनारे पर बिलसर से रिगौली, पनघटिया से करमैनी घाट, दौलतपुर बांध, नगवा पनघटिया बांध, नगवा बांध आदि सभी प्रपोजल सरकार के बहुत दिनों से विचाराधीन हैं, पर ये बांध अब तक बन न सके। अगर बन गये होते तो किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता।

जो गांव ऊंचे नहीं किये गये हैं उन गांवों में बाढ़ के पानी से बहुत परेशानी होती है। ऐसे गांवों को ऊंचा कर देना चाहिये ताकि किसान बाढ़ से अच्छी तरह से बच सकें।

मवेशियों के लिये जंगल खोल दिये गये हैं। लेकिन जब किसान अपने पशु लेकर जंगलों में चराने के लिये जाते हैं तो वन विभाग की तरफ से उनको खदेड़ा जाता है और कहा जाता है कि जाकर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार का पहले आर्डर लाओ। वह बेचारे जब वहां जाते हैं तो परेशान होते हैं। अभी ३, ४ दिन पहले जब मैं बाढ़ क्षेत्र में गया था तो मैं और तहसीलदार साहब एक घाट पर नाव के इन्तजार में थे। हमसे पिचुरकी गांवों के लोगों ने जंगलात विभाग के लोगों के बारे में शिकायत की थी। तहसीलदार साहब ने उनसे कहा कि तुम लोग जाओ हम रेंजर से फोन पर कह देंगे। तो सरकार को इन सब बातों का उचित इन्तजाम करना चाहिये।

बीज वगैरह पानी से नष्ट हो गया है, अतः रबी बोने के लिये सरकार को बीज का अभी से प्रबन्ध कर देना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घोंघी व पौहन नदी है और इलाहाबाद-श्रीनगर नहर है। वहां बाढ़ से बड़ी परेशानी होती है। मैंने कई साल पहले बताया था उसके किनारे बांध बना दिया जाय और दुर्गापुर-बिशुनपुर-अदरौना इलाके में भी बांध बना दिया जाय उसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। अगर वह बांध बन जाता तो लोगों को बाढ़ से राहत मिलती और उनकी दोनों फसलें—खरीफ और रबी की भी होतीं।

इसके अतिरिक्त कोइलाडाड़, बेलसड़, धर्मदासपुर, पटिबारे, रतनापार, वरजी, कानापार, ढोंढघाट, बेला, हरैया, सोनौरा, धानी, मांगपार, महादेवा, खेराट आदि गांवों में जब बाढ़ आती है तो वहां पानी निकल नहीं पाता है। जब बरसात और बाढ़ का पानी निकल नहीं पाता है तो रबी की फसल भी नहीं होती है और किसानों को लगान भी दंड के रूप में देना पड़ता है। मैं इस बात का अनुरोध करता हूं कि उस पानी को निकलवाने की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिये ताकि वे किसान रबी की फसल बो सकें।

[श्री गौरीराम गुप्त]

गोरखपुर जिले में तो बहुत दिनों से गरीबी है और बहुत दिनों से लगातार बाढ़ आने के कारण किसानों की कमर टूटती जा रही है। सरकार को वहां की बाढ़ को रोकने के लिये खास कदम उठाना चाहिये जिससे वहां के किसान इस पंचवर्षीय योजना से लाभ उठा सकें और खुशहाल हो सकें। मैं माननीय माल मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वैसे तो उनकी कृपा गोरखपुर जिले के ऊपर विशेष रूप से रहती है और वह अच्छी तरह से वहां की गरीबी को जानते हैं लेकिन वहां बाढ़ रोकने के लिये सरकार को तत्काल कोई कदम उठाना चाहिये जिससे गोरखपुर, बस्ती आदि के लोग जो हर साल बाढ़ से तबाह होते हैं वे बच जायं। मैं माननीय सिंचाई मंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि जिस बांध के लिये उन्होंने आश्वासन दिया है उसको बरसात के बाद तत्काल बनवाने की कृपा करें।

*श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के सम्बन्ध में जो बहस यहां होती रहती है और जो अभी २४ तारीख को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयी हुई बाढ़ के सम्बन्ध में भाषण हुए, उन सबको मैंने ध्यान से सुना। जहां तक मैं समझता हूं बाढ़ एक ऐसी आपत्ति है जो प्रदेश के प्रत्येक भाग में कभी न कभी आती रहती है। शायद ही कोई जिला ऐसा हो, जिसके एक भाग में अतिवृष्टि होने पर या किसी दूसरे जिले में अतिवृष्टि होने पर, जो जलमग्न न होता हो। इस तरह से इस समस्या का सारे प्रान्त की दृष्टि से ही महत्व है और इसके लिये जो भी उपाय अपनाये जायं---सहायता के थोड़े से कार्यों को छोड़ कर---मैं समझता हूं उनको प्रान्तीय स्तर का ही महत्व दिया जाना चाहिये। किन्तु मैंने देखा कि जिन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में भाषण दिये उन्होंने अपने जिले की जो विपत्ति है, वहां के लोगों की जो दुर्व्यवस्था है उनको बताया, लेकिन उसका कोई ऐसा व्यापक उपाय, जिससे जनता को बाढ़ से राहत मिल सके, इस तरह की बातें बहुत कम सुनने को मिलीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण भी बाढ़ आती है, यानी जो सड़कें बनायी जा रही हैं, नयी रेलवे लाइनें निकाली गयी हैं, बांध वगैरह बनाये गये हैं, उनसे भी बाढ़ आने की सम्भावना बढ़ गयी है। यह तो ठीक ही है, लेकिन इससे यह अर्थ तो नहीं निकलता कि इन कामों को बन्द कर दिया जाय या हमारे प्रदेश में योजना का कार्य न हो। लेकिन हमने देखा कि बहुत से सदस्यों ने अपनी स्थानीय जनता के दुःख को देखकर यहां अपने विचार व्यक्त किये। एक-आध मित्रों की राय यह भी थी कि जब तक इन योजनाओं के कार्यान्वयन को न रोका जायगा तब तक बाढ़ का आना नहीं रुकेगा। इससे उनका रोष तो प्रकट होता है लेकिन यह समस्या का हल नहीं है। अगर बाढ़ आती है तो उसके दो कारण हैं। अधिकांश में बाढ़ जलावरोध के कारण आती है। जब वर्षा अधिक होती है, दूसरे स्थानों का भी पानी बह कर आता है और आगे उसे मार्ग नहीं मिलता निकलने का तो उस अवस्था में प्रायः बाढ़ आ जाती है। कभी-कभी बाढ़ इस कारण से भी आती है कि बहुत वर्षा होने से नदियां चढ़ जाती हैं और बहुत सी आबादी और फसलें जलमग्न हो जाती हैं। वर्षा का कम या ज्यादा होना हमारे हाथ में नहीं है। सम्भव है कि विज्ञान कभी ऐसी स्थिति ला दे लेकिन अभी तक वर्षा एक प्राकृतिक नियम के अनुसार होती है और फिर प्रदेश में बढ़ते हुए योजना कार्यों की वजह से भी स्थान-स्थान पर जलावरोध हो रहा है। तो श्रीमन्, ऐसी दशा में हमें सोचना चाहिये कि बाढ़ की विपत्ति से, बाढ़ की तबाही से किस प्रकार से बचा जा सकता है, किस तरह से इस कष्ट को कम किया जा सकता है और किस तरह से बरबादी से बचा जा सकता है।

मैं श्रीमन्, ऐसा समझता हूं कि ऐसे उपाय इस आदरणीय सदन के समक्ष, यदि आते और हमारे मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किये जाते और सरकार उन पर तत्परता के साथ विचार करती तो शायद जो प्रति वर्ष बाढ़ पर एक औपचारिक बहस हो जाती है, जिलों के बारे में हम सुनते हैं कि ऐसी तबाही और बरबादी हुई है कि हजारों आदमी डूब गये हैं और बहुत से मवेशी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मर गये हैं और किंचित मात्र सहायता पहुंचाई गई है, तो औपचारिक बात न रहकर नियम बन जाते कि जब कभी बाढ़ आये तो तत्परता के साथ उसको दूर करने के उपाय और सुझाव दिये जाय और उनके अनुकूल सरकार का आचरण हो।

श्रीमन्, बाढ़ को दूर करने का एक ही तरीका हो सकता है और वह तरीका व्यापक पैमाने पर हमें करना पड़ेगा। वह तरीका यह है कि हमारे यहां जो नदियां हैं उनके बहाव को गहरा किया जाय। श्रीमन्, मुझे याद पड़ता है कि हमारे प्रदेश में एक सेवा निवृत्त सज्जन जो वन विभाग में थे उन्होंने एक सुझाव सरकार को दिया था कि नदियों को गहरा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी है कि नदियों के दोनों किनारों पर जहां सम्भव हो सके, वन उगाये जायं ताकि पानी की वेलासिटी बढ़ जाय और नेचुरल ड्रेन्स गहरे हो जायं, नदी का पानी उनमें समा जाय और तटों से बाहर न निकले। मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार को इस पर विचार बड़ी गम्भीरतापूर्वक करना चाहिये था।

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि इस बाढ़ के पानी को कहां फेंका जाय ? कहीं ऐसा न हो कि एक जिले से पानी निकालें और वही दूसरे जिले में जाकर तबाही और बरबादी पैदा कर दे। ऐसी दशा में पानी निकालने के लिये एक ही स्थान हो सकता है कि भूमि के अन्दर ही जगह-जगह पर पानी को पहुंचा दिया जाय। इसके लिये श्रीमन्, जगह-जगह नाले बना दिये जायं। श्रीमन्, इसमें थोड़े बहुत कार्य हुए हैं लेकिन उनमें उदासीनता बरती गई है। यदि बाढ़ के पानी को निकालने के लिये जगह-जगह पर सारे प्रदेश की सर्वे करा कर नाले बनवा दिये जायं तो यह समस्या हल हो सकती है। बाढ़ के पानी को निकालने के लिये भूमि में ही स्थान मिल सकता है। सरकार को इस योजना पर अमल करना चाहिये था।

श्रीमन्, मेरे जिले में कई साल से बराबर बाढ़ आती है। हसनपुर तहसील में गंगा के पानी से १००-१५० गांव इस समय भी जलमग्न हैं। हमारे जिला मुरादाबाद का भूमि-तल, सी-लेबिल से ६८५ फीट ऊंचा है और बिजनौर जिले का भूमितल ७३५ फीट ऊंचा है। इसके माने यह हैं कि बिजनौर का भूमितल हमारे जिले मुरादाबाद से ५० फीट ऊंचा है। इसलिये वहां का पानी हमारे जिले में बरबादी और तबाही पैदा करता है। बाढ़ के पानी को निकालने के लिये कोई नाला नहीं है। मैंने सुना है कि सरकार ने इधर ध्यान दिया है और नाले का सर्वे वगैरह हो चुका है। लेकिन अभी तक उसको मूर्तरूप नहीं दिया जा सका है। मैं मुरादाबाद जिले के लोगों को बाढ़ की विपत्ति से बचाने के लिये सरकार के सामने यह सुझाव रखता हूं कि सरकार की जो नाले की योजना विचाराधीन है उसे तेजी से बनाया जाय। सारे प्रान्त में बाढ़ को दूर करने के लिये एक ही तरीका हो सकता है कि जगह-जगह पर गहरे नाले बनाये जायं। लेकिन इस काम के लिये सर्वे को आधार मानना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि एक जिले का पानी दूसरे जिले में भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

**न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)**—नाले बना कर कहां गिरायेंगे ?

**श्री रामकुमार वैद्य**—इसका उत्तर तो आपके इंजीनियर देंगे। जहां का भूमितल नीचा हो वहां गिराये जायं और जहां सम्भव हो नदियों में गिराये जायं।

**श्री गणेशप्रसाद पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बाढ़ समस्या पर बोलने का सुअवसर प्रदान करने की कृपा की। गोरखपुर जिले में तमाम नदियों में यों तो बाढ़ आ गई है लेकिन घाघरा की बाढ़ से करीब आधे दर्जन गांव जैसे गायघाट, रसूलपुर, नकौरी, हैराली और सरिया आदि, कट गये हैं और वहां के लोग निकल कर सड़क पर बसे हुए हैं। उनके रहने का न कोई साधन है, खर भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है। भूखों मर रहे हैं। नाम मात्र के लिए सरकारी सहायता पहुंची है, जो दो चार दिन के खर्चे के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी हालत में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि घाघरा की बाढ़ वालों के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। यों गोरखपुर में रिलीफ फंड

[श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय]

कायम हुआ है। लेकिन ज्यादातर राप्ती के आसपास शहर के आदमियों को ज्यादा सहायता पहुंचा पाते हैं लेकिन घाघरा के बाढ़ वालों को सहायता पहुंचाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल से दो चार दिन के लिए पर्याप्त होती है। इसी तरह से नारायणी में अप्रत्याशित बाढ़ होने से, सारे गांवों को जो उसने जलमग्न कर दिया है, उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। नारायणी में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी। वह नहर के द्वारा उलट पड़ी है जिसके कारण रोहिन में भी पानी आ गया है। उसकी वजह से गोरखपुर शहर भी खतरे में है और आसपास के गांवों में भी बहुत पानी बढ़ गया है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि भविष्य में इस तरह का खतरा न उत्पन्न हो जाय, उसके लिए विशेष सावधानी से काम लें।

इसके अलावा जो गरीब अन्न बिना भूखों मर रहे हैं, उनके खर्चे का प्रबन्ध किया जाय। बाढ़ के बाद ही तुरन्त टेस्ट वर्क कायम किया जाय, चर्खे की घुंडियों पर सहायता दी जाय, जैसी हर साल दी जाती है, सस्ते गल्ले की दूकानें हर न्याय पंचायत के आधार पर कायम की जायं। जंगलों को खोल दिया जाय। जंगलों से लकड़ी और खर मुफ्त में दिया जाय।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--क्या कोई सदस्य लिखित रूप में अपना भाषण यहां सुना सकता है?

**श्री उपाध्यक्ष**--वह अपना नोट कंसल्ट कर रहे हैं।

**श्री गणेशप्रसाद पाण्डेय**--गायघाट, रसूलपुर, नकौरी, खैराठी, सरिया आदि गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाय। हर प्रकार की वसूली बन्द कर दी जाय। उन सब खेतों की मालगुजारी माफ की जाय जो डूब गये हों। हिसाब लगाया जाता है कि आठ आना डूबा है कि नहीं। आठ आने से कम वालों की मालगुजारी न माफ की जाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हर खेत जो डूब गया है उसकी मालगुजारी माफ होनी चाहिए। अगर कानून बाधक हो तो कानून को तरमीम किया जाय। बच्चों की फीस, अक्तूबर से मार्च तक माफ की जाय और भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिए प्रबन्ध किया जाय। हर जिले में जनरल रिलीफ सोसाइटी कायम की जाय। यह नहीं कि सरकार की अलग हो और पब्लिक की अलग हो। महाजनों और बड़े रईसों से सहायता लेकर जनरल रिलीफ सोसाइटी कायम की जाय। भविष्य में गोरखपुर जिले के १,५०० गांवों के लिए ५ सौ नावों का प्रबन्ध कर देना चाहिए, जो ढाई लाख रुपये में बन सकती हैं। इस प्रकार जब हर गांव के पास नाव होगी तो सहायता पहुंचे या न पहुंचे, नाव से वे बाहर घूम कर अपने परिवार की परवरिश कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

***श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में देर से वर्षा होने के कारण इस बात की शंका पैदा हो गयी थी कि कहीं ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेश में सूखा पड़े लेकिन पिछले पक्ष में हमारे प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे हमारी शंकाएं दूसरी ओर उलट गयी हैं।

मान्यवर, इस प्रदेश में बाढ़ का आना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। यह पिछले कई सालों से चली जा रही है। सरकार की ओर से सदैव सितम्बर, अक्तूबर के महीने में बाढ़ रोकने के लिए और उससे तबाही और बरबादी से लोगों को बचाने के लिए कुछ ढिंढोरे पीटे जाते हैं। और जहां अक्तूबर या नवम्बर का महीना आया कि सरकार और सरकारी कर्मचारियों की यह निश्चिन्तता कि बाढ़ नियंत्रण योजना का ढिंढोरा पीटने के बाद वह साल भर के लिये आराम से सो जाते हैं। उसके बाद फिर जब अगस्त और सितम्बर आयेगा तो दौड़ धूप शुरू। दुर्भाग्य से इस वर्ष हमारे प्रदेश में इतनी बाढ़ आयी कि उससे लाखों किसानों और करोड़ों रुपयों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सम्पत्ति की हानि हो गयी। मैं इस सम्बन्ध में दूसरी ओर न जाकर अपने जिले और अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन्नाव जिले का यह दुर्भाग्य रहा है कि वह लखनऊ और कानपुर के बीच में होने के कारण मंत्रिगण की निगाहों से हरदम ओझल रहता है। मैं इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि अगर वे मेरे इस कथन को असत्य मानते हों तो पिछले साल की जो बाढ़ रिपोर्ट है उसको देखने की कृपा करें। उसमें यह बताया गया है कि कानपुर में बाढ़ आयी, लखनऊ में बाढ़ आयी और तबाही हुई लेकिन उन्नाव की तरफ बाढ़ नहीं गयी। तो इस तरह के सरकारी आंकड़े हैं जिनसे यह विदित होता है कि बाढ़ के सम्बन्ध में जो सही जानकारी सरकार को होनी चाहिये, वह नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर वे उत्तर प्रदेश को बाढ़ को प्रकोप से बचाना चाहते हैं तो कोई निश्चित योजना अवश्य तैयार करें। उसके लिए जिले में जो बाढ़ सहायक समितियां हैं उनके सुपुर्द यह काम करें कि वे अपने यहां के लिये ऐसी योजना तैयार करें। उनके जो सुझाव हों उनको माना जाय।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करूंगा कि शुरू के विवाद में और इस समय तक भी सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है कि जो बाकी लगान है या बाकी तकावी है उसकी वसूली रोक दी जायगी। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में तीन दिन तक बराबर बाढ़ के क्षेत्रों में घूमा हूं, लेकिन तीन चार दिन गुजर गये उस समय तक कोई सरकार की ओर से आदेश नहीं निकला गया और कोई सही प्रबन्ध नहीं हो पाया। जो बाढ़ से घिरे हुये हैं वे अब तक वहीं पड़े हुए हैं। गांव करवी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वहां के सभापति, गंगाप्रसाद जी ने बहुत ही सेवा की है और लोगों को बचाया है लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है। सिवाय इसके कि उच्च अधिकारी गंगा के किनारे-किनारे नाव से घूम आये हैं। गांव के किसानों की हालत बाढ़ से घिरे रहने के कारण बुरी है। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र में मैराई ऐसी नदी है जो अपने उद्गम पर बहती है, बीच में पट गयी है, फिर गिरने के स्थान पर बहती है। इसके कारण उस क्षेत्र में बराबर वाटरलागिंग रहती है। इस सिलसिले में मैंने बहुत लिखा-पढ़ी की और कोशिश की कि उस नदी का बीच का भाग श्रमदान से खोदाया जाय लेकिन इतना बड़ा काम केवल श्रमदान के सहारे नहीं चल सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि वे इस ओर अपने विभाग को लगावें और देखें कि कैसे इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। मैं यह भी कहता हूं कि जो लगान और तकावी बाकी रह गयी है बाढ़ पीड़ितों के क्षेत्र में, उसकी वसूली तत्काल स्थगित कर दी जाय, ऐसी घोषणा वे करें। मैं राजस्व मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जहां मकान गिरे हुये हैं उन मकानों को, जो सहायता देने के लिये रुपया भेजा है उसमें से, तत्काल या शीघ्रातिशीघ्र बनवाया जाय। पिछली बार का मुझे अपने क्षेत्र का अनुभव है कि वहां पर मार्च के महीने में रुपया बांटा गया और उसकी वसूली भी मई से शुरू कर दी गई। मैं उनसे चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में भी जांच करें और इस समय जो बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में मकान वगैरह गिरे हुए हैं उनकी सहायता के लिए जो तकावी या सब्सीडी वगैरह सरकार देना चाहती है उसके लिए शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करें। जहां पर नावें नहीं हैं उन गांवों में जो यह सिस्टम बना रखा है कि ६० परसेंट गवर्नमेंट देगी और ४० परसेंट गांव वाले देंगे उसको हटा कर सरकार की ओर से नावों की व्यवस्था होनी चाहिए।

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—उपाध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मैं बाढ़ की जो समस्या अपने प्रदेश के सामने है उसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करूंगा। केवल आपके द्वारा, श्रीमन्, मैं माननीय मालमंत्री का ध्यान बहराइच जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। स्वयं माननीय मालमंत्री महोदय ने बहराइच जिले में जाकर कुछ हिस्से का अध्ययन किया है और बाढ़ का जो प्रकोप उस जिले में है उससे वह स्वयं अवगत हैं। कैसरगंज में बाढ़ आये बहुत अरसा हुआ लेकिन बाढ़ अपनी जगह पर रुकी हुई है और कितने ही किसानों का उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं मान्यवर, आपके द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जिले के उत्तरी अंचल की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर भकला और राप्ती दरियायें बहती हैं। २१ तारीख को लगभग १० बजे दिन एकाएक वहां बाढ़ आ गई और दो घंटे के अन्दर लगभग ७ फुट पानी ऊंचा चढ़ गया। लक्ष्मणनगर एक मुकाम है, वहां से भिनगा नोटीफाइड एरिया तक जिसका कि फासला लगभग १० मील है बराबर पानी ही पानी नजर आता रहा। सारे दो आवे की फसल नष्ट हो गई। कितने ही घर बरबाद हो गए और कोलैप्स हो गए। जो आपकी सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क थी वह कट गई। कहीं-कहीं पर वह बह गई और आमदरफ्त भिनगा से बहराइच तक बिल्कुल बन्द हो गई। जितने पुल और पुलियायें थीं वह सब बिलकुल टूट गईं और अब उनके ऊपर किसी तरह आमदरफ्त हो ही नहीं सकती। काफी मौतें पानी में डूबकर जाने से हुई हैं जिनकी संख्या ४ तो मुझे अभी तक मालूम हो सकी है। वैसे न मालूम कितनी ऐसी मौतें हुई होंगी, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह इलाका ऐसा है कि जहां पर पहुंचना भी आसान नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों ने इस बाढ़ को देखा है उनका कहना यह है कि पहले कभी ५० वर्षों में भी इस प्रकार की बाढ़ देखने में नहीं आयी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि इस बाढ़ की भयंकरता और प्रकोप को देख कर उनको अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने की वह कृपा करें।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, एक बड़े खेद की बात है जिसको कि मैं कह देना चाहता हूं। २१ तारीख को बाढ़ आयी और २४ तारीख को हमारे माननीय माल मंत्री ने बाढ़ के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया। जब कि २१ तारीख को बाढ़ आ चुकी थी तब भी आपके स्टेटमेंट में उसका कोई संकेत नहीं मिला। मुझे वहां जाने पर यह भी पता चला कि हमारी तहसील में अभी तक न तो कोई एस० डी० ओ० है और जो हैं भी वह इंचार्ज हैं जिनको कि कोई दिलचस्पी नहीं है और न कोई तहसीलदार वहां है जो कम से कम मौके पर जाकर के कुछ लोगों को सहायता वगैरह पहुंचाता। यही नहीं, मान्यवर, सूचना भी सरकार को नहीं पहुंच सकी इसका भी यही कारण है। कोई अधिकारी दिलचस्पी से उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आशा है कि इस तरफ माननीय माल मंत्री स्वयं अपना ध्यान देंगे।

अब मैं कुछ बातें सुझाव के रूप में माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा और वह यह हैं कि अब भी बहुत से स्थानों पर पानी भरा हुआ है। उस दोआबा क्षेत्र में तो फसल बिलकुल नष्ट ही हो चुकी है, लोगों को खाने का भी ठिकाना नहीं रह गया है। लेकिन एक भाग ऐसा भी है कि जो खरीफ की फसल में पिछली बार बाढ़ के कारण तबाह हो चुका था और रबी में ओलाबारी से भी तबाह हो चुका था और अब की भी खरीफ की फसल उसकी जाती रही। वह क्षेत्र मंगहा से लेकर परसा डहरिया तक है जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर ध्यान नहीं दिया जायगा तो वे लोग भूखों मर जायेंगे। अब उनके पास कुछ रह नहीं गया है।

मान्यवर, इस दोआबा के क्षेत्र में सब से आवश्यक चीज यह है कि इस क्षेत्र के गांव ऊंचे किये जायं। उनके लिये अधिक से अधिक तकावी या खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिये। अधिक से अधिक सहायता उनको मिलनी चाहिये। साथ ही साथ उन समस्त बातों की तरफ जिनकी तरफ हमारे साथियों ने ध्यान दिलाया है कि ऐसे समय में उन चीजों की आवश्यकता है, उन सब की तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। जिस तरह से गतवर्षों में मंत्री जी का ध्यान रहा है उसी प्रकार से इस वर्ष भी ध्यान देकर उनको पूरी सहायता पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह शिवपुर, मलहीपुर के इलाके में और मंगहा के दोआबा क्षेत्र में जो लक्ष्मीनगर से भिनगा तक फैला हुआ है उसमें पूरी-पूरी सहायता पहुंचाने की कृपा करें अन्यथा जो स्थिति है वह बड़ी भयंकर है। वहां जाने पर सिवाय हाय-हाय के और कुछ सुनाई नहीं देता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उस क्षेत्र को देखेंगे

और उनको वहां का अनुभव भी है क्योंकि वह उसी जिल के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि उनके जीवन-काल में भी ऐसी भयंकर बाढ़ कभी नहीं आई होगी जैसी कि उस क्षेत्र में इस साल आई है। इन शब्दों के साथ मैं फिर मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो भी सहायता हो सके, उसको प्रदान करने की कृपा करें।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की भयंकरता माननीय सदस्यों को विदित है। हमारे पड़ोसी जिले के सदस्य माननीय शिवशरणलाल जी ने बतलाया कि पिछले १० वर्षों में ऐसी बाढ़ नहीं आई या ५० वर्षों से ऐसी बाढ़ नहीं आई। वास्तव में जो लोग वहां पर फंसे हैं, उस घाघरा, राप्ती के पानी में उनको देखने से दर्द पैदा होता है। वास्तव में मैंने भी ऐसी बाढ़ नहीं देखी है जैसी बाढ़ उस जिले में अब की बार आयी है। वह बाढ़ एक दैवी प्रकोप है इस बात को सोच सकते हैं, लेकिन दरिया के किनारे के लोग सदा मुसीबत में ही पड़े रहते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी विपत्ति बरपा हो गई है जिससे और बरबादी रात दिन होती चली जाती है। मैं मिसाल के तौर पर बतलाऊं कि करीब-करीब १०० गांव उस नदी के कारण ऊंचे किये गये। गांव तो ऊंचे हो गये लेकिन घर नीचे हो गये। वर्षा का पानी घरों में भर गया और घर बैठ गये। ३५ मील के एरिया, करनैलगंज से परात तक ४० लाख रुपया सर्फ किया गया और उस खर्चे से प्रबंध किया गया। उस इलाके के भीतर जो आबादी है उसके लिये सरकार की तरफ से जो आंकडे दिये गये हैं वह ६० हजार के करीब हैं। हो सकता है उतने लोग रहते हों। मगर उस इलाके में एक लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई है जो इस समय जलमग्न है। उन दोनों नदियों का पानी ५,६ मील में चला करता था लेकिन अब एक डेढ़ मील में चलता है। उसमें पानी ५,६ फीट ऊंचा हो गया है। कई मील के अन्दर वह आबादी है। उस ३५, ४० मील के इलाके में लोगों के लिये बिलकुल रहने का कोई सहारा नहीं रह गया है। हर तरफ से वे फंसे पड़े हैं। उस जाल से निकलना उनके लिये मुश्किल हो गया है। मालूम नहीं वे निकल सकेंगे या नहीं। यह मुसीबत सरकार की तरफ से बरपा कर दी गई है।

हमारे जिले में ५,६ बांध फ्लड डिवीजन की तरफ से बनाये गये हैं। जो गिरगिट का बांध था वह पिछले साल टूट गया था। इसकी वजह से दो गांव बह गये। इस साल जो पानी भरा तो उससे वह फिर टूट गया और उसने ३ दिन तक जो लूप लाइन गोरखपुर से गोंडा को आती है उसके आने जाने के रास्ते को बन्द कर दिया। पानी उसके ऊपर से बहने लगा। उधर से रेल आती थी तो उतर कर लोग दूसरी तरफ पार जाते थे। उन बांधों को हमने देखा और इंजीनियर्स से बात की। इन बांधों में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और फिर भी इन से पानी नहीं मिल पाता, यह क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि पानी की मार्च से मई तक दिक्कत है, बकिया समय में पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। जब जून में बरसात हो जायगी तो वे भी पानी देंगे। वे उस पानी को बटोर कर इकट्ठा कर लेते हैं, रोक नहीं पाते। परमात्मा की तरफ से जो विपत्ति आती है उसके लिये क्या कहा जाय, लेकिन सरकार की तरफ से जो लायी गयी है उससे वहां के लोगों को बजाय लाभ के हानि ही हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में जिन गांवों को ऊंचा किया जाय तो उनके घरों को भी ऊंचा कर दिया जाय वरना पानी बरसने पर घरों में पानी भर जाता है और सैकड़ों घर इस प्रकार गिर जाते हैं।

एक दिन उपमंत्री जी वहां गये थे। वे पावर बोट पर थे और मैं बाढ़ग्रस्त एरिया में था। बड़ा प्रयत्न करने पर भी उनके दर्शन न कर सका, लेकिन वहां की भयंकर दशा को उन्होंने देखा होगा। वे नवाबगंज से लकड़मंडी तक गये थे, लेकिन वहां बांध के इलाके के लोग तो जांती के मूस हो गये हैं। उस इलाके के किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी हैं। यह बाढ़ भी समय से पहले आ गयी है और इससे गन्ने की फसल भी नष्ट हो गयी है। उसमें इतना ज्यादा पानी खड़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेवसिंह]

है कि उनका नाश हो गया है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि उस एरिया का लगान माफ कर दिया जाय और बच्चों की फीस माफ कर दी जाय या उसे सरकार दे ताकि वे बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। ६० हजार एकड़ का इलाका आपने स्वयं बतलाया है लेकिन अगर ठीक से सर्वे कराया जाय तो २ लाख एकड़ से कम इलाका बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ है और उसकी मुसीबत में आप के सामने बयान कर रहा हूं। दूसरे साल उस इलाके के लोगों को गन्ने से कुछ ज्यादा आमदनी हो गयी है लेकिन उनका दाम बाकी पड़ा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उसका बकिया दाम उनको दिलाया जाय। ऐसा करने से उनकी बड़ी सहायता होगी। इन शब्दों के साथ प्रार्थना है कि यदि मंत्री की जी गोंडा जायं, तो वहां की स्थिति देख कर वहां अहेतुक सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाढ़ दुनिया के मुख्तलिफ देशों में अनादिकाल से आती रहती है। हिन्दुस्तान में भी और अपने प्रदेश में भी हमेशा से बाढ़ आती रही है। पानी कहीं ज्यादा बरसा और कहीं नहीं बरसा, इसमें मनुष्य का कोई वश नहीं है। अपने प्रदेश को ही देखें। पहले गोरखपुर और देवरिया, पूर्व के जिलों में ८०,९० इंच पानी बरसता था और मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि में १५,२० इंच बारिश होती थी। अब इत्तफाक यह है कि गोरखपुर में ४० इंच पानी बरसने लगा और मेरठ आदि जिलों में ८० इंच पानी बरसने लगा। इसी तरह मथुरा में भी ४५ इंच के करीब पानी बरसने लगा। एक अजीब कैफियत इस प्रकृत्ति की हो गयी है। बाढ़ के बारे में लोगों का यह खयाल है कि यह हमेशा तकलीफ देने वाली चीज है, किन्तु जब यह थोड़ी मात्रा में होती है तब यह जमीन को उर्वरा बना देती है, उसको अच्छी बना देती है, और जब वह ज्यादा होती है तो उससे जन-जीवन खतरे में हो जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं और हजारों किस्म के नुकसानात हुआ करते हैं। इसके बारे में हमारे इंजीनियर्स की मुखतलिफ रायें हैं। अनादि-काल से, चीन के मुल्क में, मिश्र में, इटली में और देशों में भी बराबर इस बात की कोशिशें होती रहीं कि किस तरह से बाढ़ के प्रकोप को रोका जाय और इस बात की कोशिश की गयी कि बड़ी-बड़ी दरियाओं के किनारे पुश्ते बांध कर बाढ़ से लोगों की रक्षा की जाय। हमारे यहां भी लोगों ने यह कोशिश की कि पुश्तों के जरिये बाढ़ को रोका जाय। किन्तु इसके सम्बन्ध में हमारे इंजीनियर्स की भी मुख्तलिफ रायें हैं।

एक बहुत बड़ा तबका हमारे इंजीनियर्स का ऐसा है जिनका यह खयाल है कि बाढ़ को रोकने से जो प्रकृति का ढंग है वह खराब हो जाता है। दरिया की सतह ऊंची हो जाती है और साथ ही साथ जमीन की उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो जाती है। उनका खयाल यह भी है कि जब पुश्तों को बना दिया तो उसके पीछे के रहने वाले लोग बे फिक्र हो जाते हैं और जब कभी पुश्ता टूट जाता है तो उससे लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। पहाड़ों पर अगर हम इसी तरह से कोई रिजर्वायर आदि बनाते हैं तो उससे भी यही दिक्कत पैदा हो सकती है और उसके टूटने से काफी परेशानी पैदा हो सकती है।

इसके अलावा एक बड़ा तबका ऐसा है जिनका खयाल है कि तकलीफ तो कभी-कभी हुआ करती है, बाकी जमाने में लोगों को आराम ही मिलता है और यह सही भी है। हमारे प्रदेश में, जब से हमें स्वराज्य मिला है, हमारे इंजीनियर्स की, यहां पर माननीय सदस्यों की और पब्लिक की भी यही राय रही है कि मुखतलिफ तरीकों से बाढ़ को रोका जाय। माननीय सदस्य, जो गोंडा से तशरीफ लाते हैं, श्री बलदेवसिंह जी, उन्होंने एक बांध का जिक्र किया जो बहराइच में बना है।

श्री बलदेवसिंह—मैंने गोंडा का जिक्र किया था।

श्री राममूर्ति—उसमें करीब ५० लाख रुपया खर्च हुआ है और आप यकीन कीजिये, पहले साल जब वह बन कर तैयार हुआ तो उसके पीछे का जो हिस्सा था उससे उस हिस्से की काफी

हिफाजत हुई और वहां पर ६३ लाख रुपये की मक्का की फसल उस बांध की बदौलत पैदा हुई। इस तरह से जहां पर बांध बने हैं उससे काफी फायदा हुआ है, करोड़ों रुपये की फसल को फायदा हुआ है। लेकिन इसमें भी संदेह नहीं है कि जब कोई बांध टूट जाता है तो उससे काफी नुकसान भी होता है।

हमने अपने प्रदेश में अपने इंजीनियर्स की राय को माना है और जो भी ७–८ तरीके हो सकते थे बाढ़ को रोकने के उनको हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन एक तरीका यह है कि दरियाओं के जो बेड हैं, किनारे हैं, उनसे करीब मील भर या ४ फर्लांग के फासले पर पुश्ते बना दिये जायं ताकि पानी का फैलाव न हो सके और उसको रोका जा सके। अक्सर लोग यह करते हैं कि दरियाओं के किनारे से मिला कर बांध बनाते हैं जो कारामद नहीं होते। इसके कारण उनके बेड्स काफी ऊंचे हो जाते हैं और वह बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। लेकिन जो पुश्ते दूर बनाये जाते हैं उनसे लोगों को बहुत लाभ होता है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि हमने प्रदेश में ४४५ मील लम्बे इस तरह के इम्बेंकमेंट्स और पुश्ते बना दिये हैं। केवल एक पुश्ते के अलावा जो बंदरहा बांध रोहन नदी पर हमने बांधा है उसके ऊपर से गंडक नदी का पानी निकल गया और वह पुश्ता टूट गया, बाकी सब बांध बने हुए हैं, अपनी जगह पर हैं और उनकी हिफाजत हो रही है।

मान्यवर, हमने एक मास्टर प्लान बनाया है, उसके अन्दर करीब ८०० मील और पुश्ते बनाने का इरादा है और उस पर ६ करोड़ रुपया भी खर्च करेंगे। यह एक अच्छा तरीका है बाढ़ से बचने का। दूसरा तरीका यह है कि हम उन इलाकों में जहां पर कैचमेंट एरियाज बहुत बड़े हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, वहां पर बड़े रिजर्वायर बनायें जिनमें बरसात का पानी रुके। सरकार रामगंगा का रिजर्वायर बनाने जा रही है जो बहुमुखी है। उससे आबपाशी तो होगी ही बिजली भी बनेगी और साथ ही साथ बाढ़ भी रुकेगी। एक बांध पूर्णागिरि पर भी बनेगा जो बहुमुखी होगा। भागीरथी के ऊपर, गंगा के ऊपर, यमुना के ऊपर, इन तमाम दरियाओं पर हम बड़े-बड़े रिजर्वायर का सर्वे करा रहे हैं। आज एक मोटे तरीके से हमारी मालूमात हुई है कि उनमें प्रत्येक सौ–सौ डेढ़–डेढ़ सौ करोड़ रुपये का है। उसमें जमीन भी होगी बाढ़ में कमी होगी, हमारी आबपाशी भी होगी जिससे लोगों की ४ पैसे की आमदनी बढ़ेगी और बिजली भी होगी जिससे हजार किस्म के उद्योग–धंधे बढ़ेंगे।

तीसरा कार्य हम यह करते हैं कि पानी निकालने के लिये बड़े-बड़े नाले बना रहे हैं जिनमें छोटी-छोटी नालियों से पानी जायगा। जो बने हुए हैं उन्हें गहरा कर रहे हैं। नयी आरक्यूरियल ड्रेंस जो बड़ी-बड़ी होंगी उनमें छोटी-छोटी डाल रहे हैं। पिछले सौ-डेढ़ सौ साल में जबसे विज्ञान की तरक्की हुई और बांध और नहरें बनायी गयीं, उससे कंट्री का जो पानी का बहाव है उसमें रुकावटें पैदा हो गयीं और इतना समुचित इंतजाम नहीं हो पाया जिससे सड़कों का पानी निकल सके। जहां जहां पानी रुक जाता है, हम कोशिश करते हैं कि पुल जो बने हुये हैं उनको चौड़ा किया जाय और बड़े-बड़े नालों में छोटी-छोटी नालियों के जरिये पानी निकला जाय।

एक तरीका और है और वह है गांव को ऊंचा करने का। फ्लड प्लान के अन्दर जहां बाढ़ ज्यादा आया करती है उन गांवों को ऊंचा किया जाय जिससे लोगों की जान व माल की हिफाजत हो सके और वह आराम से वहां रह सकें। हमने ऐसे गांव काफी ऊंचे किये हैं। बलदेवसिंह जी ने कहा था कि गांव और मकान ऊंचे किये जायं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा तरीका यह है कि जब किसी गांव को चारों तरफ से पाटा जाता है ४–४, ६–६ फिट, तो उस गांव के मकान नीचे पड़ जाते हैं। फिर गांव के लोग अपने मकानों की दीवारें उठाते हैं और ऊंचे पाट दिया करते हैं जिससे गांव के साथ मकानों का लेविल ऊंचा उठ जाया करता है। मुझे हवाई जहाज से पूरब के इलाकों को देखने का मौका मिला। मैंने देखा कि सैकड़ों गांव ऐसे थे जो ऊंचे कर दिये गये थे, जिनमें लोग आराम से बैठे हुये थे। यद्यपि उनकी फसलें बरबाद हो गयी थीं, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, लेकिन वे गांव अपनी जगह पर कायम थे, लोग जान व माल को लिये हुये आराम से अपने घरों में बैठे हुए थे।

श्री बलदेवसिंह--हवाई जहाज से ठीक दीख पड़ा होगा ?

श्री राममूर्ति--मैं अपने दोस्त को आश्वासन देना चाहता हूं कि हवाई जहाज से बखूबी बहुत सी चीजें ऊंचाई से भी देखी जा सकती हैं। अपने पास ऐसे साधन थे जो कि आजकल के विज्ञान के जमाने में कोई मुश्किल नहीं है, कि ४--४, ५--५ सौ फिट नीचे की चीजें आसानी से देख सकें ।

गांवों को उठाने के अलावा और भी कई तरीके बाढ़ को रोकने के हैं। जैसे दरियाओं के बहाव को दुरुस्त करना है। लूप एरिया को काट दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों को बचाने के लिये इस प्रदेश के अन्दर एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है। उनको बचाने के लिये ठोकर बनायी जाती है। उनको बनाकर शहर को दरिया के बहाव से बचाते हैं। इस प्रकार इन ७--८ तरीकों से बाढ़ रोकने का प्रयत्न हो रहा है। इस प्रकार से प्रदेश के लोगों को तथा उनकी फसलों को बचाने की कोशिश है।

मास्टर प्लान पर ६७--६८ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें बाढ़ के कामों के लिये ५७५ लाख रुपया मिला है। कुछ पुरानी स्कीम्स थीं जिनमें ८०--८५ लाख रुपया खर्च हो चुका है लेकिन अभी ५ करोड़ के करीब बाकी है, उसको हम इस काम में लगाने का प्रयत्न करेंगे। इस समय मेरे पास इतना समय तो है नहीं कि तमाम नदियों और उन पर बांधों आदि के नाम पढ़ कर सुनाऊं लेकिन इतना अवश्य बता देना चाहता हूं कि ये स्कीम्स बनी हुई हैं और उनमें से बहुत स्कीम्स को स्टेट फ्लड बोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया है। जैसे ही बरसात समाप्त हो जायगी, कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

लोगों की बहुत सी ऐसी मांगें हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। ६७ करोड़ की स्कीम्स जो इसतृतीय पंचवर्षीय योजना में हैं उनसे सब माने पूरा करना मुमकिन नहीं है। १०--१२ साल में काफी रुपया हमने इसमें खर्च किया है तथा अब और जो रुपया हमारे पास है उससे हम लोगों को और सहूलियत पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हम प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का ध्यान सदैव इस ओर आकर्षित करते रहते हैं कि इन सब जरूरतों को देखते हुए इस रकम को और ज्यादा बढ़ाया जाय ताकि हमारी हर साल आने वाली दिक्कत रफा हो। कल या परसों में ही सेंट्रल गवर्नमेन्ट के इसी विभाग के मंत्री, हाफिज जी, यहां आने वाले हैं। उनके आने पर भी इस सारे इलाके की देखभाल कर, हमारी यह कोशिश होगी कि हम बाढ़ से ग्रस्त लोगों की तकलीफों को अधिक से अधिक जानें।

मुझे श्री मदन पांडेय जी ने एक पर्चा दिया था। वे जानना चाहते हैं कि उनके इलाके में बड़ी गंडक के सिलसिले में क्या योजना है। उन्होंने एक गांव परसाने का भी जिक्र किया है जो नेपाल के इलाके में है। इस साल बदकिस्मती ऐसी हुई कि बड़ी गंडक ने उस गांव को बिलकुल ही साफ कर दिया और उसके पीछे से निकल कर एक रास्ता भी बना लिया। पिछले दिनों छोटी गंडक ने भी एक रास्ता बना लिया है। नतीजा यह हुआ कि दोबहा नाले में बहुत बड़ी मिकदार में इनका पानी जा गिरा और सिंचाई विभाग का भी ७--८ हजार रुपये का नुकसान हो गया और बसोला पर ५--६ लाख रुपये का नुकसान हो गया और नहर भी डेमेज हो गयी। पानी जाकर रोहन और राप्ती नदियों में गिरा जिसकी वजह से डेढ़ दो हजार गांव जलमग्न हो गये, फसलें बरबाद हो गयी और मैं नहीं जानता कि क्या क्या नुकसान हुआ।

बहरहाल गवर्नमेन्ट की यह कोशिश है कि वह भरसक जितना आराम लोगों को पहुंचा सकती है, पहुंचाये। पांडेय जी यह भी जानना चाहते हैं कि क्या उसके लिये कोई स्कीम है। सरे दस्त मैं यह तो कह नहीं सकता कि उसके बारे में क्या किया जायगा। सर्वे होगा, उसकी जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। पहले भी एक स्कीम नेपाल बांध के नाम से बनी हुई थी और करीब १९--२० लाख रुपया फ्लड बोर्ड से उसके लिये मंजूर भी हो चुका है लेकिन नेपाल राज्य की वजह से उस बांध के बनने में कुछ रुकावट हो गयी जिससे हम उस काम को पूरा नहीं कर पाये। बड़ी गंडक से एक नहर निकलने वाली है जो गोरखपुर, देवरिया होकर बिहार को जायगी।

उस नहर की वजह से यह बिलकुल जरूरी हो गया है कि हम उस बड़ी गंडक के ऊपर एक बांध मजबूती के साथ बंधवायें। पहले तो उस बांध पर केवल १९–२० लाख रुपया ही खर्च होना था लेकिन अब खयाल यह है कि इस पर ८०–९० लाख रुपया खर्च होगा। उसके पीछे भी मजबूत पिचिंग के साथ एक प्रोटेक्शन बनाना होगा ताकि आगे चल कर किसानों को उससे किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। ऐसी एक योजना हमारे सामने है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दो तीन साल के अन्दर वह योजना कार्यान्वित होगी। हमारा इरादा है कि बड़ी गंडक के बांध को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें ताकि आयन्दा उस इलाके के लोगों को कोई तकलीफ न पहुंचे बल्कि आराम पहुंचे।

एक बात मैं और बतला देना चाहता हूं और वह यह है कि पिछले जमाने में जब यह बाढ़ आयी तो वह राप्ती और उसके बराबर की छोटी दरियाओं के प्रकोप से बाढ़ नहीं आयी बल्कि महज बड़ी गंडक की वजह से बाढ़ आयी। वहां के लोग उसके लिये तैयार भी नहीं थे। लेकिन सरकार ने गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के लिये करीब ढाई तीन सौ नावों का इंतजाम किया है और मोटर लांच का भी इंतजाम किया है। हमारी कोशिश है कि लोगों की हर प्रकार से मदद की जाय। जिस जिला मजिस्ट्रेट ने जिस मात्रा में भी अपने जिले के लिये रुपये की मांग की है उतना रुपया उसे दिया गया है और हम चाहते हैं कि रुपये की वजह से कोई ऐसी बात नहीं होने देनी चाहिये जिससे लोगों की तकलीफें या दिक्कतें बढ़ें। मैं और कुछ ज्यादा न कह कर अपने माननीय सदस्यों को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि जो भी तकलीफें हैं वे कम हों। बाढ़ खत्म होने के बाद भी बड़ी तकलीफें बढ़ेंगी, बीमारियां फैलेंगी तथा और भी दिक्कतें होंगी। जहां तक हो सकेगा, जहां पानी भर गया होगा उसको हम सरकार के जरिये निकलवाने की कोशिश करेंगे ताकि किसान अगली फसल सहूलियत के साथ बो सकें और आगे उसका नुकसान न हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य हमारे इस प्रयास में हमारी हर तरह से सहायता करेंगे।

*श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के मसले पर जब हम विचार कर रहे हैं तो वहां चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ दिखलायी देती है। चोरी की बाढ़, डकैती की बाढ़, राहजनी की बाढ़, रिश्वतखोरी की बाढ़, यहां तक कि लखनऊ में कांग्रेस टिकट के लिये भी हजारों और लाखों आदमियों की बाढ़ ही बाढ़ दिखलायी देती है। आज मसला यह है कि दरियाओं और बारिश की वजह से ही क्या बाढ़ आती है? अभी अभी सिंचाई मंत्री जी ने प्रकृति को दोष दिया कि उसी की वजह से यह परेशानी होती है। बात तो कुछ सही है लेकिन उसी के साथ साथ यह भी सही है कि जब राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता है तो प्रकृति का प्रकोप करना लाजिमी हो जाता है।

अब बाढ़ आती क्यों है? बाढ़ आने के बहुत से कारण हैं। एक तो यह कि जितनी भी स्कीमें हैं इस सरकार की है--नहरें बनाने की, सड़कें बनाने की, वे बिना पुल के ही बना दी जाती हैं जिससे पानी नहीं निकलता। मेरी समझ में यह गलत स्कीम है और इसीलिये बाढ़ आती है। नहरें खोदी जाती हैं लेकिन उनके पुल छोटे बना दिये जाते हैं जिससे जब बारिश होती है तो पानी नहीं निकलता और गांव डूबने लगते हैं। अभी परसों नरसों मेरे पास सिकन्दराकलां से एक चिट्ठी आयी है कि उसके उत्तर तरफ पहले एक सड़क थी जिससे पानी नहीं निकलता था और पूरब की तरफ एक नाला था और अब पश्चिम, दक्षिण की तरफ एक नहर खोदी गयी है। दो साल नहर को खोदे हुये हो गये लेकिन उसमें पानी का पता नहीं और इस साल बारिश हुई तो चारो तरफ से गांव घिर गया और बेचारे गरीबों के मकान नेस्तनाबूद हो गये। माननीय मंत्री जी ने जो थोड़े से गांव के डूबने की बात कही, अगर वे जांच करावेंगे तो एक जिले में ही उतने गांव बरबाद हो गये होंगे जो उन्होंने सारे सूबे के लिये बतलाये। इस बार जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वह यह हुआ है कि हर साल जो बाढ़ आती थी वह आखिर में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालकराम]

आती थी लेकिन इस साल वह शुरू में ही आ गई और उसका नतीजा यह हुआ कि कोई फसल नहीं हो पाई, जो धान बोया गया, बह गया। बाजरा, चरी, ज्वार, उर्द, मूंग मोठ, सब बरबाद हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जिले में तो इस वक्त जानवरों के लिये चारा भी नहीं रहा, दरख्तों की पत्तियां खिलाकर लोग किसी तरह गुजार कर रहे हैं। आदमियों की तो गुजर जैसे होती है वह होती है लेकिन जानवरों के लिये चारे की बहुत तकलीफ है। जब पिछले साल हमारे यहां आग लगी थी तो यहां १२ तारीख को मंत्री जी ने कहा कि हम जब चलेंगे तो आप को भी मौके पर ले चलेंगे। १४ तारीख को चलने की बात उन्होंने कही लेकिन वह यहां से उठे और मोटर पर बैठकर सीधे चले गये, हमको साथ नहीं लिया और शाहजहांपुर जाकर कहा कि अगर उनको साथ ले आता तो बाह वाह उनकी होती, पैसा मैं देता। इसलिये वह हमें नहीं ले गये। मैं नहीं समझता कि वह पैसा अपना निज का देते या अपने वेतन से देते, पैसा तो जनता का है, स्टेट का है वह तो सरकारी खजाने में से आता है....

श्री उपाध्यक्ष---इस साल की बात कहिये, यह तो पिछले साल की बात है।

श्री बालकराम---इसको सब जानते हैं, सारा सदन जानता है, सारा प्रदेश जानता है और सारा देश जानता है कि आज भी बाढ़ के समय में तकावी दिनों दिन वसूल हो रही है और रोज बैल कुर्क हो रहे हैं। तहसीलदार से कहो तो वह कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम क्या करें कलेक्टर साहब का हुक्म है। कलेक्टर साहब से कहो तो वह भी कहते हैं कि हम मजबूर हैं गवर्नमेंट का ऐसा ही आदेश है, सरकार हुक्म दे तो वसूली बन्द करें और यहां सरकार कान में तेल डाले बैठी है, इस कान सुनती है और उस कान निकाल देती है। अपना मतलब जहां सिद्ध होता हो वह बात तो सुन लेती है। वह अमीरों की भले ही सुन ले लेकिन गरीबों की वह नहीं सुनती, वह तो हमेशा पूंजीपतियों की बात जरूर सुनती है, उनकी आवाज पर उसके कान जल्द खुल जाते हैं। उस बाढ़ के इलाके में आज जरूरत इस बात की है कि वहां लगान की और तकावी की वसूली बन्द की जाय और ऐसे आर्डर यहां से भेजे जायं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह आर्डर भेज दिये गये हैं।

श्री बालकराम---धन्यवाद। जो पिछला ५-७ साल का लगान वसूल किया जा रहा है उसकी भी वसूली बन्द की जाय, इस वक्त जनता वहां की इस काबिल नहीं है कि वह लगान, तकावी दे सकें। बाढ़ क्षेत्र के बच्चों की फीस भी माफ होनी चाहिये, गरीबों के पास फीस देने के लिये पैसा नहीं है।

गरीब किसानों को सरकारी गोदामों से बीज उस वक्त मिलता है जब बुवाई खत्म हो जाती है। अमीरों को अलबत्ता वह पहले से मिल जाता है और जब गरीबों को नहीं मिलता तो वह बड़े आदमी से, जो पहले से सैकड़ों बोरा लेकर रख लेते हैं डयोढी दुगुनी कीमत देकर लेते हैं और किसी तरह से अपनी बुवाई करते हैं। यह बीज सबको बुवाई के समय से कम से कम १५ दिन पहले जरूर मिल जाना चाहिये। रबी का बीज दस अक्तूबर के बजाय ३० अक्तूबर को मिलता है और इसका नतीजा यह होता है कि किसान कर्ज लेकर या किसी तरह से दुगुने चौगुने दामों पर कर्ज लेकर बीज उपलब्ध करता है और बोता है। अक्सर वह अच्छा बीज भी नहीं बो पाता। जो बीज उसको बाढ़ में मिलता है वह बेकार हो जाता है और बाजार में जाकर बिक जाता है। जब उससे फिर गोदाम वाले बीज मांगते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा गल्ला अच्छा नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे। हम इसकी कीमत लेंगे और वह दस रुपया मन की जगह २० रुपया मन की कीमत लेते हैं। कहने का हमारा मन्शा यह है कि किसान को वक्त पर बीज मिलना चाहिये ताकि उस की बुवाई अच्छी तरह से हो सके और पैदावार बढ़िया हो सके। अगर आप बाढ़ को रोकना चाहते हैं तो जरूरत इस बात की है कि जितने भी

नदियों के पुल हैं उनको बढ़वाइये, जितने भी नहरों के पुल हैं उनको बढ़वाइये और नहरों या सड़कों के पुल जो बनवाये जायं वह ऐसे बनवाये जायं जिनमें बराबर पानी निकल सके। जहां चार दरवाजे के पुल की जरूरत है वहां इंजीनियर साहब ने दो दरवाजे का पास कर दिया तो उसका नतीजा यह होता है कि पानी बरसा, पुल से टक्कर खाया, पानी पास नहीं हो पाया, लिहाजा काश्तकारों की चारों तरफ की जमीन डूब गई, खरीफ मारी गई और रबी की बुवाई नहीं हो पाई, कोरे बाबा जी रह गये। तो सरकार इन सब बातों को समझे, वरना विधान सभा में दो-तीन दिन बहस करने के बाद कान में तेल डाल लेने से कुछ नहीं होगा। पिछले साल बहस हुई थी, आज तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। आज जब बाढ़ आ गई तो फिर बहस हुई, लेकिन गवर्नमेंट के कान पर जूं नहीं रेंगी। तो सोच-समझ कर काम कीजिये, खाली प्रकृति को दोष लगाना बेकार है।

श्रीमती कैलाशवती (जिला गोरखपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने बाढ़ के संबंध में बोलने के लिये मुझे समय दिया।

मान्यवर, हमारे गोरखपुर जिले में एक तरह से नदियों का जाल ही बिछा हुआ है। कोई ऐसा साल नहीं जाता कि वहां बाढ़ न आती हो। हमारा क्षत्र चिलूपार बाढ़ ही के क्षेत्र में पड़ता है। हमारे बहुत से भाइयों ने बतलाया कि और जगहों पर तो पेड़ों पर चढ़कर लोग बसर कर लेते हैं लेकिन श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में पेड़ भी नहीं हैं जिन पर चढ़कर लोग गुजारा कर सकें। हमारे क्षेत्र में बिलकुल सपाट मैदान है और हर एक गांव बाढ़ से ग्रस्त है। किसी गांव में जाने के लिये कहीं से रास्ता नहीं है, एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते। नाव की व्यवस्था वहां पर कम है। हमारे मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी गोरखपुर गये हुये थे तो नाव का प्रश्न उठाया गया था। वे आश्वासन दे आये थे कि नाव मंगवाई जायेगी। अगर नाव की व्यवस्था कर दी गई हो तो मैं माननीय मंत्री की आभारी हूं।

दूसरी बात मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि वहां पर लोगों के खाने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो रहने की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे सूखे स्थान पर वे खड़े हों सकें, खड़े होने के लिये भी जगह नहीं है। जो स्त्रियां गर्भवती हैं और जो गोद में बच्चे वाली हैं उनके लिये भी बड़ी कठिनाई हो गई है। वह किसी तरह से अपनी रक्षा नहीं कर पाती हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगी कि बाढ़ के दिनों में हर प्रकार की बीमारी आ जाती है। छोटे-छोटे बच्चों को बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। इसलिये हर गांव में दवा की व्यवस्था होनी चाहिये और हर जगह दवा पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

हमारे क्षेत्र में ऐसे छोटे-छोटे नाले हैं जहां बाढ़ कभी भी नहीं आती थी लेकिन वहां भी वर्षा के पानी से बाढ़ आ गई है और ऐसे-ऐसे गांव हैं जो नदी के करीब हैं, जैसे कुछ खास-खास गांवों के नाम मैं बताये देती हूं। बैरिया, सिमरा, कौल, नवलपुर, खुटघर, बगहा, पठवा, पौहरिया ये तो खास-खास गांव हैं। इसके अलावा बीच में भी और गांव हैं जैसे गुनघाट, ऐसे गांव हैं जो बिलकुल नदी के पेटे में हैं और कितने ही गांव कट गये। बगहा गांव कई बार कटा और अभी वहां के लोगों की कोई व्यवस्था नहीं हुई। उन बाढ़ पीड़ितों को हर प्रकार की सहायता देनी चाहिये। मैं अपने क्षेत्र में गयी तो वहां के नाविकों ने शिकायत की कि हम लोगों को मजदूरी बड़ी देर में मिलती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे मौके पर उन नाविकों को मजदूरी मौके पर मिल जानी चाहिये। सस्ते गल्ले की व्यवस्था होनी चाहिये, बच्चों की फीस माफ होनी चाहिये, लगान की वसूली बन्द कर देनी चाहिये और बाढ़ खत्म होने के बाद टेस्ट वर्क कायम हो जाने चाहिये जिससे लोगों को खाने पीने की सुविधा हो जाय।

दवाई की सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसा इंतजाम होना चाहिये ताकि हर जगह लोगों को दवाई आसानी से मिल सके। नाव के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी गोरखपुर में आश्वासन दे आये थे। मालूम नहीं अभी तक नावों की व्यवस्था हुई या नहीं।

[श्रीमती कैलाशवती]

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की विशेष आभारी हूं, हमारे ऐसे दुखी क्षेत्र के लिये उन्होंने बड़ी कृपा की। श्रीमन्, आपके द्वारा उन बाढ़ पीड़ितों की तरफ से मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभार प्रकट करती हूं। बाढ़ पीड़ितों के लिये अधिक चिन्ता करने की जरूरत है। जय हिन्द।

**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं गरकी, बाढ़ के बारे में सुन रहा हूं। अभी एक साथी ने कहा कि बाढ़ तो सभी चीजों को आ रही है। खैर यह बाढ़ें तो आया करती हैं, पर जो कुदरती बाढ़ पैदा होती है यह किस प्रकार से होती हैं? इसकी जड़ क्या है? कुदरती बाढ़, प्रलय होना, अंधकार होना, यह सरकार के कारण होता है। जहां सरकार अपने कर्त्तव्य पर दृढ़ नहीं होती, न्याय पर नहीं होती, अपनी मर्यादाओं पर टिकी नहीं होती है वहां बाढ़, गरकी, महाप्रलय हुआ करती है, यही पुरानी कहावतें हैं। बाढ़ के लिये सरकार से कहना पड़ता है लेकिन बाढ़ के बारे में पहले तो आप देखें हमारे मंत्री जी कि वहां की जनता का क्या हाल है। वहां घुघरू खा कर लोग दिन काटते हैं। शीरे का शरबत रिश्तेदारों को पिलाया जाता है उस शीरा को पश्चिमी जिलों में मवेशी खाते हैं, मंत्री जी के जिले में उससे मेहमानदारी होती है। मेरे जिले में घुघरू को कोई नहीं जानता। २ रुपये पर भी मजदूर नहीं मिलता।

तो मैं कह रहा था कि बाढ़, गरकी सरकार की करामात है। अच्छों को सरकार बुरा कहती है और बुरों को अच्छा कहती है, इस सदन के अन्दर यही हो रहा है "अंधा बांटे रेवड़ी फिर फिर अपने को दे।" १०,१२ आदमी जो आगे बैठते हैं वही सारा काम करते हैं। भले आदमियों की बुराई करते हैं और बुरे आदमियों की भलाई करते हैं। इस सदन में जो सच कहता है उसे कभी मौका नहीं मिलता।

मैंने मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के बारे में नियम ५२ में प्रस्ताव दिया था। खैर तहसील, इगलास तहसील में पानी भरा हुआ है, अलीगढ़ में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मथुरा में छाता, माठ और मथुरा तहसीलों में भरतपुर रियासत से पश्चिम की तरफ से, गुड़गांव से पानी चला आ रहा है। गांवों की जनता भाग रही है। मवेशी नहरों की सड़क पर पड़े हुये हैं, उनके चारे का इन्तजाम नहीं, बैठने का इंतजाम नहीं, लोगों के सोने का इंतजाम नहीं, उनके खाने का इन्तजाम नहीं, जाने का इन्तजाम नहीं। दो-दो साल से बाढ़ आ रही है, हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा रह गया। न खरीफ की फसल हुई न रबी की हुई। यही हालत मांट तहसील में रही, यही खैर तहसील तथा मथुरा तहसील की है। इस गरकी और बाढ़ को रोकने वाला कौन है? सिर्फ एक सत्य है, न्याय है। जहां इंसाफ होगा वहां गरकी और बाढ़ का पता भी नहीं लगेगा। यहां तो सत्य किसी में भी नहीं है, इधर भी वही चीज उधर भी वही चीज। उधर पूरी बोतल चढ़ाने वाले हैं तो उधर अद्धा पीने वाले हैं। जब इधर राज्य सत्ता आ जायगी तो ये भी बोतल चढ़ाने वाले हो जायंगे। किसानों और गरीबों की पूछने वाला कोई नहीं। बड़े आदमी को कोई टोकने वाला नहीं है। हिन्दुस्तान में जो कुकर्म करते हैं वह बड़े आदमी करते हैं।

एक चीज याद आयी, उपाध्यक्ष महोदय। आज बाढ़ और पानी की वजह से मवेशियों की बीमारी फैल गयी है। आगरा, मथुरा अलीगढ़ के एक एक ग्राम में ६ सौ, सात सौ तक बैल, भैंस, गाय खत्म हो गये। जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है। उस बीमारी को गलाघोट बीमारी कहते हैं। गला घुटता है और २४ घंटे में मवेशी मर जाता है। सन ६२ में किस नाम पर वोट लीजियेगा। बैल को बचाइये। हमारा चिन्ह तो आपने हाथी रख दिया। न हम कभी हाथी पर चढ़ें न हमारे दादा चढ़े। कांग्रेस का चिन्ह रख दिया बैल। जिनके बाप दादा ने बैल देखा नहीं उनका चिन्ह बैलों की जोड़ी। आज बैल मरे जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि उन किसानों और गरीबों का इंतजाम करिये, बाढ़ पीड़ितों के खाने का, मकान का, उनके मवेशियों के चारे का इंतजाम करिये जिससे उनकी

जिन्दगी बदल सके। जनसंघ, रामराज्य परिषद्, कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियां वगैरह हैं। मैंने कह दिया है कि अगर विरोधी एक से दूसरा खड़ा हो तो उसको निकाल दो या फिर सीधे कांग्रेस को वोट दे दो। ये विरोधी ही कांग्रेस को जिन्दा रखे हुये हैं। जनता ने तो इनको १९५२ में हराया, १९५७ में हराया लेकिन विरोधी उनको अभी तक जिन्दा रखे हुये हैं। इसीलिये श्रीमन् हमारे यहां बाढ़, गरकी, अन्याय और अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाढ़-पीड़ितों की सहायता करें और उनकी रक्षा करें। इससे आपका भी भला होगा और गरीबों का भी भला होगा।

*श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी की तकरीर सुनने के बाद संतुष्ट हुआ कि उन्होंने अपने विभाग द्वारा बाढ़ का मुकाबला करने के लिये एक बड़ी योजना बनाई है और काफी सक्रिय कदम उन्होंने इस ओर उठाये हैं, श्रीमन इस प्रदेश के सैलाब के गुजिश्ता सालों का इतिहास देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह समस्या अत्यन्त गम्भीर बन गई है। इस समस्या के मेरी दृष्टि में दो गम्भीर पहलू हैं। एक श्रीमन्, यह कि यह विपत्ति इस प्रदेश में हर वर्ष आने लगी है और इससे प्रदेश को एक बड़ा भारी आर्थिक धक्का लगता है। ऐसी विपत्ति, जब हम इस योजनाकाल में अपने देश की आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, हमारे देश को आर्थिक धक्का दे तो एक गम्भीर समस्या बन जाती है। इसका दूसरा पहलू यह है कि यह सैलाब कई वर्षों से अपना रूप बदलता चला जा रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले यह प्रदेश के पूर्वी भाग में ही आया करता था लेकिन श्रीमन्, गतवर्ष लखनऊ में और प्रदेश के पूर्वी भाग में भी आया। अब तो इतना विस्तृत हो गया है कि प्रदेश के ५४ जिलों में से ४ जिलों में आया है।

श्रीमन्, सैलाब के संबंध में जो सरकार ने लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिये तत्कालीन कदम उठाये हैं, पिछले वर्ष और इस वर्ष उठाये हैं, उनसे मैं संतुष्ट हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो योजना इस सैलाब का मुकाबला करने के लिये बनाई है वह भी किसी कदर प्रशंसनीय है लेकिन सैलाब को रोकने के लिये जो कदम उठाने चाहिये थे उनके लिये सरकार उदासीन रही है। मैं इस ओर माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मामूली जानकारी की बात है कि जंगलात, बागात और पेड़ प्रदेश के अन्दर सैलाब की आपत्ति को कम करने में बड़े सहायक होते हैं। ये अधिक वर्षा से जमीन के कटाव को रोकते हैं, पानी के बहाव को धीमा करते हैं और वर्षा जो तेज होती है उसको रिमझिम, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। श्रीमन्, यदि हम आंकड़ों का अवलोकन करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे प्रदेश में जंगलात का रकबा कम होता चला जा रहा है। मैं इस ऐग्रीकल्चर के बुलेटिन से दो आंकड़े पढ़ देना चाहता हूं। १९५३–५४ में ५८,४७,४७३ एकड़ रकबा जंगलात के तहत में था जो १९५९–६० में ४८,४६,७४३ एकड़ रह गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रदेश में ६ वर्षों में १६ प्रतिशत जंगलात का रकबा घट गया। उसके घटने से जो असर पड़ा है वह हमारे सामने आ रहा है।

श्रीमन्, इसी प्रकार से बागात और पेड़ों के नीचे जो रकबा ५३-५४ में था वह इसी बुलेटिन के अनुसार २७ लाख ९ सौ ४३ एकड़ था जो घट कर १९५९–६० में १९ लाख ८ हजार २२ एकड़ रह गया है। इस प्रकार बागात इस प्रदेश के अन्दर गुजश्ता ६ वर्ष में ३३ फीसदी घट गये हैं। अगर इतनी बड़ी भारी कमी इस प्रदेश में जंगलात और बागात की होती रही तो मुझे भारी अन्देशा है कि आने वाले जमाने में सरकार को और भी बड़ी योजनायें उन फल्डस का मुकाबला करने के लिये बनानी पड़ेंगी। मेरा अनुरोध है कि जहां सरकार इन सैलाबों का मुकाबला करने के लिये योजनायें बना रही है, वहां उन कारणों को भी सोचे कि सैलाब क्यों आते हैं। सैलाब हमारी सरकार के दूसरे विभागों के लिये एक चैलेंज हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजसिंह यादव]

में एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी कांस्टीटुएंसी के अन्दर, जिस क्षेत्र के अन्दर फसलें पहले बोयी गयी हैं, जो अच्छे काश्तकार हैं, उनकी फसलें जोरों से उग आयी हैं, उनको नुकसान नहीं हुआ है। उनकी फसलें अच्छी हैं। तो ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को चाहिये कि वह ऐसे इम्प्लीमेंट्स को ईजाद करे जिससे गर्मियों में छोटे-छोटे काश्तकार अपने खेतों को जोत सकें। इस प्रकार हम जल्दी फसल बोकर अपने प्रदेश को एक बड़ी हानि से बचा सकेंगे।

मैं विशेष रूप से बदायूं जिले का तजकिरा करना चाहूंगा। बदायूं जिला पश्चिम में है जहां सैलाब की आशंका नहीं थी। दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष बदायूं जिला सबसे अधिक पीड़ित है। बदायूं जिले की सभी नदियों में बाढ़ आयी हुई है। जिला बदायूं का प्रदेश भर में सबसे ज्यादा रकबा पानी के नीचे है, और सबसे ज्यादा गांव सैलाब से पीड़ित हैं। जिला बदायूं के अन्दर सबसे ज्यादा मकानात गिरे हैं। हमारे यहां की विशेषता यह है कि वहां जो गांव सैलाब से पीड़ित हैं, वह प्रदेश के केवल छः फीसदी है लेकिन जो रकबा पानी के अन्दर है वह ९ फीसदी है। मकानात जो गिरे हैं वह १५ फीसदी हैं। इसका मतलब यह है कि बदायूं के अन्दर सैलाब की फेरोसिटी और इंटेंसिटी कहीं ज्यादा है। मैं सिंचाई मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि कृपया वह आदेश दें कि बदायूं के अन्दर जहां वाटरलागिंग की समस्या पैदा हो गयी है और काफी फसलें नष्ट हो गयी हैं वहां पानी निकालने की व्यवस्था कर दें। अगर ऐसा हो जाय तो मुझे उम्मीद है कि बदायूं के अन्दर काफी सैलाब नियंत्रण हो सकेगा क्योंकि वहां जो आंकड़े बढ़े हैं वह वाटरलागिंग से बढ़े हैं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विवाद के सिलसिले में मैं दो तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सब से पहले मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि किसान की फसल के नुक्सान के अन्दाजे की बात सदैव विवादास्पद रही है। इसके अलावा मैं ऐसा समझता हूं कि शुरू में ही कुछ ऐसी गल्ती होती है जिसका बाद में कोई इलाज नहीं हो पाता है। श्रीमन, इस समय माननीय माल मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री भी मौजूद हैं। उनका ध्यान उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट मेज पर रखा गया है, उनकी तरफ दिलाऊंगा। माननीय शिवशरणलाल जी ने यह कहा कि ५० वर्षों में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आयी। बहराइच की तस्वीर वह बता रहे थे। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह कहा कि जो बाढ़ की विपत्ति आयी उसका सब से बड़ा कारण उन जिलों में बड़ी गंडक है। जो स्टेटमेंट रखा गया है, उसमें बहराइच के जिले में जो शुरू का जिला है, नदियों के जमीन पर उतरने का, उसमें ८१ हजार एकड़ जमीन को नुकसान पहुंचा और जो नुक्सान फसलों को पहुंचा वह ७५ फीसदी से लेकर १०० फीसदी तक पहुंचा यानी रुपये में १२ से लेकर १६ आने तक नुक्सान पहुंचा। अब श्रीमन, जब वह नदियां पानी को इकट्ठा करती हुई आगे चलीं तो बस्ती में उन्होंने १,१२,४५८ एकड़ का नुक्सान किया, रुपये आने पाई में अभी नहीं मालूम। बस्ती और बहराइच का पानी इकट्ठा हो कर जब गोरखपुर में पहुंचा तो, बड़ी मेहरबानी हुई इन नदियों की, वहां ७१,३९९ एकड़ को नुक्सान पहुंचा। यह हाल है इनके आंकड़ों का?

*श्री हुकुमसिंह विसेन---यह लेटेस्ट आंकड़े जो हमारे पास हैं उनके मुताबिक २,८८ हजार एकड़ है।

श्री गेंदासिंह---मुझे सब से ज्यादा ताज्जुब तो तब हुआ जब मुख्य मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये उसके बाद भी उनके अधिकारियों के होश हवास ठीक नहीं हुये कि चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं और वे क्या कह रहे हैं?

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह हमारी बदकिस्मती है कि मुख्य मंत्री जी इस बार देवरिया की तरफ घूमने नहीं गये। अगर वे गये होते तो उन्हें ज्ञात होता कि उनके अधिकारी वहां क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आप नहीं थे, मैंने तीन जिलों के पहले कम्परेटिव फिगर्स दिये थे कि बहराइच में ८१ हजार, बस्ती में १,१२ हजार और गोरखपुर में ७१ हजार एकड़ को नुकसान पहुंचा और जब इन तीनों जगहों में पानी इकट्ठा करती हुई यही नदियां देवरिया पहुंचीं तो उन्होंने वहां बड़ी मेहरबानी की और केवल २० हजार एकड़ का नुक्सान वहां हुआ।

**श्री अध्यक्ष**—उनका कहना यह है कि तीन जिलों में चलते चलते पानी सूख गया, बचा कहां? (हंसी)

**श्री गेंदासिंह**—यह तो मैं इनके अधिकारियों की रिपोर्ट को, आपके द्वारा, इनके विचार के लिये रखना चाहता हूं। जब ये आंकड़े सदन की मेज पर रखे गये तो हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक गयी। मैं फौरन देवरिया गया और कल इसीलिये सदन में भी हाजिर नहीं हो सका। मैंने तीन दिन तक अपने जिले के कोने कोने में जा कर देखा और राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी लापरवाही देवरिया जिले में इस बार बरती गयी है, मुझे याद नहीं आता कि कभी उतनी बरती गयी हो।

मैंने चारों जिलों की, जो कम्पेरेटिव फिगर्स आप के सामने रखी है, उससे आप भी, अध्यक्ष महोदय, और सदन इस नतीजे पर पहुंचेगा कि यह सरकारी आंकड़े क्या बतलाते हैं? मेरा अन्दाजा है कि लम्बे सूखे के बाद यह बाढ़ आयी है। सूखे पर बहस तो ऐसी दब गयी कि उस पर विचार नहीं हो सका लेकिन यह बाढ़ जो आयी है उसमें मेरा अन्दाजा यह है कि मेरठ से लेकर देवरिया तक ५० लाख एकड़ को नुक्सान पहुंचा है और १० मन फी एकड़ भी फसल का नुक्सान लगावें तो ५०० लाख मन, खरीफ में फसल का नुक्सान हुआ है। यह नुक्सान गैर-मामूली नहीं है जिसको नजरन्दाज किया जावे। बाढ़ के लिये सरकार कोई प्रबन्ध कर सकती है। लांग रेंज पालिसी पर मैं वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है और इसलिये भी कि उसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी योजनायें बनी हैं, उन पर अमल करना चाहिए और ऐसे विशेषज्ञों की रिपोर्ट से दूसरे देशों की कुछ तुलना करनी चाहिए। कुछ कामों में दूसरे देशों की नकल भी करनी चाहिए। उसमें मैं चीन और अमेरिका का नाम लेना चाहता हूं। अमेरिका की नकल तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि अमेरिका में धन बहुत है। लेकिन बाढ़ को रोकने के काम में चीन की नकल करने की आवश्यकता है। श्री एस० आर० सेन जब चीन गए थे तो उनकी एक रिपोर्ट आयी है और श्री हटी सिंह ने भी एक रिपोर्ट दी है। मैं समझता हूं कि सिंचाई मंत्री और दूसरे माननीय मंत्रियों को इन रिपोर्टों को देखना चाहिए और उनको देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचने की आवश्यकता है कि हम लोगों को कोई लांग रेंज पालिसी तो बनानी ही चाहिये।

मैं दो एक बात और कह ही दूं। आखिर हम लोगों के लिये यह कुछ सोचने की बात है माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो बड़ी कृपा की थी कि जिन लोगों के गन्ने के दाम बाकी थे उनकी वसूली मुल्तवी करा दी थी, लेकिन आज जब कि बरसात का महीना है और किसान के घर में दाना नहीं है उस वक्त उनके ऊपर कुर्की हो रही है। इस बाढ से जो लोग तबाह हैं, सूखे से जो तबाह हैं, जिनके घरों में दाना नहीं है, उनके घरों की कुर्की हो रही है और वारंट द्वारा उनकी गिरफ्तारी हो रही है। उन पर तरह-तरह के जुल्म हो रहे हैं। मैं प्रमाण के तौर पर भी कुछ रखना चाहता हूं जिससे कि वह यह न कह सकें कि तुम गलत कहते हो। जिनको आज इस बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है उनसे वसूली करना, मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर कोई पाप नहीं हो सकता। (व्यवधान) यह 'गरीब' बड़ा रिलेटिव शब्द है। आप चाहे गरीब का जो अर्थ कर लें लेकिन हम समझते हैं कि गरीब कौन है और धनी कौन है? वह मिलमालिक जिनको रियायत मुख्य मंत्री जी ने दिलवा रखी है उनके मुकाबिले में तो मैं उनसे नीचे के जो हैं उन सब को गरीब समझता हूं। तो यह वसूली जरूर रुकनी चाहिये।

[श्री गेंदासिंह]

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने अधिकारियों का रुख बदलवाने में सफल हो सकें तो मैं अपने को बड़ा कृतार्थ मानूंगा। मैं उनकी चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि उनसे इस काम में कोई मदद मिलने वाली नहीं है। लेकिन सरकार को इसके ऊपर बैठकर सोचना चाहिये कि सही तस्वीर बाढ़ की किस तरह से आ सके और सही मानी में उनकी मदद कैसे हो सके? यह काम केवल हमारा अकेला नहीं है, बल्कि सब का काम है और सब लोगों को मिलजुल कर इस काम को करना है।

श्रीमती यशोदा देवी (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे अपने क्षेत्र के बाढ़ एरिया के सम्बन्ध में कुछ बातें कहनी हैं। मैं गायघाट के दौरे पर गई और जाकर देखा कि वहां जोरों से घाघरा काट रही है और पांच गांव उसमें कट रहे हैं। जनता द्वारा यह पता चला कि उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मैंने देखा कि वह अपनी मड़ई वगैरह हटा रहे हैं। यह सब देखकर मैं वहां से चली आई। रसूलपुर, गायघाट और नकौड़ी खैराटी और राईपुर में घाघरा से कट रहे हैं। वहां के निवासी सब सड़कों पर बैठे हुए हैं, न उनके खाने की व्यवस्था है और न पीने की व्यवस्था है। सरकार से मेरा यही अनुरोध है और माननीय माल मंत्री से भी अनुरोध है कि वहां कुछ इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ तकावी वगैरह भी उनको मिलनी चाहिए। नाव का प्रबन्ध वहां हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री वहां गये थे और उन्होंने हमारे यहां सब व्यवस्था उसकी कर दी है। वह सब धीरे-धीरे हो रहा है। अब हम अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ और नावें हो जानी चाहिए जिससे कि उस पार आने जाने में लोगों को सुविधा हो, जैसा कि वह लोग चाहते हैं। वहां से मुझे यह रिपोर्ट मिली है कि वह लोग चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जाय कि जिसमें वह इस पार से उस पार देवारे में चले जायं और वहां जा कर सब व्यवस्था गाय गोरू वगैरह की करें। इसके बाद एक सवाल और है। वहां पर जमुना खजुहा और मिसिया नाला कुवानों नदी में मिलते हैं। उन नालों पर तीन पुल बनाये गये हैं। मेरा कहना यह है कि उन तीनों पुलों को बांध द्वारा एक में मिला दिया जाय जिससे कुवानों नदी का पानी न आने पावे।

इसके अलावा मुझे यह भी निवेदन करना है कि हमारे क्षेत्र में घाघरा और कुवानों दो नदियां पड़ती हैं। हमारा करीब आधा क्षेत्र इन नदियों के बीच में है। इधर घाघरा है और दूसरी तरफ दूसरी नदी है। इन दोनों नदियों की वजह से उन लोगों की व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। हमारा माल मन्त्री जी से अनुरोध है कि वहां पर कुछ व्यवस्था हो जाय तो उन लोगों को बड़ा लाभ हो। वहां पर स्त्रियों को भी बड़ी कठिनाई हो रही है। उनके लिये दवाई आदि की सुविधा होनी चाहिये। हमारा इलाका कुछ दूर पड़ता है तो उन लोगों के लिये कोई ऐसा इन्तजाम नहीं है जिससे उनको यह सुविधा हो। इसलिये हमरा अनुरोध है कि सब साधन वहां पर जुटाने का प्रयत्न करना चाहिये। उनको तक़ावी मिलनी चाहिये और खाने पीने के सामान की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। वहां पर गल्ला बांट देना चाहिये।

श्रीमन, एक बात और कहना है। मुझे जनता द्वारा पता चला है कि वहां पर कुछ वसूली हो रही है। यह नहीं होना चाहिये। इस वक्त वहां पर बाढ आई हुई है। बाढ के समय में वसूली होना ठीक नहीं है। वहां पर बच्चों की फीस माफ होना चाहिये। अगर बच्चों की फीस माफ कर दी जाय तो अच्छा रहेगा। इस वक्त उनके अभिभावकों के पास पैसा नहीं है। आशा है मन्त्री जी इन बातों की तरफ ध्यान देने की कृपा करेंगे।

(श्री पब्बरराम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---श्रीमन्, मैं १५ बार खड़ा हो चुका हूं लेकिन मुझको मौका नहीं दिया गया। अलीगढ या एटा की तरफ के कोई सज्जन नहीं बोले हैं।

**श्री अध्यक्ष**—दूसरे लोग प्रकाश डाल रहे हैं।

**श्री पब्बरराम** (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का आप ने मुझे मौका प्रदान किया। जहां तक गाजीपुर जिले की स्थिति का सम्बन्ध है वहां की स्थिति बड़ी भयंकर है। गाजीपुर जिला खासतौर से गाजीपुर शहर और जमनिया उसकी तहसील दो जिलों में बंटी हुई है। गाजीपुर जिले की पौने तीन लाख आबादी जमनिया तहसील में रहती है, जोकि गंगा की बाढ़ से गाजीपुर शहर से बिलकुल कटा हुआ है। हमारे यहां सब से बड़ी अव्यवस्था आर-पार जाने की है जिसकी वजह से अभी नाव दुर्घटना में इतनी जानें गई हैं।

यों तो बाढ़ की वजह से और सूखे की वजह से पूरा जिला तबाह है परन्तु हमारे जिले में अभी भी वही स्थिति है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। दो परगने जहूरा बाद और पचोतर में सूखा पड़ने की वजह से वहां पर धान की रोपाई नहीं हो सकी। बाढ़ की वजह से बाजरे के खेत बिलकुल नष्ट हो गये हैं। ऐसी हालत में हमारे यहां अकाल पड़ने की पूरी सम्भावना है। मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि गंगा के आर पार जाने की व्यवस्था करने की बहुत जरूरत है। अगर गंगा के आर पार जाने की व्यवस्था नहीं की गई और खास तौर से गाजीपुर शहर के सामने जो घाट पड़ते हैं वहां पर आर पार जाने की व्यवस्था नहीं की गई, तो अभी तो ५० मौतें ही हुई हैं आगे इससे अधिक मौतें किसी भी समय हो सकती हैं।

श्रीमन्, वहां पर एक पावर बैरेज है। वह ९ बार मुश्किल से पार करेगा। उसकी कैपेसिटी के मुताबिक वह एक हजार आदमियों को पार करता है लेकिन उस घाट से पार होने वालों की संख्या ३ हजार से लेकर ४ हजार के बीच में है। ऐसी हालत में जब स्त्रियां आती हैं, लड़के जब स्कूलों में आते हैं, लोग रोजगार करने के लिये आते हैं तो उस समय हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उन घाटों पर उचित व्यवस्था न होते हुये भी लोग उनकी तरफ जाते हैं और ज्यादा आदमी नावों में बैठ जाते हैं और उसके बाद दुर्घटनायें होती हैं। निर्माण के बहुत से काम किये गये हैं, सिंचाई मंत्री जी ने ६८ करोड़ की स्कीम बना डाली है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस अभागे और उपेक्षित जिले की ओर भी उनका ध्यान गया है या नहीं। मैं उनको उस खतरे से आगाह करना चाहता हूं कि जो वहां पुल न बनने से उन जिलों के लिये पैदा होने वाला है। आप उन जिलों में निर्माण के लिये कोयला और मिट्टी कहां से ले जा पायेंगे। अगर पुल न बना तो उस इलाके के निर्माण कार्य आप नहीं चला सकते। कोयले की कमी से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और अगर यह पुल गाजीपुर में बन जाय तो इस इलाके में कोयला आसानी से पहुंच सकता है। छोटी और बड़ी लाइन के झगड़े को लेकर कोयला पहुंचने में वहां बड़ी देर हो जाती है। मैं ज्यादा समय न लेकर कहना चाहता हूं कि पिछली दो योजनाओं में उस जिले में कोई भी विशेष निर्माण कार्य नहीं हुआ है और जो तबाही हुई है वह सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस जिले के ३००० गांवों में ११७६ गांव अतिवृष्टि से पीड़ित हैं, ५० मौतें हो चुकी हैं, २०० घर गाजीपुर शहर में गिरे हैं। ऐसी हालत में गाजीपुर जिले की जीवनरेखा रूपी इस गंगा के पुल की ओर में सरकार का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं।

**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सम्बन्ध में डेढ़ दिन के वादविवाद में जो बातें यहां सदन में रखी गयीं उसमें मुझे एक बात का अनुभव हुआ है। पिछले दिनों गांव ऊंचा करने आदि के बारे में बनारस और गोरखपुर डिवीजन के लोग कहा करते थे। बांध बनाने के बारे में भी हम लोग ही कहते थे तो कुछ साथी हमारी खिल्ली उड़ाया करते थे। लेकिन हम पर जो मुसीबत थी उस पर हम सदन का ध्यान समय समय पर दिलाया करते ही थे। हम मुसीबत में थे और हम उसे तोल रहे थे, देख रहे थे, लेकिन आज हमने अनुभव किया कि हमारी उन भावनाओं से अधिकांश सदस्य प्रभावित हुए हैं और हमारी बातों के समर्थन में हैं।

[श्री धनुषधारी पाण्डेय]

श्रीमन्, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में से एक है और हिमालय से मिला हुआ है। अधिकांश नदियां हिमालय से निकल कर उसी इलाके से होती हुई बिहार जाती हैं। वहां मैंने दौरा किया है और उस इलाके की मुसीबत का अनुभव किया है। हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने भी कहा कि घाघरा और कुवानों द्वारा लायी गयी मुसीबत उन्होंने देखी है। उन्होंने यह भी देखा होगा कि लोग अपने घरों के दरवाजों पर बैठे थे। वह उन्हीं गांवों के लोग थे जो कि ऊंचे किये गये हैं। मैं उनका ध्यान घाघरा के उन गांवों की ओर ले जाना चाहूंगा जो हरैया, बस्ती और खलीलाबाद तहसील में हैं और जिनका इस बाढ़ में कहीं पता ही नहीं है गांव के गांव बह गये हैं और उनके निवासी पता नहीं कहां चले गये हैं। हमने प्रयत्न किया और जिलाधीश महोदय ने भी प्रयत्न किया कि किसी तरह से वहां पहुंचा जाय, लेकिन वहां पहुंचने के लिये कोई साधन न होने के कारण उन गांव तक नहीं पहुंचा जा सका। घाघरा नदी के उस विकराल रूप को देखकर कोई मनुष्य वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं करता जहां गांव कटे हैं। छोटी-छोटी नाव को लेकर वहां पहुंचना एक बड़ी कठिन समस्या थी। एक तो माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और जो भी उधर के इलाके हैं जैसे बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि वहां के लिये बड़ी-बड़ी नावों, स्टीमरों का प्रबन्ध करें। जिससे उनका इस्तेमाल आवश्यकता पड़ने पर किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, राप्ती, रोहनी और गन्डक नदियों में जो बाढ़ आई हुई है उसके कारण छोटी-छोटी नाव में उन गांव तक पहुंचना दुर्लभ है। सरकार ने नावों का प्रबन्ध जो किया है वह भी नहीं के बराबर ही है और संकट के साथ समय आदमियों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय माल मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कम से कम हर एक गांव में एक-एक नाव का प्रबन्ध कर दें और मैं गर्व के साथ कहूंगा कि सदन में कोई इसका विरोध नहीं करेगा और उसका भी यही रुख होगा कि हर एक गांव में, जो भी संकट में हैं, एक एक नाव का प्रबन्ध वहां कर दिया जाय।

श्रीमन्, सहायता जो उन लोगों को पहुंचाई जा रही है, मैंने अपने दो दिन के दौरे में यह अनुभव किया कि वह भी ठीक प्रकार से नहीं पहुंचाई जा रही है और सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है। मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर यह बड़ा अन्याय हुआ है कि २५ तारीख से पहले किसी अधिकारी ने भी किसी गांव में जाने का प्रयत्न नहीं किया। जब मैंने बस्ती के जिलाधीश का ध्यान इस ओर दिलाया तो उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि हर एक एस० डी० एम० अपनी-अपनी तहसीलों में जाकर, अपने कर्मचारियों को लेकर दौरा करें और लोगों की सहायता करें। अगर सरकारी कर्मचारी इस तरह से उन लोगों की सहायता करने में जी चुरायेंगे, तो मैं नहीं समझता कि यह सरकार जो उनकी सहायता करना चाहती है वह कैसे हो पायेगी। रेवेन्यू विभाग को छोड़कर प्लानिंग विभाग या अन्य विभागों में जिन कर्मचारियों की वहां पर ड्यूटी थी, मैंने देखा, उनका कहीं पर पता तक नहीं था। किसी ने छुट्टी ले ली थी, कोई और कहीं चला गया था। श्रीमन्, हमने कहा कि जो सामान वहां बटवाना था उसको बटवा दिया जाय, लेकिन कोई कर्मचारी का वहां पता नहीं था। जब दो बोरा चना दो दिन में बांटा गया तो आप समझ सकते हैं कि वहां क्या सहायता पहुंचाई जा रही है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, बस्ती जिले में सभी नदियों में बाढ़ आई हुई है, इसलिये मुझे ५—७ मिनट का समय और दे दिया जाय

**श्री अध्यक्ष**—अभी दो मिनट हैं बाकी आपके।

**श्री धनुषधारी पांडेय**—धन्यवाद। मैं यह कह रहा था कि सरकार की तरफ से जो आदेश गये हैं उनका ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा है। मैं मेहदावल ब्लाक के एक गांव में भी पहुंचा। उसमें १४ पुर्वे हैं। एक पुर्वे में मैं गया। अब उस बाढ़ क्षेत्र में १०१ गांव थे और वह एक ही जगह पर बसे हुये हैं और वे सब के सब पानी में डूबे हुये थे। वहां पर अधिकांश बैकवर्ड क्लास के लोग रहते थे। मैंने वहां देखा कि उनके पास अगर खाने का प्रबन्ध

है तो रोशनी का नहीं, अगर किसी ने रोशनी का प्रबन्ध कर दिया तो उनके पास जलाने को तेल नहीं है गांव के अन्दर नाव नहीं है। एक गर्भवती स्त्री के बच्चा पैदा हुआ, लेकिन दवा का प्रबन्ध नहीं था, तब मैंने मेंहदावल से नाव का प्रबन्ध कराया। १०१ मौजों के लिये, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा, तो बताया गया कि २५ नावें हैं। यह जरा गौर करने की बात है कि वे सब गांव एक ही ब्लाक में हैं तो २५ नावों से क्या हो सकता है ? इसके लिये गांव ऊंचे किये जांय। गवर्नमेंट की स्कीम यह है कि ऊंचा करते वक्त चबूतरे बनाये जायं। लेकिन वह भी नहीं बनाये गये। कुआ दिवार की भांति बनाया गया है। कुओं का पानी खराब है। मेडिकल एड भी गांव में नहीं पहुंचती है। सरकार के आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ है और पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये इस प्रकार के आदेश दिये जायें कि हर गांव में मलेरिया यूनिट जायं और कुओं में दवा डालें। जहां पर बन्धे बने हुये हैं उनके निकट हर गांव को ऊंचा कर दिया जाय क्योंकि ऐसा होता है कि बांध टूटा और गांव बह गये। ऐसी स्थिति में इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान इन चीजों की ओर दिलाता हूं।

**श्री रघुवीरसिंह**---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई हानिकारक कार्य दैवयोग से हो जाय या प्रकृति के नियमानुसार हो जाय तो कुछ दुःख ही होता है, लेकिन मान्यवर जब कोई अनुचित कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है तो दुःख के साथ-साथ क्षोभ भी होता है। यही हाल हमारे प्रदेश में बाढ़ का है। श्रीमन्, नियोजन के कार्य-कलापों की आलोचना हमारे पूर्ववक्ता बहुत कुछ कर चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल बाढ़ के ऊपर सदन में दो चार दिन चर्चा हुआ करती है और सरकार आश्वासन दिया करती है कि वह उसका निराकरण करेगी। मैं सरकार से केवल यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने बाढ़ के निराकरण के लिए अब तक क्या किया ? अगर देखा जाय, तो कहा जा सकता है कि किसी जिले में कोई ऐसा व्यापक कार्य नहीं किया जा सका जिससे बाढ़ रोकी जा सके।

हमारे सिंचाई मन्त्री ने बड़ी-बड़ी नदियों के विषय में तो चर्चा छेड़ी और कहा कि उनके रिजरवायर बनायेंगे, लेकिन छोटी नदियों के विषय में कुछ नहीं कहा। हमारे एटा जिले में गंगा और काली दो बड़ी नदियां हैं, उनके रिजरवायर बनाने की बात है। वह अपने स्थान पर ठीक है लेकिन सिरसा, ईसन, करों, अरिंद और काक नदियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। मैंने चार साल से बराबर चेष्टा की है, यहां यथा सम्भव चर्चा करता रहा हूं लेकिन हमारे सिंचाई मंत्रियों में बदलाव होता रहा है। पहले श्री राममूर्ति जी सिंचाई मन्त्री थे, तो उनसे निवेदन किया। उन्होंने कुछ माना भी। उसके बाद उनके हट जाने पर श्री गिरधारीलाल जी आ गये। उनसे भी कहा। कहने का सारांश यह है कि किसी भी मन्त्री ने इन छोटी नदियों के विषय में ऐसा व्यापक प्लान नहीं बनाया जिससे बाढ़ को रोका जा सके। १५---२० नाले इन नदियों में डाले जा चुके हैं, हालांकि इन नदियों के अपने आयोजित पाने के अनुसार रास्ते थे, लेकिन इन नालों के कारण जब पानी उनकी क्षमता से बहुत अधिक हो गया तो किस तरह से वह आगे को ग्रहण कर सकती थीं। यह उनकी सामर्थ्य से बाहर था।

**श्री अध्यक्ष**---आप किन नदियों का जिक्र कर रहे हैं ?

**श्री रघुवीरसिंह**---सिरसा, ईसन, अरिन्द, करों, और काक आदि छोटी नदियां हैं। मैं सिंचाई की स्टैंडिंग कमेटी में भी कह चुका हूं कि इन नदियों के लिये कोई व्यापक प्लान नहीं बनाया गया। मन्त्री महोदय ने कहा कि हम उनके लूप्स काटेंगे और यथोचित सफाई कराई जायेगी। यह मामला ३-४ साल से चल रहा है। इन नदियों के एस्टीमेट्स बन चुके हैं कोई बड़ी रकम भी नहीं है। मैं अपने अनुमान से जानता हूं कि जितना पैसा इनमें लगेगा उससे अधिक क्षति हर साल इन नदियों से हो जाया करती है। वह उससे पूरा हो सकेगा। तो मंत्री

[श्री रघुवीरसिंह]

महोदय को खयाल करना चाहिये कि जब राज्य का इतना बड़ा नुक्सान होता है तो इन छोटी-छोटी नदियों के बाढ़ के निराकरण का कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर देना चाहिये। दूसरा कारण यह भी है कि नदियों के पुल पहले आयोजित पानी के अनुसार बने हुये हैं और अब ४गुना और ५गुना पानी हो जाने के कारण बाढ़ आ जाती है। हमारे एटा जिले में एक विशेष बात है कि लोअर गंगा कैनाल वाटरशेड को काटती हुई निकाली गई है उत्तर से दक्षिण को जबकि नदियां बहती हैं पश्चिम से पूरब को। जबसे यह नहर उपरोक्त नदियों के ऊपर निकाली गई है तब से ज्यादा बाढ़ आने लगी है। इन नदियों के साइफन पहले के पानी के अनुसार थे अब कई गुना पानी हो जाने से बाढ़ का कारण बन गया, किनारे के गांव में और बाढ़ आने पर लोगों का जीवन नारकीय जीवन हो जाता है।

हमारे उप मन्त्री रामस्वरूप जी यादव बैठे हुये हैं। यह एक बार हमारे यहां अरिन्द, ईशन और सिर्सा नदियों की बाढ़ देखने के लिये गये थे। मैं उनके सामने इस बात की चर्चा उठा रहा हूं कि हमको जलेसर से आगे सड़क पर भी पहुंचने का मौका ही बाढ़ के कारण नहीं मिला हालांकि हम कहीं १ फुट और कहीं २ फुट पानी में भी चले। मेरे कहने का आशय यह है कि इन नदियों की ओर अधिक ध्यान दिया जाय।

लोअर गंगा के साइफन्स से हमारे जिले में बाढ़ आकर लाखों रुपये का नुकसान होता रहता है और हमारे जिले की सैकड़ों एकड़ जमीन यह नहर दबाये हुये हैं। फिर भी इससे हमें पानी भी सिंचाई के लिये नहीं मिलता है। १० साल से इसमें फसली कुलाबे भी लगा दिये गये थे लेकिन पिछले साल वह भी उखाड़ दिये गये। मैं चाहता हूं कि वे कुलाबे बदस्तूर जारी किये जावें।

इन नदियों की यथासम्भव जब तक सफाई न हो जाय तब तक इनमें भविष्य में कोई नाला न डाला जाय वरना बाढ़ और अधिक रूप धारण करने लगेगी।

श्री अध्यक्ष--समझ में नहीं आ रहा है कि नाले कैसे डाले जाते हैं, उठा कर ?

श्री रघुवीरसिंह--श्रीमन, विभाग द्वारा और सिंचाई विभाग द्वारा जो नाले बनाये गये उनका पानी इन नदियों में डाल दिया गया। पहले नाले नहीं थे। ये सब १०, १५ साल में ही बनाये गये हैं।

इन नदियों में कहीं-कहीं ऐसे स्थान भी हैं जहां अगर उनका सर्वे कराया जाय तो रिजर्वायर बन सकते हैं। उनसे सिंचाई का काम बहुत अच्छी तरह से लिया जा सकता है। उपरोक्त नदियों के साथ यह अन्याय किया गया है कि उनकी सामर्थ्य के बाहर ज्यादा नाले उनमें डाल दिये गये हैं। जब नदी बाढ़ पर होती है तो उसका पानी तेजी से निकलता है लेकिन कम होने पर सायफन्स में सिल्ट जमा हो जाती है। उसे प्रति वर्ष किसी पम्प से पानी निकाल कर साफ कर दिया जाया करे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, सैलाब के सम्बन्ध में करीब डेढ़ दिन इस सदन में वाद-विवाद हुआ। हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिले की स्थिति के बारे में काफी जानकारी कराने की कोशिश की। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि बाढ़ बड़ी भीषण थी और काफी क्षति भी पहुंची जिसकी वजह से हमारे उन जिलों के लोग बड़े दुखी और परेशान हैं। उनके दुख के साथ मैं भी दुखी हूं। उनके सुख के साथ सुखी और दुख के साथ दुखी होता हूं। मेरी पूरी सहानुभूति उन किसानों के साथ है जिनको माली नुकसान पहुंचा है और उन खानदानों के साथ भी मेरी सहानुभूति है जिनके लोग सैलाब में उस नाव दुर्घटना में जाया हो गये।

हमारे बहुत से मित्रों ने और अभी रघुवीर सिंह ने सुझाव दिये। उन्होंने अपने जिले की नदियों के नाम भी बताये। उन्होंने यह भी बताया कि नदियों में नाले गिरा दिये गये हैं जो

उन नदियों की कैपेसिटी से ज्यादा हैं लिहाजा रिजवायर्स बनाये जाने चाहिये। लेकिन माननीय सदस्य ने इस बात का कोई अन्दाजा नहीं बताया कि उन रिजरवायर्स के बनाने की लागत क्या होगी। हमारे प्रदेश में बड़ी और छोटी सैकड़ों की तादाद में नदियां हैं, उन सब पर एक या दो साल में यह कैसे सम्भव हो सकता है कि रिजवायर्स बना दिये जायं और इन नदियों को टेम कर दिया जाय और सैलाब की रोकथाम हो जाय। खाली कह देने से काम नहीं चलता है। कुछ बातें कहने में बहुत आसान होती है लेकिन उनका करना बड़ा कठिन होता है।

हमारे मित्र, सिंचाई मन्त्री जी ने फलड कन्ट्रोल के बारे में कुछ बातें बताईं। उन्होंने कुछ योजनायें भी बतायीं। उन योजनाओं का उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से हम अपने प्रदेश की नदियों पर कन्ट्रोल करें ताकि सैलाब से जो विपत्ति हमारे सूबे में हर साल आती है उसको किसी तरह से कम कर सकें। पहली और दूसरी योजना में इसका कुछ भाग हुआ है लेकिन विशेष बड़े-बड़े काम नहीं हुये हैं लेकिन कुछ एम्बेकमेंट और बांध बने हैं। इन कामों से सैलाब के काफी एरिया में कमी हुई है।

गोंडा के श्री बलदेव सिंह जी ने कहा कि सैलाब सरकार पैदा करती है। तात्पर्य उनके कहने का यही था, शब्द चाहे कुछ और हों। लेकिन क्या माननीय मित्र को मालूम है कि बारिश का रुख कुछ वर्षों से बदला हुआ है। जहां पहले पूर्व से बारिश शुरू होती थी अब पश्चिम से होती है। अब तो झांसी में भी सैलाब आते हैं। अभी बसौली में १६.५ बारिश हुई। मुझे यकीन नहीं आया और मैंने कलेक्टर से कनफर्म कराया। इस तरह की तो बारिश अब होने लगी है। पश्चिमी जिलों में कहीं डेढ़ गुनी तो कहीं दुगुनी बारिश होती है। अब यह पानी जायेगा कहां? नदियों में जायगा तो सैलाब तो आयेंगे ही। पहाड़ों पर ही इस साल कितनी बारिश हुई, कितने लैंड स्लाइड्स हुये। तो क्या यह सब विपत्ति सरकार ही पैदा करती है? गैर जिम्मेदारी और प्रोपेगेंडा के लिये कोई बात कह देना दूसरी बात है लेकिन असलियत को नजरअन्दाज करना ठीक नहीं होता।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---क्या आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**---मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं इसका आदी नहीं कि आपसे जबान लड़ाऊं। मैं आपसे जबान लड़ा नहीं सकता। मैं वही बात कहता हूं जो मुनासिब होती है।

**श्री राजनारायण**---आसवान बांध टूटा तब पूना पर असर पड़ा?

**श्री अध्यक्ष**---आप आल इंडिया लीडर हैं इसलिये पूना की बात कह रहे हैं।

**श्री हुकुमसिंह विसेन**---मैं यहां से बाहर का लीडर नहीं बनना चाहता। जो सैलाब की लेटेस्ट पोजीशन है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। राप्ती गोरखपुर, गोंडा और बहराइच में घट रही है लेकिन बस्ती में उमड़ रही है। घाघरा भी आजमगढ़, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में घट रही है, सरयू गोंडा में स्टेडी है, यमुना आगरा में ७ इंच कम हुई है और अलीगढ़ में भी कम हो रही है। बुलन्दशहर में अभी वही लेविल है। गंगा रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और कानपुर में कम हो रही है। सई नदी लखनऊ, उन्नाव में कम हो रही है और रायबरेली में बढ़ रही है। सरायम नदी सीतापुर में कम हो रही है और क्लारी नदी बाराबंकी में कम हो रही है। गोमती कल ३५७.१ थी और आज ३५६.१५ है। गोरखपुर में मलौनी बन्ध तथा राबर्टस बन्ध दोनों महफूज हैं जिनके खिलाफ पहले रिपोर्ट आई थी। बस्ती में बहुत सी रोड्स पर अभी पानी है। बस्ती---डुमरियागन्ज रोड कई जगह कट गई है तथा डुमरियागन्ज का इन्सपेक्शन हाउस अभी पानी के अन्दर है। परसा---बढ़नी रोड अभी पानी में डूबी हुई है। खलीलाबाद तहसील के २७ गांवों में पानी भर गया है क्योंकि वहां की जमीन नीची है। गोंडा से कालरा की कुछ शिकायत की रिपोर्ट आई है जिसको दूर करने के लिये प्रिवेंटिव व

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

क्यूरेटिव दवा आदि का इन्तजाम कर दिया गया है। आजमगढ़ में पी० डबल्यू० डी रोड भी पानी के नीचे है। बाराबन्की में फतेहपुर—रामसनेही घाट पर भी बाढ़ की वजह से कुछ खतरा आ गया है। बहराइच-भीनगा रोड, बहराइच—बलरामपुर रोड, तथा बहरामघाट भी सैलाब की वजह से कट गया है।

आगरा में पानी घट रहा है। हरदोई, शाहाबाद में पानी कम हो रहा है लेकिन संडीला में अभी स्टेशनरी है। उन्नाव में पानी डेंजर लेविल से ६ इंच नीचे चला गया है। बुलन्दशहर का जो बन्ध कट गया था उसके रिपेयर करने का काम जारी है, आर्मी के लोग उसमें लगे हुये हैं। हिंडन बांध में जो कट हुई है उसकी बहुत जल्द मरम्मत हो जायगी। अलीगढ़ में भी पानी कम हो रहा है। हर जिले से तमाम रिपोर्ट फ्लड के सम्बन्ध में आई हैं, इसमें रामपुर, पीलीभीत, नैनीताल, गढ़वाल, उत्तर काशी, सुल्तानपुर, व फतेहपुर से नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बकिया तमाम जिले से रिपोर्ट आई है। यह मैं दावा नहीं करता कि जितनी रिपोर्ट हमारे पास आई हैं वह बिलकुल ठीक ही हैं, लेकिन यह एक रफ रिपोर्ट है जो आपके सामने मैंने रखी। जो रफ एस्टीमेट है उसके आधार पर हमारा अनुमान है कि २८,११,०९० एकड़ जमीन उससे मुतास्सिर हुई है, १२,५०० गांव मुतास्सिर हुये हैं और १५३ मनुष्य तथा ४४९ मवेशी जाया हुये हैं। ३१,९१० मकानात को नुकसान पहुंचा है। यह हमारा इस्टीमेट है। १५३ मनुष्यों के मरने की बात मैंने बताई है उस में से ११० आदमी नावों की दुर्घटनाओं से गोरखपुर, मथुरा, बदायूं में मरे हैं और बकिया चमोली और पिथौरागढ़ में जो घटनायें हुई हैं उनकी वजह से मरे हैं।

बस्ती, गोरखपुर, बुलन्दशहर, बदायूं, मथुरा, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, गोंडा, उन्नाव, बाराबंकी, फर्रुखाबाद और देवरिया में अधिक क्षति पहुंची है। हमने इस वक्त तक सब जिलों में ७,९१,५०० रुपया ग्रेचुटस रिलीफ और सबसिडी के रूप में दिया है और २६,६५,००० रुपया तकावी वगैरा के लिये मन्जूर किया है और कलेक्टरों को हिदायत दी है कि कोई भी रिलीफ का काम रुपये की कमी की वजह से सफर न करे। जो भी मांग आती हैं उसकी फौरन गवर्नमेंट से तार या टेलीफोन से जिलाधीशों के पास मंजूरी पहुंच जाती है। कानपुर में कम्परेटिवली नुकसान कम हुआ है। बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के विषय में मैंने पहले ही बताया कि वहां नुकसान अधिक है।

मैं अपने मित्र गेंदा सिंह जी के इत्मीनान के लिये कहना चाहता हूं कि सरकार की यह मंशा कभी नहीं है कि जो नुकसान हुआ है वह अण्डर एस्टीमेट किया जाय। हमने तो जिला अधिकारियों को यह ताकीद की है और जिन्होंने नहीं जाना है उनके लिये मैं आज सदन में यह ऐलान करता हूं कि सरकार का मंशा है कि नुकसान का सही तखमीना किया जाय और जो क्षति हमने बताई है वह तो केवल एक रफ एस्टीमेट मात्र है। पहले ६० हजार था अब बहराइच का ८१ हजार हो गया, बस्ती में पहले कम था, अब ६ लाख हो गया है, गोरखपुर में भी नुकसान लगभग ३ लाख के हुआ है। इस मुसीबत के मौके पर जब कोई जल्द से जल्द पहुंच तक न पाये तो अन्दाजा रफ ही होता है। इसलिये यह अन्दाजे जानबूझकर अन्डर एस्टीमेट करने की बात नहीं है और न हमारी या सरकार की यह मंशा है और हम अपने अफसरों को और हिदायत देंगे कि इस आपत्ति के काल में हमें किसानों के नुकसान में पूरी-पूरी उनकी मदद करना है। हम अपना धर्म और फर्ज समझते हैं और तखमीना कम कर के, उनकी इमदाद से गुरेज करना यह गवर्नमेंट के लिये हरगिज मुनासिब बात न होगी, और न हम ऐसा चाहते हैं।

नावों के बारे में शिकायत की गई। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक हो सकता था नावों का इन्तजाम किया गया। उनके अलावा जिलाधीशों को अधिकार है कि वह प्राइवेट नावों का रिक्वीजीशन करें और रिलीफ के काम में लगा दें। हमने गोरखपुर में २३८ का प्रबन्ध किया और मांग ज्यादा होने पर १० का बनारस से मंगाने का प्रबन्ध किया है।

बस्ती में ७४, देवरिया में ५८, आजमगढ़ में ११०, और बाराबंकी में ५१ नावों का प्रबन्ध किया है। इस तरह से जहां तक हो सका सरकार ने नावों का प्रबन्ध किया और उनके द्वारा रिलीफ वर्क हो रहा है। गेचुटस रिलीफ जो दी जाती है चना, नमक, तेल, दियासलाई आदि की शक्ल में, जो जरूरी चीजें हैं, जिन्दगी के लिये यह सब इन नावों के द्वारा किसी तरह से पहुंचाई जाती है और हमारे अफसर, जो कुछ हो सकता है वह कर रहे हैं। कहीं-कहीं से मुझे शिकायत भी मिली है। जो अफसर या कर्मचारी शिथिल हैं उनको जिलाधीशों के द्वारा हम फिर हिदायत और तम्बीह करेंगे कि इस काम में कोई कोताही या शिथिलता न बरती जाय और सरकार यह चाहती है कि तकावी जल्द से जल्द मुस्तहक लोगों को दी जाय। मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैंने कल ही सोच-समझकर यह कर दिया है कि तकावी और मालगुजारी उन गांवों में उन लोगों से, जिनका कि ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है, वसूल न की जाय, और १५ नवम्बर तक मुल्तवी कर दिया है। वैसे एकबारगी जनरल आर्डर देने में यह दिक्कत है कि जो लोग दीदव दानिश्ता नहीं देना चाहते हैं, इस आशा में कि माफ कर दिया जायगा, वह इससे नाजायज फायदा उठाना चाहेंगे। कलेक्टर और कमिश्नर सबको अधिकार है और यह भी आर्डर कल इश्यू हो चुका है कि जो केसेज वाकई हार्ड हों और जो लोग गरीब हैं तो उनके खिलाफ कोई कोआर्सिव मेजर्स न लिये जायं और १५ नवम्बर तक उनसे वसूलयबी न की जाय। इसके अलावा एक बात और कही गई थी कि हर जिले को बराबर रकम नहीं दी गई....

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि १५ नवम्बर तक आपने मुल्तवी किया है, तो अगर छूट के कागज लोगों को नहीं दिये जायेंगे तो वह सबसे वसूल करना शुरू कर देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं, आर्डर जाने के बाद कोई वसूल करने नहीं जायगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा---१५ नवम्बर के बाद....

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसके बाद तय होगा....

श्री जंगबहादुर वर्मा---जिन लोगों को छूट के कागज नहीं....

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह सब हो जायगा, आप परेशान न हों। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ मित्रों ने यह भी कहा था कि मुख्तलिफ जिलों को मुख्तलिफ रकम दी गई। तो रकम तो ऐसे दी जाती है कि जिले का कलेक्टर वहां की मुकामी जरूरियात को देखकर जो तखमीना करता है वह सरकार की मंजूरी के लिये आता है और उसी के हिसाब से मंजूरी दी जाती है।

हमारे मित्र गौरीशंकर जी ने कल कहा था कि सरकार तो कोई काम नहीं करना चाहती और जब सैलाब आता है तो हाल बता देती है और....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---दियासलाई....

श्री हुकुमसिंह विसेन---दियासलाई भी बड़ी जरूरी चीज होती है। अगर हम और आप कहीं फंस जायं और आग न हो, तो दियासलाई इतनी जरूरी है कि दियासलाई न मिले तो सारा काम बन्द हो जाय। हम दियासलाई तो देते हैं, आप क्या देते हैं ? हम रेस्क्यू वर्क भी करते हैं, आदमियों को और मवेशियों को सैलाब से निकालते भी हैं और उसके बाद जो नुकसान होता है उनको मदद भी देते हैं। मैं अपने घर से नहीं देता हूं, जनता का पैसा सस्पेंशन या रैमिशन के रूप में देता हूं। सैलाब के जमाने में नाव पर बैठकर अफसरान जाते हैं, चना और नमक ले जाते हैं। बस्ती या कौन जिला है, ठीक मुझे याद नहीं है वहां ८७ मन तो नमक बंटा। जब ८७ मन नमक बंटा तो और चीजों का आप अन्दाजा लगा लीजिये।

एक सदस्य---चना उस हिसाब से नहीं बंटा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बंटा है, बहुत सी जगह बंटा है । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम सब काम करते हैं । इसको अगर कोई देखना न चाहे तो दूसरी बात है....

श्री जंगबहादुर वर्मा---मैं जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---वह बैठ नहीं रहे हैं ।

श्री जंगबहादुर वर्मा---८७ मन नमक की कितने अनाज में खपत होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं नहीं जानता, किसी खाना बनाने वाले से पूछिये । मैं तो बांटना जानता हूं । अगर हमारे किसान नमक लेकर रख लें, आयंदा काम आवे, तो अच्छा है ।

हर कलेक्टर को अधिकार है, एक ऐक्ट है लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, अगर कहीं जमीन कट गई है तो सेफर जमीन को एक्वायर करके वहां लोगों को बसाया जा सकता है । हम उस आर्डर को फिर मजीद भेजना चाहते हैं उनको तवज्जह दिलाने के लिये क्योंकि बहुत गांव कट गये हैं, ऐसी रिपोर्ट है । घाघरा के किनारे बाराबंकी और देवरिया में भी गांव कटे होंगे, आजमगढ़ में भी कटे होंगे । हमने कलेक्टरों को हिदायत कर रखी है और फिर कर रहे हैं कि जमीन ऐक्वायर करके लोगों को बसायें ।

एक शिकायत यह भी की गई कि कलेक्टर ने जब कटे हुये गांवों के लोगों से सेफ जगह बसने के लिये कहा तो लोगों ने दूसरी जगह जाने से इनकार कर दिया । मैं जानता हूं उस जगह से ममता होती है ।

श्री मदन पांडेय---यह उसी हालत में हुआ होगा जब उनकी फसल से दूर जमीन मिल रही होगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जमीन जहां मिलेगी वहीं तो बसाया जायगा । नाक के सामने तो जमीन पैदा नहीं की जा सकती । मैंने भी बाढ़ के समय वालेन्टीयर की हसियत से काम किया है, लोगों को अपनी जमीन से ममता होती ही है । सैलाब के वक्त सेवा समिति के वालेन्टियर की हैसियत से चना वगैरह बांटने जाता था । एक आदमी एक पेड़ पर बैठा था, मैंने उससे कहा आओ नाव पर बैठा कर अच्छी जगह पहुंचा दें । तो उसने कहा कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे और पानी घटने पर हमारी दिक्कत अपने आप दूर हो जायगी । अगर जबरदस्ती की जाय तो पचासों दफा ५२ में वक्तव्य देने पड़ेंगे । इस काम में आप लोगों के सहयोग की भी जरूरत है, अगर लोग ऐसी जगहों पर जाने को तैयार न हों तो आप भी हमारी मदद करें । हम हाउस सबसिडी भी देंगे, उसका रेट भी बढ़ गया है । पहले कच्चे मकान का २५ रु० था जो अब ५० रु० हो गया है । पक्के मकान का १०० रु० या २०० रु० हो गया है, इस समय मुझे ठीक याद नहीं है । तकावी भी चलेगी, छूट भी चलेगी रेमिशन भी चलेगा । जो इमकानी बात है उसको करने में सरकार दरेग न करेगी । इस मुसीबत का साहस के साथ मुकाबिला करना है । मैं समझता हूं हमारे प्रदेश के किसान इसका मुकाबिला अवश्य करेंगे और जो कुछ हम उनकी मदद कर सकते हैं करेंगे ।

श्री मदन पांडेय---लड़कों की फीस के बारे में भी आप बता दें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसके बारे में आप हमारी राय जानते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं ।

श्री राजनारायण---मंत्री जी ने बताया कि १५ नवम्बर तक लगान की मुल्तवी का आदेश गया है । तो १५ नवम्बर से पूर्व किसानों के पास ऐसी कौन-सी फसल हो जायगी जिसको सरकार समझती है किसान लगान देने में सक्षम होगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---१५ नवम्बर को फिर देखेंगे। अगर आगे बढ़ाना आवश्यक होगा तो और बढ़ायेंगे।

श्री राजनारायण---यह तो जाहिर है कि १५ नवम्बर को किसान के पास कोई फसल नहीं होती।

श्री हुकुमसिंह विसेन---गन्ना चलने लगता है।

श्री गेंदासिंह---अब की वह भी नहीं है।

श्री मदन पांडेय---मैंने विद्यार्थियों की फीस के बारे में कहा था तो आपने कहा कि हमारी राय आपको पहले ही मालूम है। मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे की फीस माफ होने वाली है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम तो फीस माफ करनेके खिलाफ हैं। लास्टईयर माननीय उग्रसेन जी ने पूछा था, उसका जवाब मैंने यही दिया था। अगर यह कह दिया जाता है कि कोदों दे कर पढ़ो हो, तो इसीमें लोग बुरा मानते हैं और कहीं अगर पूरी फीस माफ करके पढ़ेंगे तो लोग और बुरा मानेंगे।

श्री गेंदासिंह---मंत्री जी ने कहा कि ५० फीसदी जब नुकसान माना जाय तब कोई रिलीफ मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि देवरिया का नुकसान वाला लेटेस्ट फिगर क्या है, मंत्री जी बता सकते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन- अभी मुस्तकिल फिगर नहीं बता सकते हैं। सैलाब खत्म होने पर ही ठीक से बताया जायगा।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर में नुकसान होने की लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं और कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी प्रतिशत नहीं बता सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनके घर गिर जाते हैं उनके लिये टीन वगैरा का क्या इंतजाम किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब जरूरत होगी तो उसका प्रबंध किया जायगा। जब लोग दरख्वास्त देंगे तो प्रबंध करेंगे।

श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिले की तहसील कुन्डा में गंगा नदी की बाढ़ के कारण मानिकपुर, बलीपुर, बेंती, पुरनेमऊ, मोहदी-नगर, शाहपुर, मोंदारा, जहानाबाद, हथगवां, गुतनी, करेंटी आदि गांवों में बहुत नुकसान हुआ है, इनके बारे में क्या रिपोर्ट आई है ? मानिकपुर और बलीपुर वगैरा गांवों में हरिजनों के घर गिर गये हैं और तमाम गांवों में पानी भर गया है और खेत नष्ट हो गये हैं....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप भाषण दे रहे हैं। आपकी (मंत्री जी की) फेहरिस्त में प्रतापगढ़ का नाम नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन्, वहां कम नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष---फेहरिस्त में कुछ भी नहीं दिया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---डैमेजेज में है वहां बहुत कम नुकसान हुआ है।

**श्री गौरीशंकर राय**---माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि जहां ५० प्रतिशत नुकसान है वहां की मालगुजारी मुल्तवी रहेगी और अभी तक असेसमेंट नहीं हो पाया है तो जब असेसमेंट पूरा होगा तब मुल्तवी होगी या क्या होगा ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**---कलेक्टर को हम हिदायत कर देंगे कि वे मुल्तवी कर दें।

**श्री राजनारायण**---श्रीमन्, आपने बताया कि उनकी सूची में प्रतापगढ़ के आंकड़े बाढ़ में कुछ नहीं है तो इसके आंकड़े क्यों नहीं दिये गये हैं ?

**श्री अध्यक्ष**---इसमें उन्होंने दिया है कि रामपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर वगैरा में बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं हुई है। सफा ४ पर जो उन्होंने आखीर में टिप्पणी दी है उसमें दिया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है।

**श्री हुकुमसिंह विसेन**---जी हां, कम नुकसान हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**---कम नहीं, बल्कि दिया है कि बिलकुल नहीं हुआ है।

**श्री हुकुमसिंह विसेन**---जी हां, बहुत कम हुआ है।

**श्री नन्दराम गुप्त** (जिला प्रतापगढ़)---श्रीमन्, मैं अभी दौरा करके आया हूं।

**श्री अध्यक्ष**---आप लिख कर भेज दीजिये।

## कामन वेल्थ पार्लियामेंट्री ऐसोसियेशन की बैठक के सम्बन्ध में सूचना

अभी सवा पांच बजे से कामनवेल्थ पार्लियामेंन्ट्री ऐसोसियेशन की मीटिंग है। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाये देता हूं। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२९ अगस्त, १९६१।

## नत्थी 'क'

(देखिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१९ पर)

| बांध के टूटने की तिथि | मरम्मत पर व्यय | |
|---|---|---|
| | वर्ष | धनराशि रु० |
| ३०-७-१९५८ .. .. .. | १९५८-५९ | २,३३,००० |
| १३-७-१९५९ .. .. .. | १९५९-६० | १,०९,९६७ |
| १७-७-१९६० .. .. .. | १९६०-६१ लगभग | २,३०,००० |
| २९-७-१९६१ .. .. .. | अभी मरम्मत नहीं हुई है । | |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ट ४३१ पर)

### देवरिया जनपद में १ जनवरी, ६१ से १ जुलाई, ६१ तक हुई कत्ल, डकैती, चोरी तथा बलवे की घटनायें

(अ) १२--कत्ल की घटनायें निम्न स्थानों पर हुई :--

| नाम ग्राम | नाम थाना |
|---|---|
| विनायक | गौरी बाजार |
| शूगर फैक्टरी खड्डा | खड्डा |
| लखिया | कप्तानगंज |
| कोडरा | कप्तानगंज |
| लालाछपरा | रामकोला |
| रुदवलिया | कसवा |
| कोइलनडहा | रुद्रपुर |
| महेशपुर | रुद्रपुर |
| कुड़वली | रुद्रपुर |
| बंगरा बाजार | खामपार |
| बीजापुर | खुखन्दू |
| बिराजमल | लार |

(ब) ११ डकैतियां पड़ी

(स) २१०चोरियां हुईं, और

(द) ६६ बलवे हुये ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३३ पर)

| क्रम सं० | थाना | थानेवार व्यक्तियों की सं० जिनका कत्ल हुआ | ग्राम जहां कत्ल हुआ | मृतक का नाम | कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कोतवाली | १ | देवा | अब्दुल खालिक | जांचकी गई । किन्तु मामला लापता रहा । |
| २ | सफदरगंज | २ | (१) वधौरा | छोटे लाल | अभियुक्तों का चालान किया गया |
| | | | (२) डिहबा | राम लाल | ,, |
| ३ | रामनगर | ४ | (१) तपेसियाह | धनपता | ,, |
| | | | (२) धौखरिया | बाबा बाल गोविंद दास | जांच की गई किन्तु मामला लापता रहा । |
| | | | (३) बदोसराय | अमीर हसन | अभियुक्तों का चालान किया गया । |
| | | | (४) बहामऊ | बाबा सरजूदास | जांच की गई किन्तु मामला लापता रहा । |
| ४ | फतेहपुर | २ | (१) हजरतापुर | बिन्द्रा | अभियुक्तों का चालान किया गया । |
| | | | (२) टांडा निजाम अली । | टहलू | ,, |
| ५ | कुर्सी | ३ | (१) निलदूरा | अनवार हसन | जांच की गई जिससे पता चला कि अनवार हसन ने चाकू से और नन्दलाल ने लाठी से एक दूसरे को मारा और दोनों वहीं मर गये । मुकदमा समाप्त किया गया । |
| | | | (२) ,, | नन्द लाल | |
| | | | (३) इमामगंज मजरा दाऊदपुर | सुलेमान | अभियुक्त का चालान किया गया । |
| | | | (४) सालेहनगर | श्रीमती बड़की | जांच हो रही है । |
| ६ | रामसनेही घाट | ५ | (१) मूसेपुर | कु० शांती | अभियुक्तों का चालान किया गया । |
| | | | (२) जेठवनी | बाबादीन | जांच हो रही है । |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रम-सं० | थाना | थानेवार व्यक्तियों की संख्या जिनका कत्ल हुआ | ग्राम जहां कत्ल हुआ | मृतक का नाम | कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (३) खजुरिहा | गुरदीन | अभियुक्तों का चालान किया गया । |
| | | | (४) बेलसड़ी | देवीप्रसाद | जांच हो रही है । |
| | | | (५) कोटवां सड़क | राम बक्स सिंह | ,, ,, |
| ७ | सुबेहा | १ | (१) किठैया | श्रीमती मुन्नीपत्नी राम मनोहर | ,, ,, |
| ८ | भवई | २ | (१) हाजीपुर | राजदेई | ,, ,, |
| | | | (२) बरौली | सन्त | ,, ,, |
| ९ | कोठी | १ | (१) उधवापुर | श्रीमती हंसा | जांच से कुछ पता नहीं चला पोस्ट मार्टम से मृत्यु गला घोंट कर होना पाया गया । मुकदमे में अन्तिम रिपोट लगाई गई । |
| १० | टिकैतनगर | २ | (१) बबुरिहा मजरा खलसापुर | रमजियावन | अभियुक्तों का चालान किया गया । |
| | | | (२) अम्बरपुर मजरा हड़हा | हीरालाल | जांच हो रही है । |
| ११ | भेलसर | १ | (१) शहबाजपुर | श्रीमती सूरजकला | अभियुक्त का चालान (मफरूरी में) किया गया । |

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २१८ एल० ए०—१९६१—८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा